लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[सातवां सत्र
Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29 शुक्रवार, 28 मार्च, 1969/7 चैत्र, 1891 (शक)
No. 29—Friday, March 28, 1969/Chaitra 7, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
751.	भारतीय कुश्ती संघ के लेखे में अनियमितताएं	Irregularities in Accounts of Wrestling Federation of India	2—6
752.	संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट	ARC Report on Union Territories	6—8
753.	देश में मौसम सम्बन्धी सूचनाएं भेजने के लिए उपग्रह	Satellite for National Weather Communication	8—9
754.	दिल्ली के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Delhi	9—13
755.	भारत में शिक्षा की समान प्रणाली और पाठ्यक्रम आदि	Uniform ,System curriculum etc. of Education in India	13—15

अल्पसूचना प्रश्न

S. Q. No.

11.	डम डम हवाई अड्डे पर विमान न रोकने का अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों का निर्णय	Decision of Indian Airlines to Overfly Dum Dum Airport	15—22

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

756.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता	Financial Aid by UGC to various Universities in U.P.	22—23

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
757.	नेशनल एयरोनाटिकल लेबोरेटरी, बंगलौर	National Aeronautical Laboratory, Bangalore	23
758.	24 परगना जिला (पश्चिम बंगाल) में बम बनाने का कारखाना	Bomb Factory in 24 Pargana District West Bengal	23
759.	दिल्ली में गौ हत्या विरोधी प्रदर्शन	Anti-Cow Slaughter Demonstration in Delhi	24
760.	गुजरात में प्राचीन स्मारक	Ancient Monuments in Gujarat	24
761.	पादरी फैरर	Father Ferrer	24—25
762.	विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना	Introduction of Regional Languages as Media of Instruction in Universities	25
763.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में असंतोष	Unrest in Banaras Hindu University	25
764.	हिन्दी माध्यम वाले स्नातकों के लिए नौकरी के अवसर	Opportunities to Graduates with Hindi Medium of Instruction	26
765.	लिंक और पेट्रोयट द्वारा विदेशों से प्राप्त सहायता	Foreign Assistance Received by Link and Patriot	26
766.	जयपुर में हुआ अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन	All India Educational Conference held at Jaipur	26—27
767.	बिहार में मध्यावधि चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग	Misuse of Government Machinery in Mid Term Elections in Bihar	27
768.	एयर इंडिया	Air India	27
769.	वैज्ञानिक तथा परिभाषिक शब्दावली आयोग के अध्यक्ष के चयन के लिए चयन समिति	Selection Committee for selecting Chairman of CSTT	28
770.	पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Spies	28
771.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया को अनुदान	Grants to Banaras Hindu University/Aligarh Muslim University/Jamia Millia	28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
772.	मध्य प्रदेश के बनों में नक्सलवादियों के छिपने के अड्डे	Naxalities Hide outs in Madhya Pradesh Jungles	29
773.	विदेशी राष्ट्रकों द्वारा धर्म का प्रचार	Propagation of religlon by foreign Nationals	29
774.	खान अब्दुल गफ्फार खाँ की जीवनी लिखना	Writing of Biography of Khan Abdul Gaffar Khan	30
775.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11	National Highway No. 11	30—31
776.	एशिया फाउंडेशन	Asia Foundation	31
777.	भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases	32
778.	महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report	32
779.	बस्तर नरेश और अन्य आदिवासियों की हत्या	Murder of Bastar Ruler and other Adivasis	32—33
780.	किराये के विमानों की भारत को अनिश्चित उड़ानों की अनुमति	Permission for non-schedule chartered flights to India	33—34

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

4539.	भाषाओं के विकास के लिए गुजरात को सहायता	Assistance for development of Languages in Gujarat	34—35
4540.	गुजरात के संग्रहालयों के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Gujarat for Museums	35
4541.	नकली डिग्रियां	Bogus Degrees	36
4542.	चीन मूलक भारतीय नागरिक	Indian citizens of Chinese Origin	36
4543.	छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत तकनीकी छात्रों को अवसर	Opportunities for Technical Students under Stipendiary Scheme	37
4544.	चालकों के प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए लाइसेंसिंग पद्धति	Licensing system for Driver Training Centres	37—38
4545.	अनिवार्य रूप से हिन्दी सिखाना	Compulsory Teaching of Hindi	38
4546.	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल	Indian School of International Studies	38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4547.	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा की पदालि में चुने गये उम्मीद-वार	Candidates selected in IAS/IPS Cadres	39
4548.	केन्द्रीय सेवा में प्रवेश करने वालों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन	Verification of Antecedents of Entrants to Central Service	39
4549.	विगत राष्ट्रपति शासन के दौरान केरल में कुन्निक्कल नारायण को लिखे गये पत्रों का सेंसर किया जाना	Censor of letters Addressed to Kunni-kkal Narayanan in Kerala during last President's Rule	39
4550.	गत राष्ट्रपति के दौरान केरल में नजरबन्द व्यक्तियों को लिखे गये पत्रों का सेंसर किया जाना	Censoring of letters addressed to detenues in Kerala during last President Rule	40
4551.	पाकिस्तान के सम्मानित व्यक्तियों का पटौदी के नवाब के विवाह में उपस्थित होना	Pak. Dignitaries attending the mar-riage of Nawab of Pataudi	40
4552.	पर्यटन के विकास हेतु विदेशों में प्रचार	Publicity abroad for developing Tourism	41
4553.	इंडियन एयर लाइन्स कार-पोरेशन के कर्मचारी	Employees of IAC	41—42
4554.	नेफा में चीन समर्थक तत्वों के विरुद्ध जांच	Investigation against pro-China Ele-ments in NEFA	42
4555.	केन्द्रीय सरकार के हिन्दी सलाहकार द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Hindi Adviser to Central Government	42
4556.	तथाकथित पारपत्र घोटाला	Alleged Passport Scandal	42—43
4557.	खेलों के स्तर में गिरावट	Deteriorating Standard of Games	43
4558.	दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा पद्धति में सुधार	Reforms in system of Examinations conducted by Delhi University	43
4559.	फराश खाना, दिल्ली में पाया गया औरत का शव	Woman's body found in Farash Khana, Delhi	43 - 44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4560.	आसाम को नदी परिवहन मार्ग	River Route to Assam	44
4561.	गुजरात में पुरातत्वीय खोज	Archaeological Exploration in Gujarat	44—45
4562.	भारतीय नौवहन निगम	Shipping corporation of India	45—46
4563.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के तकनीकी कर्मचारी	Technical Staff of Central Hindi Directorate	46
4564.	इंडियन गजेटियर का प्रकाशन	Publication of Indian Gazetters	46
4565.	चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों तथा पुलों का सुधार	Improvements of Roads and Bridges in Fourth Plan	47
4566.	भारत बर्मा सीमा पर मोरेह में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spy at Morcho on the Indo-Burma Border	47
4567.	कोचीन बन्दरगाह में मिट्टी का जमा होना	Sitting in Cochin Harbour	47—48
4568.	कुछ राज्यों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Entry of Indians in some States	48
4569.	पत्तनों का विकास	Development of Ports	49
4570.	दिल्ली में सड़कों की मरम्मत	Repair of Roads in Delhi	49
4571.	दिल्ली में शीघ्रता से मकानों के नक्शों का अनुमोदन और कारखानों के लिए लाइसेंसों का दिया जाना	Expeditious approval of House plans and issue of licenses to Factories in Delhi	49—50
4572.	दिल्ली में यमुना पर पुल	Bridge over River Jamuna in Delhi	50
4573.	केन्द्रीय समुद्री डिजाइन कार्यालय	Central Marine design Office	50
4574.	सरकारी कर्मचारियों की विदेशी पत्नियां	Foreign wives of Government Official	50—51
4575.	जलकन्देश्वर मन्दिर में मूर्ति की स्थापना	Installation of idol in Jalkadeshwar Temple	51
4576.	भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र	Centres for scientific research in India	51—52

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4577.	सीमाओं पर मारे गये जवान	Jawans killed on Borders	52
4578.	चंडीगढ़ में कर	Taxes in Chandigarh	52
4579.	चंडीगढ में बिजली उप-कर	Electricity levy in Chandigarh	53
4580.	चंडीगढ़ में श्रमिक बस्तियों में सड़कों के किनारे बत्तियां	Street lights in Labour Colonies in Chandigarh	53—54
4581.	1971 में जनगणना कार्य	Census operations 1971	54
4582.	दिल्ली नगर निगम को राजस्व की हानि	Loss of Revenue to Delhi Municipal Corporation	55
4583.	केन्द्रीय स्कूलों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की संख्या में कमी	Drop in students from non-Hindi speaking areas in Central Schools	55—56
4584.	भारतीय नौवहन	Indian Shipping	56
4585.	विदेशों से जहाजों की खरीदारी	Purchase of Ships from Abroad	56
4586.	मोटर गाड़ियों पर करारोपण	Taxation on Motor Vehicles	56
4587.	मुगल लाइन लिमिटेड	Mogul line Ltd.	57
4588.	भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध आन्दोलन	Drive against corrupt officials	57
4589.	बम्बई पोर्ट पाइलेट्ज़ सर्विसेज़ एसोसिएशन	Bombay port pilotage services Association	57—58
4590.	लक्कादीव द्वीपसमूह में सब जज/तहसीलदारों की नियुक्ति	Appointment of sub-judge/tehsildars in Laccadive Islands	58—59
4591.	एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का लाभ और हानि	Loss or profit of Air India and IAC	59
4592.	सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Enquiry against Government and non-Government employees	59
4593.	नागा/मिजो/कुकी विद्रोहियों द्वारा आत्म समर्पण	Surrender by rebel Nagas/Mizos/Kukis	60
4594.	भू-राजस्व पर शिक्षा उपकर	Education cess on land revenue	60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4595.	दिल्ली परिवहन उपक्रम को दिया गया ऋण	Loan given to DTU	60—61
4596.	शेख अब्दुल्ला का प्रैजीडेन्ट अय्यूब खाँ को पत्र	Sheikh Abdullah's letter to President Ayub Khan	61
4597.	श्री देशबन्धु चित्तरंजन दास की जन्म शताब्दी	Birthday centenary of Shri Deshbandhu Chittaranjan Das	61
4598.	दिल्ली में देशबन्धु चित्तरंजन दास की मूर्ति	Statue of Deshbandhu Chittaranjan Das in Delhi	62
4599.	बिदेशी शिक्षा साहित्य	Foreign Educative Literature	62
4600.	तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में विद्यार्थियों का आन्दोलन	Students' Agitation in Telengana and Andhra Pradesh	63—64
4601.	बिहार के राज्यपाल के व्यवहार का विरोध	Protest against Bihar Governor's behaviour	64
4602.	पश्चिम जर्मनी के साथ विमान सेवा करार	Air agreement with West Germany	64—65
4603.	दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स सेंटर (भौतिकी केन्द्र) में सुपर कंडक्टिविटी (अति संवाहकता) तथा सुपर फ्लूडिटी (अति तरलता) पर संयुक्त अनुसंधान	Joint Research on Sugar Conductivity and sugar fluidity at Delhi University's Physics Centre	65
4604.	वर्ष "1970" का अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाना	"1970" as an International Educational Year	66
4605.	राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड	National Harbour Board	67
4606.	कारवार पत्तन का विकास	Development of Karwar Port	67—68
4607.	टैनिस की गैंदों की कमी	Scarcity of Tennis Balls	68
4608.	मध्य प्रदेश में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads in Madhya Pradesh	68—69
4609.	विमान यात्रा टिकटों पर छात्रों को मिलने वाली छूट का दुरुपयोग	Misuse of Students' concession on Air ticket	69
4610.	सड़क विकास योजनाएं	Road Development Plants	70

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
4611. साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं	Government's schemes to eliminate Communalism	70—71
4612. पुलिस दल में अल्पसंख्यकों की भर्ती	Recruitment of Minorities to Police Force	71
4613. पुलिस में भ्रष्टाचार	Corruption among Police	71
4614. विमान किराये में कमी	Reduction in Air fares	71—72
4615. कटक में विस्फोटक बनाने वाली सामग्री का बरामद होना	Material for manufacture of explosives recovered at Cuttack	72
4616. कालेज अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए कल्याण निधि बनाना	Creation of Welfare Funds for College Teachers and Students	72—74
4617. चतुर्थ योजना के लिऐ नेशनल बुक ट्रस्ट की कार्यकारी योजना	Working Plan of National Book Trust	74—75
4618. कटक में विस्फोट	Explosion in Cuttack	75
4619. केन्द्र के सचिवों का उनके राज्यों को तबादला	Transfer of Secretaries at Centre to their States	75
4620. असैनिक कर्मचारियों में व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना	Introduction of Professionalism among Civil servants	76
4621. मंत्रालयों के सांख्यिकी प्रतिवेदनों का हिन्दी संस्करण	Hindi version of statistical Reports of Ministries	76
4622. उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पटनायक तथा अन्य भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे खन्ना आयोग का प्रतिवेदन	Khanna Commission Report on Allegations against the ex-Orissa Chief Minister Shri Patnaik and other ex-Ministers	76—77
4623 भारत का बैंगकाक में प्रशांत क्षेत्र पर्यटन संघ के सम्मेलन में भाग लेना	India's participation in Pacific Area Travel Associations Conversation at Bangkok	77
4624. हवाई अड्डों के लिए दमकल	Fire tenders for Airports	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4625.	भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा	Maximum Age limit for IAS Examination	78
4626.	राजस्थान में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी गुप्तचर	Pak spies arrested in Rajasthan	78—79
4627.	दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग का पुनर्गठन	Re-organisation of vigilance department of Delhi Police	79
4628.	सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी आयोग समितियां	Commission/Committees on Road Transport Industry	79
4629.	सरकारी कर्मचारियों को मध्याह्न भोजन देने के लिए विभागीय व्यवस्था	Departmental establishments for providing lunch to Government Employees	79—80
4630.	पालम हवाई अड्डा	Palam Airport	80
4631.	नेपाली भाषा की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद	Translation of Books in Nepali Language into Indian Languages	80
4632.	राजस्थान में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा जनजातियों के लोगों का धर्म परिवर्तन	Conversion of Tribal people by missionaries in Rajasthan	80
4633.	अग्रिम उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद	Pilot production training centre, Hyderabad	80—81
4634.	अंदमान को नौका अभियान	Rowing Expedition to Andamans	81
4635.	तीसरी तथा चौथी श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती पर प्रतिबन्ध	Ban on recruitment to class III and IV Posts	82
4636.	चौथी योजना में विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए परिव्यय	Outlay far different types of Education in the Fourth Plan	82—83
4637.	मनीपुर के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay scales of Manipur Education Department's Employees	83
4638.	सलाहकार समिति द्वारा मनीपुर की चौथी योजना के प्रारूप पर विचार	Consideration of Draft Fourth plan of Manipur by Consultative Committee	83—84

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
4639. दक्षिण एशियाई देशों का पर्यटन सम्बन्धी सम्मेलन	Conference of South Asian countries on Tourism	84
4640. राजस्थान में राजस्थान परमाणु बिजली घर और बारुली तथा गांधी सागर को पर्यटक केन्द्रों के रूप में मान्यता	Recognition of Rajasthan Atomic Power Station and Baruli and Gandhi Sagar in Rajasthan as Tourist Centres	84
4641. राजस्थान में होटलों और पर्यटक जलपान गृहों का अभाव	Dearth of Hotels and Tourist Restaurants in Rajasthan	84—85
4642. मंगलौर पत्तन परियोजना	Mangalore Harbour Project	85
4643. सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा संहिता	Service Code for Government Employees	85—86
4644. सीमावर्ती विवादों और गुण्डागर्दी तथा लूटपाट की घटनाओं के कारण हानि	Loss due to Border Disputes and Vandalism and looting	86
4645. मनीपुर असैनिक सेवा कर्मचारियों के लिए सिलेक्शन ग्रेड	Selection Grade for Manipur Civil Service	87
4646. मनीपुर के अध्यापकों के लिए सिलेक्शन ग्रेड	Selection Grade for Teachers of Manipur	87
4647. मनीपुर में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल छोड़ने सम्बंधी प्रमाण पत्र परीक्षाएं	Primary and Middle School leaving certificate Examinations in Manipur	88
4648. मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय पर्यवेक्षक की रिपोर्ट	Report of India's Observer to Maxico Olympic Games	88—89
4649. राजकीय परिवहन निगमों को परिवहन करों से छूट	State Transport Corporations Exemption from Transport	89
4650. हूजहू इन सी० आई० ए०	Who's who in CIA	89
4651. मानोपाधियां देना	Conferring of Honours	90
4652. चम्पारन जिले में सीमावर्ती सड़कें	Lateral Roads in Champaran District	90—91

अता० प्र० संख्या U. S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4653.	पारादीप पत्तन से मिट्टी निकालना	Dredging of Paradeep Port	91
4654.	रामेश्वरम से एक नहर खोदना	Digging of Canal Across Rameshwaram	91—92
4655.	जहाज निर्माण के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में करार	Agreement for Credit Facilities for Ship building	92
4656.	खोसला आयोग का प्रतिवेदन	Khosla Commission Report	92—93
4657.	नई दिल्ली स्थिति भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था के कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Staff of IIT, New Delhi	93
4658.	दिल्ली में पालिटैकनिकों में अंशकालिक बी तकनीकी पाठ्यक्रम का जारी रखा जाना	Constitution of Part time 'B' Technical Course in Delhi Polytechnic	94
4659.	मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से धन दिया जाना	Grant of Funds from Central Roads Fund to Madhya Pradesh	94—95
4660.	जिला गजेटियरों के संकलन तथा प्रकाशन के लिए मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for Compilation and Publication of District Gazetters	95
4661.	संग्राहलयों के विस्तार के लिए मध्य प्रदेश को सहायता	Assistance to Madhya Pradesh for Expansion of Museums	95—96
4662.	कलकत्ता से अन्दमान के लिए गया खोजी (गवेषक) दल	Explorers unit Bound for Andamans from Calcutta	96
4663.	गांधी जी के पत्रों का गांधी स्मारक संग्रहालय को दिया जाना	Handing over of Gandhiji's Letters to Gandhi Memorial Museum	96—97
4664.	उत्तर प्रदेश मे बस्ती जिले के कपिया गांव में खोज तथा खुदाई कार्य	Exploration and Excavations in Village Kapia, District Basti U.P.	97
4665.	मंत्रियों के लड़कों तथा लड़कियों को विदेशी सरकारों और दूतावासों में नियुक्ति	Employment of Ministers' sons and daughters under Foreign Government and Embassies	97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4666.	फिनलैंड के विद्वानों द्वारा सिन्धु लिपि को पढ़ा जाना	Deciphering of Indus script by Finnish Scholars	98
4667.	गांवों में अंशकालिक पुलिसमैन की नियुक्ति	Appointment of Part Time Rural Policeman	98
4668.	राज्यों में पिछड़े वर्गों के लिए पद सुरक्षित करना	Reservation for Posts for Backward Classes in States	98—99
4669.	केन्द्र प्रशासित राज्य क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था	Law and order in Centrally Administered Territories	99
4670.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सम्बन्धी जांच समिति	Enquiry Committee on Banaras Hindu University	99—100
4671.	महिलाओं में साक्षरता	Literacy among Women	100—101
4672.	केरल में अन्र्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Development of Inland Waterways in Kerala	101—102
4673.	एयर इंडिया कलैंडर, 1969	Air India Calendar 1969	102
4374.	गालिब शताब्दी समारोह	Ghalib Centenary Celebrations	102—103
4675.	तकनीकी अर्हता सम्बन्धी डिप्लोमा	Diploma of Technical Qualifications	103
4676.	मंत्रियों पर व्यय	Expenditure on Ministers	103—104
4677.	खेलों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति	National Policy for Sports	104
4678.	विदेशों में कार्य करने वाले प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक	Eminent Indian Scientists working in Foreign Countries	104—105
4679.	संयुक्त सलाहकार परिषद् की बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधि	Staff Representatives at J.C.M. Meeting	105
4680.	विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा	Regional Languages as Media of Instruction in Universities	105—106
4681.	पख्तून लोगों के स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास	History of freedom struggle of Pakhtoon people	106—107
4682.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति	Reinstatement of Central Government Employees in West Bengal	107

अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4683.	नेफा में पंचायती राज व्यवस्था	Panchayati Raj system in Nefa	107
4684.	बम्बई हैदराबाद राजपथ पर दुर्घटनायें	Accidents on Bombay Hyderabad National Highway	107—108
4685.	शोलापुर (महाराष्ट्र) में नया हवाई अड्डा	New Airport in Sholapur (Maharashtra)	108
4686.	अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट	International Hockey Tournament	108—109
4687.	दिल्ली में बारह वर्षीय बालिका के शव का पाया जाना	Dead Body of 12 Year Old Girl found in Delhi	109
4688.	विद्रोही मिजो/नागाओं द्वारा सैनिक अधिकारियों का मारा जाना	Army officers killed by Hostile Mizos/Nagas	109—110
4689.	श्रीनगर के सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गीत गाये जाते समय लोगों का चले जाना	Walk out by Public during playing of National Anthem in Srinagar Cinema Houses	110—111
4690.	नौवहन टन भार क्षमता में वृद्धि	Increase in Shipping Tonnage	111
4691.	दिल्ली में प्री इंजीनियरिंग संस्थायें	Pre-Engineering Institutes in Delhi	111—112
4692.	1969-70 से आय व्ययक प्रस्तावों के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन की माँगें	Demands of Delhi Administration under Budget proposals for 1969-70	112
4693.	परीक्षा सुधार सम्बन्धी विचार गोष्ठी	Seminar on Examination Reform	112—113
4694.	राष्ट्रीय राजपथों के लिए धन का नियतन	Allocation of Funds for National Highways	113
4695.	विद्यार्थियों के भारत भ्रमण की विश्वविद्यालय आयोग की योजना	UGC'S plan for All India Tour of Students	113—114
4696.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इसरायल के शिक्षा शास्त्री का पीटा जाना	Beating of Israeli Educationist in Aligarh University	114 -115

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4697.	भारत की भाषा समस्या का समाधान	Solution for India's Language Problem	115
4698.	पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spy	115—116
4699.	टीटागढ़ में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करना	Deployment of C.R.P. in Titagarh	116
4700.	मानदेय भत्ते पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारी	Government Officials working on Honorarium	116
4701.	संघ राज्य क्षेत्रों में गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान	Grants to Privately Managed Schools in Union Territories	116—117
4702.	सेना मुख्यालय में अफसर पर्यवेक्षक (आफिसर सुपरवाइजर) के समान पदों के वेतनमान में संशोधन	Revision of Pay Scales of Equivalent posts of Officer supervisors of Army Headquarters	117
4703.	सेतुसमुद्रम परियोजना जांच प्रतिवेदन	Sethusamundram Project Investigation Report	117—118
4704.	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार	National Archives of India	118—119
4705.	स्वार्थी सरकारी कर्मचारियों के आवेदनों को भेजने संबंधी प्रक्रिया	Procedure for forwarding applications of permanent Government Servants	119—121
4706.	दिल्ली में दुर्घटनाएं	Accidents in Delhi	121
4707.	शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against officers of Ministry of Education	121—122
4708.	मैसूर राज्य में येरमारेस (रायचूर) में हवाई अड्डा	Aerodrome of Yermaras (Raichur), Mysore State	122
4709.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण	Inter-State transfer of High Court Judges	122 – 123
4710.	दिल्ली के गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी लोग	Pakistanis arrested in Delhi	123
4711.	मैथिली भाषा का दर्जा	Status to Maithili language	123

*ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4712.	प्रतिरक्षा सेवाओं में प्रशासनिक ढांचा	Administrative set up in Defence service	123—124
4713.	मनीपुर के माओ सब डिवीजन में चीन से प्रशिक्षण प्राप्त विद्रोही नागाओं का प्रवेश	China trained Naga hostiles entering Mao sub-division of Manipur	124
4714.	एक अन्तर्राष्ट्रीय जालसाज के पास विदेशी पारपत्रों का होना	Possession of Foreign Passports by an International Racketeer	124—125
4715.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज तिरुचेरापल्लि	Regional Engineering College Tiruchchirapalli	125
4716.	मदुरै के एक कालेज में राष्ट्रीय गीत का तमिल में गाया जाना	Singing of Tamil Version of National Anthem in a Madurai College	125—126
4617.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बहाली	Re-instatement of Central Government Employees	126
4718.	नगरों में लाई गई वस्तुओं पर सीमाशुल्क	Customs duty on Goods brought into Cities	126—127
4719.	भारत और अन्य देशों में तिब्बती छात्रों के लिये शिक्षा	Education for Tibetan students in India and abroad	127
4720.	भारत प्रमेद्योगिकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का दाखिला	Admission of scheduled caste and scheduled tribe students in I.I.Ts.	127—128
4821.	रांची के दंगों पर दयाल आयोग का प्रतिवेदन	Dayal Commission Report on Ranchi Riots	128
4722.	दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० ए० की कक्षाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence course for M.A. Classes in Delhi University	128
4723.	पर्यटकों को परेशान किया जाना	Harassment to Tourists	128—129
4724.	महाराष्ट्र में भाषा सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करना	Collection of linguistic Data in Maharashtra	129

*ता० प्र० संख्या U. S. O. Nos,	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4725.	जनगणना के प्राथमिक आंकड़ों का एकत्र किया जाना	Collection of Primary Census Data	129—130
4726.	सवर्णराभा नदी पर पुल का निर्माण	Construction of a Bridge over River Sabarnarabha	130
4727.	उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास	Development of Minor Ports in Orissa	130—131
4728.	डा० धर्मतेजा की अंगुलियों के निशान	Finger prints of Dr. Dharam Teja	131
4729.	असैनिक उड्डयन के लिए सुपरसोनिक विमान	Supersonic Aircraft for Civil Aviation	131
4730.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Central Government Employees	132
4731.	दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों की बर्खास्तगी के लिए ज्ञापन	Memorandum for Dismissal of Executive Councillors of Delhi	132
4732.	दिल्ली में फ्रांसीसी पर्यटकों का लूटा जाना	Robbing of French Tourists in Delhi	132
4733.	तोड़फोड़ करने के लिए साम्यवादियों की कथित योजना	Alleged Communist Plan for Subversion	133
4734.	उदयपुर (राजस्थान) में नेहरू पार्क तथा अन्य स्थानों का विकास	Development of Nehru Park and other places in Udaipur (Rajasthan)	133
4735.	पश्चिम बंगाल के साम्यवादी नेताओं को मारने का कथित षड़यन्त्र	Alleged plot to kill Communist leaders of West Bengal	133
4736.	बच्चों तथा आम लोगों के लिए पुस्तकों का सरकारी क्षेत्र में प्रकाशन	Publishing books for children and common man in public Sector	134
4737.	बिहार में पर्यटन केन्द्र	Tourist places in Bihar	134—135
4738.	सड़क संगठनों द्वारा मशीनों और उपकरणों की खरीद	Purchase of Machinery and equipment by Road Organisations	135

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to Matter of Urgent Public Importance	136
पाकिस्तान की हाल की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में	Recent political developments in Pakistan	136
श्री पिलु मोदी	Shri Piloo Modi	136
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	136—138
तेलंगाना की स्थिति के बारे में	Re. situation in Telengana	138
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	138—139
राज्य सभा से प्राप्त सन्देश	Message from Rajya Sabha	139
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill	139
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	139
72वां प्रतिवेदन	Seventy-second Report	139—140
अनुदानों की मांग	Demands for Grants	140
गृह-कार्य मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	140
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	140—141
श्री श्री० अ० डांगे	Shri S. A. Dange	141—143
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	143—144
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ibrahim Sulaiman Sait	144—145
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	145—148
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	148—149
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	149—150
गैर सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	150
46वां प्रतिवेदन	Forty-sixth Report	150
हिमाचल प्रदेश के दर्जे से सम्बन्धित संकल्प वापस लिया गया	Resolution re. status of Himachal Pradesh—withdrawn	150
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	150—152
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	152—153
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	153—154
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	154—155
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	155

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	155—156
श्री जय पाल सिंह	Shri Jaipal Singh	156
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	156—157
श्री श्रद्धाकर सुपाकर	Shri Sradhakar Supakar	157
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samant	157
श्री पाम्रोकाई हाम्रोकिप	Shri Paokai Haokip	157—158
श्री इरास्मो डे सेक्वीरा	Shri Erasmo de Sequeira	158
श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	158—159
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	159—160
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	160
श्री जनार्दन जगन्नाथ शिंकरे	Shri Shinkre	160
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	160
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	160—161
श्री जी० जी० स्वैल	Shri G. G. Swell	161
श्री भोला नाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	161
श्री प्रताप सिंह	Shri Pratap Singh	161
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	161
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	161—163
राज्यपाल की शक्तियां तथा उसके कृत्य सम्बंधी संकल्प	Resolution for powers and functions of Governors	164
श्रीमती सुशीला रोहातगी	Shrimati Sushila Rohtagi	164
साबुनों पर लेबल के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion lebels on soaps	165
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	165
श्री दा० रा० चव्हाण	Shri D. R. Chavan	165—168

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 28 मार्च, 1969/7 चैत्र, 1891 (शक)

Friday, March 28, 1969/Chaitra 7, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

टैक्सी वालों की हड़ताल के बारे में

RE : TAXI STRIKE

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Sir, so many Members have not been able to come to the House because of the taxi strike.

An Hon. Member : But you have come.

Shri George Fernandes : We have reached because we are concerned with the strike.

अध्यक्ष महोदय : टैक्सी वालों की हड़ताल के बारे में बहुत से लोगों ने मुझे लिखा है। आप में से जो सदस्य इस मामले को यहाँ उठा रहे हैं वे किसी न किसी तरह आ गये हैं।

Shri George Fernandes : Sir, I have to make a simple complaint that some arrangement should have been made by Lok Sabha Secretariat so that Members could reach here without difficulty.

Shri Om Prakash Tyagi : Question No. 751.

श्री जयपाल सिंह : मैं प्रश्न की ग्राह्यता के बारे में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमों के नियम 41 (2) (सात) में कहा गया है :—

"वह उस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्यतया भारत सरकार का विषय न हो।"

इससे आगे उप-खंड (सोलह) में कहा गया है : —

"उसमें ऐसे निकायों या व्यक्तियों के नियंत्रण के अन्तर्गत विषय नहीं उठाये जायेंगे जो मुख्यतया भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी न हों।"

मुझे मालूम है कि आप मुझ से "मुख्यतया" शब्द की परिभाषा पूछेंगे। परन्तु मैं समझता हूँ कि यहां उपस्थित लोगों में से अधिकांश की अपेक्षा मैं अंगेजी बेहतर जानता हूँ और मेरा विचार है कि इस प्रश्न को गृहीत नहीं किया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न न केवल गृहीत ही किया गया है बल्कि पूछा भी गया है। माननीय सदस्य ने मुझे लिखा था और मैंने उन्हें सभा-कक्ष में भी "मुख्यतया" शब्द के बारे में बताया था। हम बहुत से लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करते हैं, चाहे वे सीधे भारत सरकार के साथ उनका सम्बन्ध न हो। यह प्रश्न गृहीत कर लिया गया है और पूछ लिया गया है। मैं शिक्षा-मन्त्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध करता हूँ।

Irregularities in Accounts of Wrestling Federation of India

***751. Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chartered Accountants have raised serious objections about the accounts of the Wrestling Federation of India for the year 1967 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government against the persons responsible for misappropriation and irregularities of public funds ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The report of the Chartered Accountants on the accounts of the Wrestling Federation of India for the year 1967-68 does not appear to contain any serious objections. Since, however, a grant of Rs. 90,000/- (Rupees ninety thousand only) was paid by the Government to the Federation for organising XVII World Wrestling Championships at New Delhi in Free style in November, 1967, the Comptroller and Auditor General of India has instituted a 'special audit' for the relevant accounts. His report is awaited.

(c) Does not arise at this stage.

Shri Om Prakash Tyagi : The reply just now given by the Hon. Minister is baseless, incorrect and misleading. He said that there was nothing objectionable in the Chartered Accountant's report. I want to refer to only a few points.

"(क) वाउचरों पर नम्बर नहीं दिये गये हैं।

(ख) कुछ मामलों में 20 रुपये से अधिक के भुगतानों की टिकट-सहित रसीदें नहीं हैं।

(ग) किये गये भुगतानों की अनेक रसीदों पर भुगतान की तारीख नहीं दी गई है।

(घ) एक किंगस्टन जमायका में राष्ट्रीय मण्डलीय खेल-कूद (दो) बंगकाक में एशियाई खेल-कूद और (तीन) ईरान के दल की यात्रा के सम्बन्ध में खर्च तथा/अथवा आय को वर्ष के समाप्त हो जाने के पश्चात रोकड़ बही में शामिल किया गया यद्यपि इनके बारे में लेन-देन बहुत पहले हो चुका था।

(ङ) नकद शेष न हर रोज निकाला गया और न ही हर मास और यह मन्त्री फेडरेशन के खर्चों की पूर्ति के लिए अपनी जेब में से करते रहे हैं जिसके लिए उन्हें वर्ष की समाप्ति पर एकमुश्त राशि दी गई।

(घ) श्री चानन सिंह की ओर से अदा किये गये यात्रा व्यय में 2000 रुपये की राशि दिखाई गई है परन्तु उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है।"

The Chartered Accountant has levelled such charges, even then it has been stated that there was nothing objectionable in that.

There is one thing more important than this : Such wrestlers have been selected in the Wrestling Federation of India as were unable to secure even a single gold medal for India ih the last Mexico Olympic Games. What is the main reason for which our country had to face such defeat there ? The main reason is that corruption is prevalent in the matter of selection of players and wrestlers, wrestlers are selected by receiving money from them. Recently a competition was held at Guntur where a wrestler of Pakistan, who is a Pakistani national, was entered in the competition as a Wrestler of Punjab—such things have happened there...

Shri Sita Ram Kesri : He might have born in India.

Shri Om Prakash Tyagi : Not only this, no action was taken against those responsible for misbehaviour with the girls in Tokyo. I do not want to go into those things.

I want to ask the Government whether an Inquiry Commission would be appointed to look into the corruption and injustice meted out to the players and would give an assurance that the guilty persons should be punished ?

Shri Bhakt Darshan : The Hon. Member has at first said that the House has been misled and I think that the House will not agree to that. In reply to the original Question I said "No serious objection" has been raised......(*Interruption*)......most of the objectives relate to irregularities and not to any defaulcation. As I stated earlier a special audit is being done in this regard as a result of which some conclusions would be reached and on which it would be possible to throw light.

So far as the question of irregularities by the Wrestling Federation is concerned, I want to tell the House that on receipt of a complaint in this regard, inquiry is being conducted through C.B.I.

Shri Om Prakash Tyagi : I have a memorandum which I want to lay on the Table of the House...

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा कि यह ग्राह्य है या नहीं।

Shri Om Prakash Tyagi : My second question is in view of the corruption indulged in it seems that either the Government have no control over the Wrestling Federation of India or Government Officials are also party to it. Do Government propose to take some constitutional step so that in future such corruption is not indulged in and most capable players could get an opportunity to make a headway without any hitch ?

Shri Bhakt Darshan : Before replying to this question I want to make it clear that the allegation that the Officers concerned of the Ministry of Education are involved in it is totally baseless. It should be repudiated and the Hon. Member should give up this impression.

As I said, inquiry is being held by C.B.I. and special audit is being done separately. I would, therefore, request Hon. Members to have patience for a few days more. The House would soon come to know of the outcome.

Shri N. S. Sharma : The Hon. Minister feels that the charges are not so serious. By giving examples I want to point out how serious the charges are. The son of the

Secretary General of the Association is living in England for the last 12 years as a wrestling coach whereas he is not in any way connected with wrestling here. After reaching England he has entered service. I am prepared to lay on the Table information to the effect that bribe is accepted from all such wrestlers who want to go abroad. Besides, the Secretary General attaches his three or four relatives to every wrestling team which goes abroad. This Secretary General is indulging in such activities for the last 12 years. In this country of *Gama* and *Ram Mutti*, whosoever wants to become a good wrestler must have only one qualification. i.e., that he should offer one or two thousand rupees to the Secretary General and get his name entered for Tokyo or for any other place.

All these charges are very serious and a negative reply from the Minister will not be sufficient in this regard. I may either be allowed to lay these charges on the Table of the House or I can tell the Minister about them separately. There are certain other serious charges. The enquiry being made through the C.B.I. relates to accounts. May I know whether the Minister would institute a thorough enquiry to go into the details as to how one or two persons of the Federation are defaming the wrestling in India ?

Shri Bhakt Darshan : The points raised by the Hon. Member can be divided into three parts. First of all, he may send all those papers to me which he wants to place before the House so that they may be scrutinized. Secondly, the inquiry being conducted by the C.B.I, is not only about the accounts—special auditing is being done about accounts—but it is also being made about irregularities and favouritism. The third point raised is that the son of the Secretary went to England for training in wrestling.

An Hon. Member : Not one but two (*Interruption*).

Shri Bhakt Darshan : Sir, it may be that he might have many sons.

Shri Randhir Singh : Two persons were sent on Government expense and they are not returning. (*Interruption*)

Shri Bhakt Darshan : Sir, I cannot say definitely on to how many sons he has. Chaudhary Sahib knows better.

Shri Randhir Singh : Two have gone to England.

Shri Bhakt Darshan : The enquiry made by us has resolved that one of his sons went to England for coaching in wrestling. It is surprising that the Wrestling Federation did not indicate at the time of sending his name that he was the son of the Secretary. (*Interruption*) Moreover, he was sent for a period of 6 months only, but he remained there for 1½ years. This is true that he has not come back...(*Interruption*)...It is true that he had, for some reasons, to stay there for 1½ years instead of 6 months, but he has now returned to the country safe and sound: There matter as to how what benefit accrued to him while he was in England, how he was allowed to go and how the Reserve Bank released the foreign exchange are being investigated. All these aspects are being looked into.

अध्यक्ष महोदय : कुमारी कमला कुमारी ।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमन् यदि आप......

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन् क्या यह कुमारी कमला कुमारी हैं ।

श्री जयपाल सिंह : कुमारमंगलम । यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने प्रश्न के बारे में एक वक्तव्य दूंगा क्योंकि मैं इस बात को काफी गम्भीर समझता हूं । मेरा कई संस्थाओं तथा संघों से कई वर्षों से सम्बन्ध रहा है । मैं जानता हूँ कि ये प्रश्न कैसे उठे हैं । मैं यहाँ......

श्री कंवर लाल गुप्त : श्रीमन् यह आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपने प्रश्न पर चर्चा कीजिये।

श्री जयपाल सिंह : श्रीमन् मैंने प्रतिवेदन देखा है और मैं उसमें लगाये गये प्रत्येक आरोप को स्वीकार करता हूँ। मैं महा-सचिव अथवा श्री चरणसिंह अथवा किसी अन्य व्यक्ति का पक्ष नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि रैसलिंग फेड्रेशन का अध्यक्ष वह व्यक्ति है जो इस सदन का एक भूतपूर्व सदस्य है, सरकार का उपमंत्री रहा है और जिसने अपनी जेब से लाखों रुपये इस सम्बन्ध में खर्च किये हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न कीजिये।

श्री जयपाल सिंह : यह सब कुछ कहने के बाद मैं इस सभा के बाहर अपने मित्रों तथा लोक-सभा से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को याद रखें कि इस प्रकार के प्रश्नों का संबंध विदेशों से होता है। प्रश्न यह है कि हमको अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्ट समितियों तथा दूसरे देशों के रैसलिंग फेड्रेशनों से निपटना पड़ता है। अतः सही अथवा गलत जो भी है यहाँ अखिल भारतीय खेल परिषद मौजूद है तथा माननीय मंत्री ने यह कह दिया हैं कि नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक एक विशेष लेखा-परीक्षा करने जा रहे हैं। इस विषय को ऊपर छोड़ दीजिये तथा उसके परिणामों की प्रतीक्षा कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न पर आइये।

श्री जयपाल सिंह : मेरा जो प्रश्न है वह यह है कि आपने इस प्रश्न को उठाने की अनुमति क्यों दी ?

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कछवाय इस विषय पर प्रकाश डालें।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, I have been associated with the art of wrestling. Today, the Government are neglecting the Indian Sports and encouraging the foreign sports, such as Hockey, Volleyball. But the Wrestling, Kabaddi, Khokho games are not being encouraged to that extent. May I know whether Government have any schemc and what steps they are going to take to promote Indian Sports and to provide more and more assistence therefor ?

Secondly, last year the Association sent sportsmen in 18 countries for such sports and spent a lot of money but those sportsmen brought with them Radios, Cameras and Watches and they were also apprehended by the Custom Department. I would like to know whether this tradition is still continuing that one who can afford to advance two to four thousand rupees is considered to be a sportsmen and other are not considered to do so ? For example, the bribes were demanded from Hazari Association, but it did give. As a result, this was not registered. What action is proposed to be taken in this regard.

Shri Bhakt Darshan : Sir, it does not appear to be necessary to reply to second part of the question of the Hon. Member. As far as the first part is concerned, all efforts are being made to promote Indian Sports. For example, the Wrestling Federation of India organises Free-Style or Greeco-Roman Style Wrestling, whereas the

Wrestling Association of India is organising Indian Style Wrestling, which has also been recognized. It is promoting Indian Style of Wrestling and we are providing full assistence on this regard.

Shri Randhir Singh : There is one person in this Association known as Diwan Pratap, who is playing havoc. I am thankful that the Hon. Minister is aware of the whole situation. I have received a number of complaint in this regard which I have sent to him. This man is responsible for lowering the standard of Indian Wrestling. He is also responsible for creating disturbances among Wrestlers and Wrestling in my State, Haryana. I, therefore, wish to know whether any date would be fixed to enquire into charges levelled against this person and whether this person would be expelled from the Association so that we may be able to re-established our position in World Wrestling ? So long as this person is there, the Wrestling and Wrestlers of our country would be downed.

Shri Bhakt Darshan : Sir, I appreciate the feelings of the Hon. Member. There is no doubt that there is confusion in Associations of Sports in the country. The All India Council of Sports as well as the Minister have also gone through this aspect. We are putting forth certain suggestions and if they are acted upon, it is hoped that the position would improve a lot. The complaint which I have received from the Hon. Member are being looked into.

संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट

*752. **श्री रा० कृ० सिंह :** **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री हेम राज : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री न० कु० सोमानी : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री मीठालाल मीना : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री प्र० के० देव : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) आयोग द्वारा की गई सिफारिशें पहले ही 29-2-1969 को सभा-पटल पर रखे गये उनके प्रतिवेदन में समाविष्ट है ।

(ग) प्रतिवेदन की सरकार द्वारा परीक्षा की जा रही है ।

श्री हेमराज : क्या प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सभी संघ राज्यक्षेत्रों में सबसे बड़ा राज्यक्षेत्र है और वहां की विधान-सभा, लोगों, कांग्रेस-दल और दूसरे दलों की मांग है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिये। विधान सभा में पेश किये गये बजट

में प्रतिष्ठान व्यय और राजस्व प्राप्तियों में 10 लाख रुपये अतिरिक्त दिखाये गये हैं। फिर केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विषय पर आज दोपहर बाद एक गैर-सरकारी संकल्प के रूप में चर्चा होगी। इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कुछ सिफारिश की है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। हम अन्य अधिकारियों से परामर्श करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।

श्री हेमराज : क्या यह सच है कि इस समय उप-राज्यपाल को राशि मंजूर करने का अधिकार नहीं है और एक सिफारिश यह भी है कि उसे विधान सभा की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार की शक्ति दे दी जानी चाहिये और हिमाचल प्रदेश को राज्य विधान सभा की शक्ति दी जानी चाहिये और यदि हां तो केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये सभी सिफारिशें उस प्रतिवेदन में हैं जो सभा-पटल पर रखा गया है इन सभी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री कृ० मा० कौशिक : चूंकि इनमें से कई राज्य क्षेत्र जीवन-क्षम नहीं हैं। इसलिए क्या सरकार इनमें से कुछ को साथ वाले राज्यों के साथ मिलाने पर विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सर्वविदित है कि ये संघ राज्यक्षेत्र बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में बनाये गये थे। कुछ विदेशी शक्ति के आधीन थे और कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं और वे आर्थिक दृष्टि से जीवन-क्षम नहीं हैं। हमारी नीति यह है कि हम केन्द्रीय सरकार के अधीन उन्हीं राज्य-क्षेत्रों को रखना चाहते हैं जो अत्यधिक आवश्यक हैं, अन्यथा जब स्थिति उपयुक्त होगी तब या तो उन्हें साथ वाले राज्यों में मिला दिया जायेगा या उन्हें राज्य का दर्जा दे दिया जायेगा। हम इन्हें अनिश्चित काल के लिये संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में नहीं रखना चाहते।

श्री क० प्र० सिंह देव : मंत्रियों के लिये यह परपाटी बन गई है जब भी कोई अप्रिय बात होती है तो वे कह देते हैं कि सरकार विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने संघ राज्यक्षेत्रों के लिये वित्त आयोग स्थापित करने की भी सिफारिश की है यदि हां तो सरकार की इस क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस पर भी विचार हो रहा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हम विचार कर रहे हैं वह सभी अप्रिय है। पर विशेष प्रतिवेदन अप्रिय नहीं है। हम सारे प्रतिवेदन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। जहां तक इस सिफारिश का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन सभा के सामने है और माननीय सदस्य इसे देख सकते है।

Shri Sitaram Kesari : As far as I remember, Government had assured that the recommendations of the Administrative Reforms Commission would be implemented but now the Hon. Minister says that they are under consideration. It has been recommended that Manipur would be divided into two parts like Assam. I would like to know the time likely to be taken in dividing Manipur into two districts on the lines of the Hill districts formed on the pattern of reorganisation of Assam and in posting a

Governor or District Magistrate or any Administrator in each of the proposed two districts of Manipur and whether Government propose to do so or not ?

Shri Vidya Charan Shukla : We consider the recommendations of the Commission in all seriousness and it is not correct to say that Government had assured to accept all the recommendations of the Commission. As already stated, we are at present considering the recommendations of the Commission and these recommendations include the recommendation regarding Manipur. We have sent these recommendations to all Union Territories for their comments. Thereafter we propose to call all the Administrators of the Union Territories to decide which of the recommendations are to be implemented and how the difficulties likely to come in the way of implementing these recommendations, can be removed.

Shri Hardayal Devgun : I would like to the reaction of the public to the recommendations made by the Commission in regard to Delhi and whether the Hon. Minister is aware that no political party or leader has welcomed these recommendations and whether in view of what is stated by the Lt. Governor of Delhi in his Address at the time of inaugurating the Delhi Metropolitan Council that the Metropolitan Council is powerless and has no authority and the Central Ministers interfere with its day-to-day working unnecessarily and also in view of the political aspirations of Delhi, Government propose to provide a popular and unified set-up for Delhi and would consider the recommendations of the Commission in the light of such demands of the people of Delhi and would arrive at a final decision in this regard after giving due consideration to the feelings of the people of Delhi. Do the Government propose to give any assurance in this regard ?

Shri Vidy Charan Shukla : The recommendations of the Commission in regard to Delhi are at present under our consideration. We all agree that Delhi has a special importance as it is the capital of the country. Keeping this fact in view, these recommendations would be considered and a final decision taken.

देश में मौसम सम्बन्धी सूचनाएं भेजने के लिये उपग्रह

*758 **श्री रा० बरुग्रा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त देश में मौसम सम्बन्धी सूचनाऐं भेजने वाले एक उपग्रह की भारत में शीघ्र ही व्यवस्था हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दक्षिण एशिया के देशों में मौसम विशेषज्ञ एक दूसरे को मौसम सम्बन्धी समाचार भेजने की वर्तमान सुविधाओं की छानबीन करेंगे और इसमें सुधार का सुझाव देंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पूना में एक मौसम केन्द्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो पूना में इस स्टेशन का क्या लाभ होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सरकार फिलहाल विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बहु-प्रयोजनीय संचार उपग्रह के संचालन के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। मौसम-संबंधी आंकड़ों का राष्ट्रव्यापी आधार पर वितरण करने के लिये ऐसे उपग्रह का उपयोग समस्त प्रयोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मौसम विभाग का पूना में पहले से ही एक मौसम प्रेक्षण एवं पूर्वानुमान केन्द्र है। केवल मात्र मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह केन्द्र (सैटेलाइट स्टेशन) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु पूना क्षेत्र में भू-उपग्रह केन्द्र (अर्थ सैटेलाइट स्टेशन) अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ मौसम सम्बन्धी आंकड़े भी प्रसारित कर सकता है।

श्री रा० बरुआ : हमारी सूचना और ऋतु विज्ञान सम्बन्धी वर्तमान पद्धति बहुत कमजोर है। यह अच्छा है कि सरकार उपग्रह छोड़ने पर विचार कर रही है। उपग्रह सम्बन्धी परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : उपग्रह छोड़ने की परियोजना का समन्वय अणुशक्ति विभाग द्वारा किया जा रहा है चूंकि ऋतु विज्ञान सम्पूर्ण परियोजना का केवल छोटा सा अंग है। यह बहुत मंहगी परियोजना है। एक उपग्रह को छोड़ने पर 200 करोड़ रुपये का व्यय आता है। इस पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है और चौथी योजना में शायद पूरा हो जाये ?

श्री रा० बरुआ : ऋतु विज्ञान संबंधी जानकारी के लिये उपग्रह छोड़ने की योजना में क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है ?

डा० कर्णसिंह : जी नहीं। उपग्रह छोड़ने के लिये हमारी अपनी परियोजना है। यह विचाराधीन है। हिन्द महासागर के ऊपर एक कनसर्शियम उपग्रह भी छोड़ा जायेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय संचार उपग्रह कनसर्शियम द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा। और सी०ओ०एम०एस० ए०टी० कनसर्शियम द्वारा छोड़ा जायेगा। उसका हमें 0.5 प्रतिशत उपयोग होगा क्योंकि जब यह हिन्दमहासगर के ऊपर आयेगा तो हम ऋतु विज्ञान सम्बन्धी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि मौसम सम्बन्धी उनका पूर्वानुमान बिल्कुल उलट क्यों होता है ?

Central Assistance for Delhi

***754. Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5241 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether a final decision in regard to the Central Assistance for Delhi for the Fourth Five Year Plan has since been taken ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) if not, by when it is likely to be taken and the reasons for the delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter is to be discussed by the National Development Council in its meeting, scheduled to be held shortly.

Shri R. S, Vidyarthi : Delhi Administration had submitted a scheme for Rs. 400 crores and 50 lakhs for the Fourth Five Year Plan. The Central Working Group had

recommended Rs. 225 crores and it is now understood that the Planning Commission wants to allocate Rs. 155 crores and 60 lakhs to Delhi. Planning Commission had prepared its scheme on the basis of the economic condition of Delhi in 1966-67. At that time the economic condition of Delhi was not sound and it was expected that within five years Government would incur a loss of Rs. 32 crores and 6 lakhs. But after December, 1967, the economic condition of Delhi has improved after Bharatiya Jana Sangh took over the Administration and now it is expected that there would be a surplus of Rs. 49 crores and 50 lakhs within these five years. Planning Commission has also accepted it. Besides, the Centre gets about Rs 55 crores from Delhi as Income-Tax and Central Excise Duty. If Government is prepared to allocate more money in this background ; if not, whether it would appoint a Finance Commission as per the recommendation of the Metropolitan Council ? If Government is not prepared to accept even this, whether the Morarka Study Group would be asked to examine the economic condition of Delhi and give Delhi a part of the Central Tax which is received from Delhi ?

Shri Vidya Charan Shukla : As far as the outlay for Fourth Five Year Plan is concerned, it was not Rs. 400 crores as has been suggested by the Member, but it was Rs. 387.87 crores in the beginning. Thereafter the matter was discussed with the Programme Advisor, Officials of the Delhi Administration, the Mayor and the Chief Executive Councillor, they gave a figure of Rs. 155 crores :......

Shri R. S. Vidyarthi : Who gave the figure ?

Shri Vidya Charan Shukla : This was given by the Planning Commission after discussion and consultation with them. This also a tentative figure. This is also not final. It would still be discussed.

Shri R. S. Vidyarthi : Centre-State relations have been discussed here several times. In relation to Delhi it has been the policy of Congress, particularly the Home Ministry and there also Mr. Shukla, to harass Delhi as much as possible so that Jan Sangh is not able to form an image. Last year Rs. 24 crores and 40 lakhs were sanctioned for planning in Delhi, but this year instead of increasing it has been decreased to Rs. 23 crores and 60 lakhs. This includes Rs. 14 crores loan which is to be returned to the Central Government. They want to give only Rs 9 crores for the Development of Delhi. The population of Delhi is increasing day by day. They want to malign the Jan Sangh administration in Delhi. If they continued this policy, then after one or two years there should be no drinking water, children would not get admission into schools and the conditions of hospitals would grow worse. We had asked them to atleast sanction the Dhaujkot project for drinking water. But they are not prepared even for that. If they do not accept it, do they want that the people of Delhi should not get drinking water.

Shri Vidya Charan Shukla : It is very much unfortunate, if the Hon. Members consider that we are deliberately trying to create difficulties for the Delhi Administration. It is completely wrong. I would suggest that if the Hon Members have any doubts they should sit and discuss with us the matter, and I assure them that after listening to our facts they would believe that we are making all efforts to give maximum possible funds to Delhi so that civic facilities in Delhi are improved. During the Question hour we cannot go into the matter in detail. Members from Delhi can sit with me, and we would assure them that all attempts have been made to give them assistance.

Shri R. S. Vidyarthi : I had asked a specific question that Rs. 24 crores and 40 lakhs have been sanctioned for the scheme during the current year but only Rs. 23 crores and 60 lakhs have been sanctioned for the plan during the next year. Then what is the reason for reducing the amount by Rs 1 crore which includes an amount of Rs. 14 crores loan.

Shri Vidya Charan Shukla : What you are saying is not correct. During 1968-69 Rs. 24 crores and 40 lakhs Previously Rs. 23 crores and 60 lakhs were sanctioned, but now the amount has been raised to 24 crores and 40 lakhs.

As regards the allocation of funds of Rs. 1 crore we are considering the ways in which this money could be spent so that the solutions of the problems or the schemes for which this money is meant would be implemented properly.

Shri Shashi Bhushan : We were facing many problems in Delhi such as water problem, problem of increasing the pay of teachers and construction of strong embankment on Jamuna river, but Jan Sangh levied sales tax on panwalahs for mobilising the resources and gave them notices for payment of sales tax for 5 years. If they had been educated, they would have not been carrying the business of pans. I would like to say that thousands of Muslims and Harijans have been evicted from their huts. May I know whether Government are prepared to institute an enquiry into the manner in which Jan Sangh leaders have got their colonies built in those areas where they had given permission for construction of Cinema houses instead of levying taxes on urban property and receiving big amounts.

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, the charges made are wrong and we give a challenge that an enquiry may be instituted by the Home Ministry. (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के दौरान तो आरोप लगाये जा सकते हैं, परन्तु यदि प्रश्न काल के दौरान कोई दल दूसरे दल पर आरोप लगाता है तो सभा का समय बर्बाद किया जाता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, it is the only characteristic of Delhi that its population is increasing at a faster rate than in other big cities of the world and a sum of Rs. 155 crores has been allocated on Delhi in the Fourth Five Year Plan, but it is expected that the availability of hospital beds which is 3 per thousand persons at present would go down to 2½ per thousand persons and the number of schools being run under tents would be increased by one and a half times by the end of the Fourth Five Year Plan period. What I mean to say is that that Delhi would also become a vast slum because the facilities that should be made available to the people during the Fourth Five Year Plan period would not be available. With this view you had given a suggestion to the Delhi Administration for creating additional resources. They are prepared to create additional resources and have also created such resources through economy measures and through other measures. Whether Government had given an assurance to the Delhi Administration that the additional resources which would be created by the Delhi Administration would be given to Delhi Administration so that they could spend it on various items according to their discretion ? If this assurance was given, how much additional resources were raised and whether Government have given that money to them ?

Shri Vidya Charan Shukla : The Hon. Member has correctly said that the problems of Delhi are complicated and are becoming further complicated. We have no objection if the additional resources raised in Delhi are so spent on those programmes of the Delhi Administration that they are properly utilized and more facilities are extended to the citizens of Delhi and local difficulties are overcome. This matter has been discussed at length and each and everything was enquired into and this outlay was prepared therefor. This outlay is for one year and besides it there is Fourth Five Year Plan which is also a tentative plan. It has not been finalised that more funds will not be allocated. If a better case is prepared, we would have no objection in giving more funds.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker. my question has not been replied to. I had asked about the assurance given by the Home Ministry for additional resources. Will he give funds out of additional resources ?

Shri Vidya Charan Shukla : I would give an answer only after having enquired into the matter.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is 'mischievous'. He knows it.

श्री शिव नारायण : उन्हें 'कुचेष्टाकारी' (मिस्चिवस) शब्द नहीं कहना चाहिए था।

श्री पीलू मोदी : वह ठीक कह रहे हैं। उन्हें शरारती-आदमी कहना चाहिए था।

श्री कंवरलाल गुप्त : अधिक उम्र वाले व्यक्ति 'कुचेष्टाकारी' होते हैं, शरारती नहीं।

Shri Prem Chand Verma : I want to know from the Hon. Minister the criteria according to which the financial assistance is being given to Union Territories like Delhi and Himachal Pradesh and decision has been taken to give Rs. 155 crores to Delhi whether population, area or some other thing has been kept in mind while taking such a decision ?

Shri Vidya Charan Shukla : Mainly financial resources are kept in view. Besides this their requirements, the extent of development taken place in a particular Union Territory are also kept in view. Whenever discussion is held on the development and and the planning, these points are discussed at length and not much discrimination can be made between Union Territories and States. Delhi has some peculiar conditions and being the capital of country there are some special difficulties and complications which are also kept in view.

Shri Chandrajeet Yadav : It is a fact that there are certain big cities in India where problems have arisen as a result of growing population but Delhi has a peculiar place. Being the capital of the country Delhi is becoming a cosmopolitan city, but with its present administration structure, it has a separate Committee for New Delhi area, Corporation for Old Delhi area, Metropolitan Council and much intervention by the Central Government and the present set up of the administration is so unwieldy t ha it is proving ineffective in solving the problems in Delhi. On the one hand multi-storey buildings are coming up while on the other hand thousands of people living in huts are evicted and thrown away under the open sky. Their problem is unending. In the same way there is traffic problem in Delhi. The common people have an experience of this problem and they know how complicated it is. The Delhi Administration accuse the Central Government for discrimination.

It is widely recognised that the people in Administration have an ideological approach and this attitude has adversely affected the interests of Delhi. As the Hon. Minister has also said, Delhi being the Capital of the city and headquarters of the Central Government, enjoys a special status. If it is so, do Government propose to form such an autonomous administration in Delhi which should have more powers, more financial resources and democratic set up so that Delhi may be saved from all those problems. Have Government any such problem under consideration.

Shri Vidya Charan Shukla : The facts mentioned by the Hon. Member are correct. I have already said that there are complicated problems in Delhi and the Administrative Reforms Commission has made recommendations after having considered them. Besides this Morarka Commission has submitted its report on the financing resources. We are considering both of them. I cannot say that the decision taken by us would solve the entire problem because new problems are cropping up. It is correct that we should have satisfaction but we cannot be satisfied in view of the resources available, and the complicated problems and the present set up. It is necessary to change this situation. It requires thorough consideration as to how this set up should be changed and improvements made.

Shri Ramavtar Shastri : Just now many Hon. Members from Delhi have said that the people here are removed from here to a far-away place. It has been reported that the Delhi Administration has perhaps prepared a scheme for settling Muslim population at a far-away place by removing them from old Delhi and it has created great unrest among them. I want to know whether any representations or letters have been received from the people of Muslim inhabitated places in Delhi in this regard and if so, what are their details ?

Shri Vidya Charan Shukla : The Hon. Member has raised a very complicated question which does not have direct concern with the Home Ministry but such letters might have been received by the Ministry concerned.

Shri Ramavtar Shastri : Is the D.D.A. not connected with the Home Ministry ?

Shri Vidya Charan Shukla : The D.D.A. is not connected with the Home Ministry but with the Health Ministry. As I have stated, the Home Ministry is taking as much interest and making as many efforts as are required to solve these complicated problems. But this problem being difficult to solve requires constant efforts.

भारत में शिक्षा की समान प्रणाली और पाठ्यक्रम आदि

*755. **श्री रामगोपाल शालवाले** : **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** :
श्री सूरज भान : **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री बृज भूषण लाल** :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि समूचे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक जैसा प्रणाली, पाठ्यक्रम, स्तर उद्देश्य तथा अध्यापन सेवायें होनी चाहियें ; और

(ख) यदि हाँ, तो नर्सरी, प्राथमिक, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है और उनका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के आर० वी० राव) : (क) और (ख). भारत सरकार शिक्षा की एक व्यापक समान पद्धति के पक्ष में है । फिर भी विभिन्न स्तरों पर स्थानीय हालतों में भिन्नता होने के कारण थोड़ा लचीलेपन का तत्व होना आवश्यक है । इन विषयों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आदि की बैठकों में चर्चा होती है और समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है ।

Shri Ram Gopal Shalwale : The statement laid on the Table has not clarified any point. It has been stated in the statement that an element of flexibility is unavoidable bur I would like to know that element of flexibility. The Central Government employees including the Railway personnel have to face much difficulty in respect of their words since these employees are transferred to various States where the pattern of education differ from one State to another. There is High School and Intermediate education in Uttar Pradesh, and Higher Secondary education in Delhi. These employees have to bear great financial burden since they have to purchase fresh text books. I want to know the time by which a decision would be taken to formulate an integrated and uniform system of education on all India basis.

डा० वी० के० आर० वी० राव : लचकीलेपन के अर्थ का जहां तक सम्बन्ध है । 1967 में हुए शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया था

और शिक्षा के एक विस्तृत कार्यक्रम का तथा उम्र के मामले में 10 जमा 2 जमा 3 वर्ष का अनुमोदन किया गया था। इस सम्मेलन में यह भी निश्चय किया गया था कि इस कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन में स्थानीय परिस्थितियों के लिए कुछ परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। लचकीलापन पहले से ही रखा गया है क्योंकि माननीय सदस्य ने स्वयं ही यह बात बताई है कि कुछ राज्यों में हाई स्कूल के बाद पीयूसी शिक्षा है और कुछ राज्यों में हायर सेकण्डरी शिक्षा है और कुछ में कला विषयों में इंटरमीडीयेट परीक्षा होती है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का प्रश्न है जहां तक मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को मालूम है कि देश के विभिन्न भागों में अनेक केन्द्रीय विद्यालय या केन्द्रीय स्कूल हैं। जो मोटे तौर पर एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम अपनाये हुए हैं और विद्यार्थी एक समान परीक्षा में बैठते हैं हम ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों को जिनका समय-समय पर स्थानान्तरण होता रहता है अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एक समान पाठ्यक्रम की सुविधायें मिले।

Shri Ram Gopal Shalwale : In the statement no mention has been made about the service conditions of the teachers. There is disparity in pay scales of teachers in all the States. Even in Delhi there is disparity in pay scales of teachers in Government Schools, Corporation Schools and New Delhi Municipal Committee Schools. The pay scale of language teachers and B.A.B.T. is 170-390 in Government Schools and Rs. 160-300 in Corporation and New Delhi Municipal Committee Schools. Similarly there is disparity in medical and accommodation facilities whereas there is no difference in qualifications and efficiency. I want to know what efforts are being made by Government to provide uniform pay scales and facilities to teachers. Are Government formulating any scheme for bringing uniformiy in their pay scales and facilities,

डा० वी० के० आर० वी० राव : शिक्षा में समानता लाने का प्रश्न केन्द्रीय सलाह बोर्ड राज्य के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन के समक्ष रखता है और तब वह उस पर संकल्प करता है और हम इन्हें क्रियान्वित कराने के लिए उन्हें लिखते रहते हैं। शिक्षा राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को किसी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली पर चलने के लिए कहने का केन्द्रीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है। **(अन्तर्बाधा)** इस विषय पर मेरे अपने विचार हैं पर यह समय उसके बारे में चर्चा करने का नहीं हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, वेतन के बारे में कोई समानता नहीं है और उनमें समानता लाना केन्द्रीय सरकार के लिए सम्भव नहीं है। वेतन मान में अन्तर नियोजक राज्य के संसाधनों, अध्यापक की योग्यताओं आदि के अनुसार है। हमने केवल विश्व विद्यालय तथा कालिज अध्यापकों के बारे में अखिल भारतीय आधार पर समानता लाने का प्रयत्न किया था। विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की थी कि कोई मानक वेतनमान लागू किये जायें और वर्तमान वेतन मानों तथा नये वेतनमानों को लागू करने पर होने वाले खर्चे के अन्तर में से 80 प्रतिशत खर्चे का भार अपने ऊपर लेने के लिए राजी थे, मेरे विचार से भारत सरकार समानता लाने की स्थिति में नहीं है।

Shri Suraj Bhan : Just now the Hon. Minister has stated that they are going to open a large number of Central Schools in the country. I want to thank him for this

step but I want to know whether Central Government propose to make education one of the concurrent subjects.

डा० वी० के० आर० वी० राव : इन स्कूलों की लगभग सभी को आवश्यकता है क्योंकि दूसरे व्यक्तियों का भी स्थानांतरण होता हैं। वे एक ही राज्य में नहीं रहते जनता की मांग को पूरा करने के लिए ये स्कूल खोले गये हैं। मेरे विचार से माननीय मन्त्री को मालूम ही है कि इस विषय पर काफी चर्चा हुई है। मेरे पहले के मन्त्री महोदय की यह पूरी इच्छा थी कि शिक्षा को समवर्ती को सूची में रखा जाना चाहिए, परन्तु वास्तव में हर राज्य सरकार ने इसे मानने से इंकार कर दिया। शिक्षा को समवर्ती सूची में मानने के लिए राज्य सरकारों को कहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे विचार से इस बारे में वर्तमान व्यवस्था बिलकुल ठीक है।

Shri A. B. Vajpayee : It was complained in the sitting of the National Integration Council held at Srinagar that the syllabii of different States include such things which are not helping in national integration and different sections of the people have complaints against them. Keeping it in view it was recommended that there should be a uniform curriculum and syllabus. It was not the intention to force anything upon the States. I want to know what efforts he has made to ensure that there should be a uniform curriculum in all the States, a decision should be taken to get the books published through a Central agency and the same books are prescribed in all the States. Are State Governments opposing it also.

डा० वी० के० आर०वी० राव : जैसा कि माननीय सदस्य को भी मालूम है, इस मामले में आप राज्यों को मना कर ही कोई कार्यवाही कर सकते हैं, दबाव से नहीं। हमने शिक्षा मंत्रालय में ये प्रयत्न किये हैं—सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान आदि जैसे विषयों में स्कूल शिक्षा के पृथक-पृथक चरणों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम तैयार किये गये हैं। पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए भी अनेक परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों को मानते हुए हमने स्कूल पाठ्य पुस्तकों के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड नियुक्त किया है जिसमें सभी शिक्षा मन्त्री उसके सदस्य हैं और इस बोर्ड की बैकठ 5 अप्रैल को दिल्ली में होगी। और उस बैठक में चर्चा का विषय भी वही है जोकि अभी माननीय सदस्य ने उठाया है ?

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

डम डम हवाई अड्डे पर विमान न रोकने का अन्तर्राष्टीय विमान कम्पनियों का निर्णय

अ० प्र० संख्या 11. श्रीमती इला पाल चौधरी : श्री सु० कु० तापड़िया : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 मार्च, 1969 को, जब अन्दमान की यात्रा के रोइंग बोट के साहसी चालक डम डम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, डम डम हवाई अड्डा तथा उसके धावन पथ पर भारी भीड़ के

कथित जमा हो जाने और सुरक्षा व्यवस्था सर्वथा टूट जाने के पश्चात् अन्तर्राष्टीय विमान कम्पनियों द्वारा, जो कलकत्ता के रास्ते अपने विमान चलाती हैं, डम डम हवाई अड्डे पर तब नक जब तक कि संबंधित अधिकारी डम डम हवाई अड्डे क्षेत्र में पूर्ण संरक्षण की गारंटी नहीं देते अपने विमान न रोकने के लिये किये गये कथित निर्णय की ओर क्या सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्टीय विमान कम्पनियों की एयरलाइंस कमेटी से असैनिक उड्डयन महानिदेशक को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सरकार को कलकत्ता में से होकर परिचालन कर रहीं अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के ऐसे किसी फैसले का पता नहीं है ।

(ख) और (ग). नागर विमानन के महानिदेशक को कलकत्ता स्थित एयरलाइन परिचालकों की समिति की ओर से लुफ्थांजा एयरलाइन द्वारा दिया गया एक संकेत (सिगनल) प्राप्त हुआ था जिसमें 11 मार्च, 1969 को हुई घटना द्वारा पैदा किये गये उस खतरे के बारे में शिकायत की गई थी । जबकि अन्दमान की यात्रा के रोइंग वोट के साहसी चालकों का स्वागत करने के लिए दमदम हवाई अड्डे के धावन-पथ पर एक बहुत वड़ी भीड़ एकत्रित हो गयी थी ।

(घ) नागर विमानन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले पर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव तथा महा निरीक्षक, पुलिस, के साथ विचार विमर्श किया जो कि मामले का मौके पर अध्ययन करने के लिए दमदम हवाई अड्डे पर गये । इस प्रकार की घटनाओं को फिर होने से बचाने के लिए निम्नलिखित तत्काल किये जाने वाले उपायों के बारे में सहमति हुई ;

जब कभी परिस्थिति अनुसार आवश्यकता पड़े, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का अधिक मजबूत बनाया जाना ;

चुने हुए स्थानों पर परिचालन क्षेत्रीय बाड़ का और अधिक मजबूत किया जाना ;

जहां तक सम्भय हो सके प्रांगण (एप्रन) में स्वागत आयोजनों को रोकना । जब कभी इस प्रकार के स्वागत आयोजन अनिवार्य हो जाएं तो उस स्थिति में हवाई अड्डा प्राधिकारियों के साथ मिलकर स्वागत व्यवस्था विषयक योजनाएं काफी पहले ही तैयार कर ली जायेंगी तथा उस क्षेत्र का पुलिस द्वारा घेरा डाल दिया जायेगा ।

श्रीमती इलापाल चौधरी : श्रीमन् अनेक विदेशी हवाई जहाज कम्पनियों ने बरास्ता बैंकांक ढाका काठमांडू कलकत्ते से होकर गुजरने की इच्छा प्रकट की है और जिस तरह की दुर्घटना यह हुई है उससे तो वे स्वभावतः ऐसा करेंगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे हमारे पर्यटन यातायात पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा । क्या मन्त्री महोदय ने इसका अनुमान लगाया है ?

डा० कर्ण सिंह । मेरा विचार है कि वास्तव में एक दुर्घटना को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए । हमारे देश में अब भी कुछ वास्तविक नायक बचे हैं और जब वे आये तो उत्साह से भरे

नवयुवक हवाई अड्डे पर गये। परन्तु मुझे यह कहना चाहिए कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह वैध है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं चाहे उनके पीछे कुछ भी इरादा हो हवाई कम्पनियों पर दुष्प्रभाव डालती हैं और अतः इससे बचने की पूरी कोशिश करते हैं।

श्री डी० एन० पाटोदिया : मन्त्री महोदय ने कहा है कि एक संदेश प्राप्त हुआ था ...(**अन्तर्बाधा**)...

श्री स० मो० बनर्जी : क्या पहला प्रश्न कर्त्ता में दूसरा प्रश्न उठाने का साहस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता वह उठी ही नहीं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय मन्त्री ने उस सन्देश का उल्लेख किया जो कि हवाई कम्पनियों की समिति से नागरिक उड्डयन के महानिदेशक को मिला है। क्या उस सन्देश में हाल ही में हुई ऐसी अनेक दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है जिनसे सुरक्षा भंग होने का खतरा पैदा हो गया था ? यदि यह सच है, तो ऐसी दुर्घटनाएं कब और किन हवाई अड्डों पर हुईं और सरकार ने उस समय क्या कार्रवाई की ताकि इस प्रकार की बातें न दुहराएं ?

डा० कर्ण सिंह : प्राप्त सन्देश में केवल इसी दुर्घटना का उल्लेख किया गया था।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्रीमन् समाचारपत्रों में जिस टेलीग्राम का उल्लेख किया गया है उसे उद्धृत करने का मुझे अनुमति दें,

यह टेलीग्राम इस प्रकार है—

'पोर्ट ब्लेयर से भारतीय तैराकों के आगमन के समय कलकत्ता के हवाई अड्डा अधिकारी ने जो सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किये उनके विरुद्ध घोर आपत्ति। हवाई अड्डा अधिकारी, कलकत्ता हवाई जहाज चालक समिति के दृष्टिकोण से खतरे का अन्दाज लगाने में विफल रहा। हाल ही की अन्य दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आप उस मामले पर गौर करें क्योंकि इनसे सुरक्षा के अभाव का पता चलता है।"

डा० कर्ण सिंह : जहां तक मुझे मालूम है कलकत्ता में अन्य कोई दुर्घटना नहीं हुई।

श्री सु० कु० तापड़िया : मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री को कलकत्ता के लोगों द्वारा दिखाये गये उत्साह के बारे में कोई चिंताजनक विचार नहीं अपनाया है। मुझे विश्वास है कि श्रीमती इलापाल चौधरी अन्डमान की यात्रा अभियान पर गई थीं और लौटने पर उन्हें अधिक उत्साह पूर्ण स्वागत मिलना चाहिए था और अगर उन्हें वह स्वागत नहीं मिला तो शायद उन्हें आश्चर्य हुआ होगा कि भारतीय युवा पीढ़ी को क्या हो गया है। श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का आन्दोलन हवाई कम्पनियाँ चलाती हैं कि वे कलकत्ता के ऊपर से होकर उड़ना चाहती है ?

पिछले वर्ष भी समाचार-पत्रों में ऐसी खबर छपी थी कि कुछ हवाई कम्पनियों ने कलकत्ता में अपने विमान न उतारने का निश्चय किया है। इस बार भी यद्यपि सरकार ने औपचारिक रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है परन्तु इस प्रकार की खबरों का समाचारपत्रों द्वारा प्रचार

किया गया है। इसके पीछे क्या कारण हैं। क्या इसका कारण यह है कि कलकत्ते से उन्हें आमदनी नहीं हो रही है या पर्यटकों तथा विदेशों से आने वाले यात्रियों को वहां कोई असुविधा हुई है ?

डा० कर्ण सिंह : यह मामला वस्तुत : हमारे लिए चिन्ता का विषय है कि कुछ विदेशी विमान कम्पनियों की प्रकृति है कि वे कलकत्ते से दूर रहने की कोशिश करती हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने इसे मजबूती से रोका है। जैसा कि आपको मालूम ही है इस देश में विमान कम्पनिया पारस्परिक समझौतों के फलस्वरूप काम करती है जिसके बदले हमें उनके देशों में अपनी विमान सेवा चलाते हैं। किसी विमान कम्पनी पर ऐसा करने के लिए जोर डालना हमारे लिए सम्भव नहीं हैं। अगर कोई काम क्यों करना है यह निश्चय करना उस विमान कम्पनी के ऊपर निर्भर करता है। उनके इरादों के बारे में मैं स्पष्टीकरण नहीं कर सकता।

श्री एन० के० पी० साल्वे : आपका अनुमान क्या है ?

डा० कर्ण सिंह : ढाका में एक नया इटरकॉटिनेंटल होटल बनाया गया है। हो सकता है आजकल वह खाली पड़ा हो, फिर वह लोकप्रिय होता जा रहा हैं। कलकत्ता में सुरक्षा के क्या प्रबन्धक किये गये हैं और सरकार क्या नये कदम उठाने का विचार रखती है ?

डा० कर्ण सिंह : हवाई अड्डे पर सुरक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। बैरकपुर के पुलिस अधीक्षक हैं और 24 परगना के पुलिस अधीक्षक हैं ये दो क्षेत्र प्रभावित हैं। परन्तु हवाई अड्डा अधिकारी को हमारी हिदायतें हैं कि जब कभी आवश्यक हो उन्हें निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ सम्पर्क कायम करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि स्थानीय पुलिस के सहयोग के अभाव की हमारे द्वारा शिकायत कर सकने का कोई प्रश्न नहीं हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ी हमें सहयोग मिलता रहा है। यह एक असाधारण घटना को जब हजारों नौजवान हवाई अड्डे पर इन नायकों को बधाई देने गये। इसकी पहले से कोई भी आशा नहीं कर सकता था।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : माननीय मन्त्री ने इस बात का उल्लेख किया कि हाल ही में विदेशी विमान कम्पनी कलकत्ता में हवाई जहाज उतारने और कलकत्ता के ऊपर से उड़ान करने के लिए तैयार नहीं हुई। क्या इसका यह कारण है कि कलकत्ता में उचित टर्मिनल सुविधाएं नहीं हैं? नये टर्मिनल भवन का कहां तक निर्माण हो चुका है और वह कब तैयार हो जायगा ? माननीय मन्त्री हाल ही में कलकत्ता गये थे और उन्होंने उस नगर की प्रशंसा भी की। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। परन्तु टर्मिनल भवन कितना बन चुका है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

डा० कर्ण सिंह : डमडम पर जो नया टर्मिनल भवन 1.67 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है, 1970 में उसमें काम चालू हो जाने की सम्भावना है। जहाँ तक मुझे मालूम है अब तक 92 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। परन्तु इससे कुछ भ्रम हो सकता है क्योंकि मूल कार्य पूरा हो जाने पर भी, कार्य को अन्तिम रूप देने, आन्तरिक सजावट आदि में आशा से अधिक समय लग जाता है। मुझे आशा है कि नये भवन का प्रयोग यथासम्भव 1970 के आरम्भ में होने

लगेगा। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूँ कि इस नये भवन के बनते ही विदेशी विमान कम्पनियों के लिए निश्चय ही एक अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हो जायगी।

Shri Madhu Limaye : Is the Hon. Minister aware of the fact that when big people, like Ministers and Governors, go to board an aeroplane, so many people accompany them up to the aeroplane, violating the security rules, and thereby danger of accident is enhanced ? Will he issue instructions to check this thing in future. There can be only one exception in this matter : when some Head of the State comes, then this practice is understandable, but not in the case of the people of our country going abroad ?

Dr. Karan Singh : I agree with the Hon. Member. So many people cross the white line at the airport which is dangerous. We are, therefore, trying that people may go upto the airport to see off others but they should not cross that line.

Shri Madhu Limaye : Will orders be issued ?

Dr. Karan Singh : Yes, Sir.

श्रीमती इलापाल चौधरी : इन नायकों ने जो बड़ा काम किया है उसकी हम सब प्रशंसा करते हैं। परन्तु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कलकत्ता के हवाई अड्डा अधिकारी श्री बी० हजारे का कहना है कि उन्होंने मंगलवार को लगभग 11 बजे म० पू० 24 परगना के पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क किया। यदि ऐसा है तो हवाई जहाज के पहुंचने से पूर्व सुरक्षा प्रबन्ध क्यों नहीं किये गये ?

डा० कर्ण सिंह : हवाई जहाज 11.30 बजे म० पू० पहुंचना था। वास्तव में वह 12 बजे के पश्चात् पहुंचा। 11 बजे जब हवाई अड्डा आफिसर ने अकस्मात महसूस किया कि हवाई अड्डे पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो उन्होंने टेलीफोन पर पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कायम करने का प्रयत्न किया। परन्तु वह सम्पर्क कायम नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की घटना के लिए हम पुलिस को दोषी ठहरा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन खबरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि लन्दन, न्यूयार्क और अन्य यूरोपीय हवाई अड्डों पर बीटल्स तथा अन्य प्रसिद्ध गायकों के पहुंचने पर उनके प्रशंसक लोग वहां पहुंचते हैं और इसी प्रकार के प्रदर्शन करते हैं। वास्तव में अन्य स्थानों पर डम डम की अपेक्षा कहीं अधिक अव्यवस्था की स्थिति देखने में आती है। परन्तु ऐसे अवसरों पर यह कभी नहीं सुना गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने इसका प्रयोग बहाने के रूप में किया हो कि उन के ऐसे हवाई अड्डे के ऊपर से उड़ान करने की सम्भावना है। मैं यह बता दूं कि इस अवसर पर दो राज्य मंत्री उपस्थित थे और वे स्कूल के लड़कों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न कर रहे थे। परन्तु वे भीड़ में घायल हो गये और कुछ नहीं कर सके क्योंकि यह अवसर असाधारण था। अब प्रश्न यह है कि क्या उन्हें मालूम है या नहीं कि ये राष्ट्रीय विमान कम्पनियां, जो डम डम हवाई अड्डे से होकर उड़ान करती हैं, वास्तव में बहुत पैसा कमा रही हैं और उनकी आमदनी बराबर बढ़ते हुए यातायात के कारण बढ़ रही है इसलिए आर्थिक दृष्टि से उनके लिए डम डम को अपने साधारण मार्ग से निकालना लाभकर नहीं होगा ? यदि ऐसा है तो क्या यह सब दिखावा है कि वे कलकत्ता के ऊपर से उड़ान करें क्योंकि वाणिज्यिक दृष्टि से यह उनके लाभकर नहीं है और उनके द्वारा ऐसा किये जाने की सम्भवना नहीं है ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां अपने आर्थिक हितों के प्रति पूर्णतः सजग हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वे काफी लाभ कमा रही हैं यद्यपि मुझे यह ज्ञान नहीं है प्रत्येक विमान कम्पनी को कितना लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि कोई कार्रवाही करने से पूर्व वे इस पहलू को ध्यान में रखेंगी।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है कलकत्ता हमारे पर्यटक नक्शे का महत्वपूर्ण अंग है वह महान ऐतिहासिक महत्व का नगर है और उसकी अवहेलना किये जाने या उसका दर्जा कम किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं कि कलकत्ता में जो गत तीन या चार वर्षों में रूचि कम हुई है इस का क्रम बदल जाय और कि कलकत्ता को फिर से उसका उचित स्थान मिल जाय। जहां तक इस बारे में उपाय करने का प्रश्न है मैं पश्चिमी बंगाल सरकार के पर्यटन मंत्री से शीघ्र ही मिलने की आशा करता हूँ ? जब मैं उनके साथ बात करूंगा कि कलकत्ता के पर्यटन की दृष्टि से महत्व को बढ़ाने के लिए हम चौथी योजना में क्या ठोस उपाय कर सकते हैं।

श्री नाथ पाई : न केवल अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां ही ऊपर से उड़ान करने की इजाजत मांग रही है बल्कि मैं समाचारपत्रों की इन खबरों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ सरकारें भी भारत की वायु सीमा से उड़ान करने को भारत सरकार से और सम्बद्ध अधिकारियों से इजाजत मांग रही है। इस सिलसिले में इस समाचार के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया है कि पाकिस्तान के अधिकारी फौजें ले जाने के लिए कराची से ढाका भारत से ऊपर से उड़ान करने की इच्छा रखते हैं और सोवियत रूस वियतनाम को सहायता भेजने के लिए भारत-चीन संघर्ष के कारण ऊपर से उड़ान करने का इच्छुक है ? क्या इजाजत माँगी गई है और यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

डा० कर्ण सिंह : इन बातों के बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया है कि सुरक्षा प्रबन्ध पूर्णतः विफल हो गये थे। पहले जब बड़े बड़े नेता थे और भीड़ बहुत ज्यादा होती थी तब सुरक्षा उपाय ठीक होते। क्या माननीय मन्त्री यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि यह अच्छी तरह जानते हुए भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये गये कि वहाँ पर छात्रों और नौजवानों की भीड़ होगी ? क्या वह निश्चित रूप से यह कहने के लिए तैयार हैं कि भविष्य में ऐसी बातें नहीं होगी ?

डा० कर्ण सिंह : यह परिकल्पना नहीं की गई थी कि वहां इतने लोग आयेंगे। इसलिए सुरक्षा प्रबन्धों के विफल होने का प्रश्न नहीं है। बहुत से लोग वहाँ आये। स्पष्टतया विद्यमान प्रबन्ध पर्याप्त नहीं थे। भविष्य के लिए निश्चय ही हम सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी बात का पहले से अनुमान लगा लिया जाय और पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से पहले से ही प्रबन्ध कर लिये जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार द्वारा कलकत्ता में एक सरकारी होटल चालू न करने के क्या विशेष कारण है और दूसरे, क्या यह सही नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए हवाई अड्डे पर दो जिम्मेदार मंत्री लगाये थे ?

डा० कर्ण सिंह : होटल खोलने के बारे में हमारे समक्ष इस समय केवल एक प्रस्ताव डम डम पर हवाई अड्डा होटल खोलने का है जिसके सरकारी क्षेत्र में होने की सम्भावना है। पर्यटन निगम इसे चौथी योजना में शामिल कर रहा है, इसके अतिरिक्त, हम चाहते हैं कि कलकत्ता में गैर-सरकारी क्षेत्र के होटल हों क्योंकि कलकत्ता में विदेशी पर्यटकों के कम संख्या में जाने का एक कारण यह है कि वहां पर कोई बहुत अच्छा होटल नहीं है। सम्भवतः पश्चिमी बगाल सरकार अब विशेष रूप से चाहेंगे कि वहां गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप क्यों नहीं ऐसा करते ?

डा० कर्ण सिंह : वहां पर सहयोग के लिए हमें कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि कोई होटल खोलना चाहेगा तो हम सहर्ष उसकी सहायता करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

डा० कर्ण सिंह : मुझे यह मालूम है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के खेल-कूद मन्त्री श्रीराम चटर्जी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे और उन्होंने कोशिश की परन्तु वह छात्रों को हवाई अड्डे से भेजने में विफल हुए।

श्री कार्तिक उरावं : यदि इन नायकों का स्वागत करने के लिए इतना जोश है कि इससे लोगों में अथवा अधिकारियों में यह भय पैदा हो सकता है कि किसी सम्भावित दुखद घटना के लिए अधिकारियों को कोई कार्रवाई करनी चाहिए और यदि वे कोई कार्रवाई नहीं करते और उस स्थिति में जीवन या सम्पत्ति को क्षति पहुंचती है तो क्या समय पर उपयुक्त कार्रवाई न करने के कारण अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जायगा ?

डा० कर्ण सिंह : मैं नहीं समझता कि इसमें क्षति का प्रश्न है। सब कुछ सद्भावना से हुआ। बहुत से नौजवान आ गये। ऐसी आशा नहीं थी कि वे आयेंगे। मैं नहीं समझता कि किसी को दण्ड देना आवश्यक है।

श्री स० मो० बनर्जी : कलकत्ता में गरीबी भी है और बहुतायत भी, वहाँ क्रान्तिकारी भी है और प्रतिक्रियावादी भी। मैं श्री वेंकटासुब्बया से सहमत नहीं हूँ कि वहां आकर्षण नहीं हैं। वहां कांग्रेस सरकार नहीं है, अन्य सब आकर्षण हैं। जब अधिकारियों और मन्त्रियों के करीबी लोग हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो बड़ी बड़ी कारें विमान के निकट भेजी जाती हैं जो हर दृष्टि से आपत्तिजनक हैं। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जायगी कि सिवाय उसी स्थिति के जबकि सम्बद्ध मंत्री बीमार हो, और उसके लिए भी कारों की बजाय एम्बुलेंस का प्रयोग हो, अन्य मामलों में कारों को विमान के निकट ले जाने की अनुमति न दी जाय।

डा० कर्ण सिंह : यह हमारी नीति है कि हम, जहां तक सम्भव हो, कारों को विमान के निकट जाने नहीं देते क्योंकि उसमें खतरा होता है। कारों के लिए भी विमान के निकट जाना खतरनाक है। हमने कारों पर नियंत्रण रखने की हिदायतें जारी की हैं। निश्चय ही, कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है, परन्तु हम चाहते हैं कि यथासम्भव ऐसे अवसर कभी कभार आयें।

अध्यक्ष महोदय : यदि पूर्ण प्रतिबन्ध हो तो बेहतर होगा। अन्यथा, यदि एक जाता है तो

दूसरा भी जाना चाहता है और आपके लिए मुसीबत पैदा होती है । यह मेरा अनुभव है । इसलिए यदि पूर्ण प्रतिबन्ध हो तो यह सब के लिए अच्छा होगा ।

Shri Tulsi Das Jadhav : In view of the incident occurred at Dum Dum Airport. Will the Government make arrangements to impose entry fee at Dum Dum Airport and at other airports in big cities as in the case in Delhi ? If such fee is already there, how so many people happened to go there ?

Dr. Karan Singh : We have imposed entry fee of one rupee at all the international airports of Delhi, Calcutta, Madras and Bombay. We are earning a lot of revenue thereby.

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता

***756. श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को 1968 तथा 1969 में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा दिये जाने का विचार है ; और

(ख) क्या इससे वे विश्वविद्यालय अपने अध्यापकों के वेतन बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख)

(a) The following grants have been paid up to January 31, 1969 to the various Universities in U.P. during the current year :—

University	Grant Paid
	(Rupees)
Agra	4,49,914.49
Aligarh	2,81,01,718.35*
Allahabad	10,19,705 64
Banaras	3,10,05,500.00*
Gorakhpur	6,24,457.84
Kanpur	1,32,054.90
Lucknow	5,00,160 06
Meerut	1,44,600.00
Roorkee	36,22,373.56
U.P. Agricultural University	13,361.29
Varanaseya Sanskrit University	2,21,401.62

The amount of Development grant to be paid during 1969-70 will depend on the progress made by a University in implementation of the schemes sanctioned by the Commission.

*Includes maintenance grant.

(b) Grants to improve salary scales of University and College teachers are being given by Central Government.

नेशनल एयरोनाटिकल लेबोरेटरी, बंगलौर

*757. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री नेशनल एयरोनाटिकल लेबोरेटरी, बंगलौर में तकनीकी पदों पर गैर-तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6598 के उत्तर के सम्बन्ध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के सभी मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

24 परगना जिला (पश्चिम बंगाल) में बम बनाने का कारखाना

*758. **श्री क० लकप्पा** :
श्री द० रा० परमार :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा दिसम्बर, 1968 में एक बम बनाने के कारखानें का पता लगाया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां कई प्रयोग-क्षम बम भी पाये गये थे और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी ;

(ग) इन बमों के निर्माण में किसी विदेशी शक्ति का हाथ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार ने अपने साधनों द्वारा कोई जांच कराई है ; और

(घ) क्या पुलिस ने कोई गिरफ्तारियां की हैं और इस मामले में क्या कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 22-12-1969 को थाना जादवपुर के जोहर बाजार स्थित एक मकान पर स्थानीय पुलिस ने छापा मारा । छापा मारने के परिणामस्वरूप 7 प्रयोग-क्षम बम, एक चाकू तथा बम बनाने के लिए 2 किलो सामग्री जब्त की गई । स्थानीय पुलिस द्वारा तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जो तथाकथित बम तैयार कर रहे थे । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/307 के अधीन तथा भारतीय विस्फोटक अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है ।

Anti-Cow Slaughter Demonstration Delhi

*759. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the steps that have been taken to give compensation for the loss of property and other things in a massive demonstration which took place in front of the Parliament House in the month of November, 1966 in connection with ban on the cow slaughter ?

The Home Minister (Shri Y. B. Chavan) : Government have paid an amount of Rs. 2,15,170·00 P as ex-gratia financial assistance, to the Government employees whose vehicles were damaged in the disturbances near Parliament House on 7th November, 1966.

गुजरात में प्राचीन स्मारक

*760. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में प्राचीन स्मारक इस समय उपेक्षित अवस्था में हैं ;

(ख) गुजरात में कितने प्राचीन स्मारक संरक्षित हैं तथा कितने स्मारकों की मरम्मत की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि द्वारका में भगवान कृष्ण के प्राचीन मन्दिर की ओर पुरातत्व विभाग द्वारा तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं। गुजरात के केन्द्र संरक्षित स्मारकों की मरम्मतों की अच्छी हालत में रखने के लिए सीमित उपलब्ध धन के अन्तर्गत सभी सम्भव उपाय किये जाते हैं।

(ख) गुजरात में कुल 196 केन्द्र संरक्षित स्मारक हैं। अन्य स्मारकों के सामान्य रख-रखाव के अतिरिक्त वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 10 केन्द्र संरक्षित स्मारकों की विशेष मरम्मत की जा रही है।

(ग) और (घ). जी हाँ, द्वारका स्थित भगवान कृष्ण के प्राचीन मन्दिर की आवश्यक संरचनात्मक मरम्मत पहले से ही च । रही है। मसाला भरने और टीपकारी के जरिये मन्दिर की चिनाई को सुदृढ़ करने, छीजे हुए और क्षतिग्रस्त पत्थरों के नवीकरण, गुम्बदों के फर्श बदलने और सुदृढीकरण, मरम्मत तथा फर्श बिछान आदि जैसी मरम्मतें की जा रही हैं।

पादरी फैरर

*761. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री जि० ब० सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने पादरी फैरर को अपने राज्य में कार्य करने की अनुमति दी है।

(ख) यदि हां, तो किस-किस राज्य ने ; और

(ग) महाराष्ट्र में पादरी फैरर की कार्यवाहियां आपत्तिजनक पायी जाने के बाद भारत सरकार द्वारा उन्हें फिर भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पादरी फैरर को आन्ध्र प्रदेश में कार्य करने के लिए वीसा प्रदान किया गया था क्योंकि सरकार को उनके उस राज्य में जहां वे ग्राह्य हों, कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं थी ।

Introduction of Regional Languages as Media of Instruction in Universities

***762. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the further progress made to make the regional languages as media of instruction in Universities ;

(b) the time by which this scheme will be enforced in those Universities where regional languages have not so far been made the media of instruction ; and

(c) whether the literature and books required under this scheme are available in requisite number ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) to (c). A statement is laid on the table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT.—527/69.]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में असन्तोष

*763. **श्री ओंकार सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके इस वक्तव्य का उपकुलपति ने खण्डन किया है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति विश्वविद्यालय में बढ़ते हुए असन्तोष के बारे में जाँच समिति नियुक्त करने की घोषणा में विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में उपकुलपति से पत्र-व्यवहार किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में प्राप्त उत्तर का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उपकुलपति ने बताया है कि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद अथवा उनकी अपनी ओर से समिति स्थापित करने में कोई देरी नहीं हुई है ।

(ख) 23 दिसम्बर, 1968 को शिक्षा मन्त्री द्वारा राज्य सभा में दिए गए वक्तव्य का उद्धरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये** । संख्या एल० टी० 528/69]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Opportunities to Graduates with Hindi Medium of Instruction

***764. Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than half of the number of Graduates who pass from the Hindi speaking States have Hindi as the medium of instruction ;

(b) if so, whether it is also a fact that the language of the services of the Government of India, particularly the higher services is English ; and

(c) if so, the scheme of Government to provide equal opportunities to the graduates as mentioned in part (a) above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) So far the medium of examinations for recruitment to higher Central Services is English.

(c) A beginning is being made this year by permitting the use of Hindi and other languages included in Eighth Schedule to the Constitution, in addition to English, as alternative media for General Knowledge and Essay papers in the Combined Competitive Examination.

Foreign Assistance Received by 'Link' and 'Patriot'

***765. Shri Ranjit Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of inquiry made by C.B.I. regarding the foreign assistance received by the 'link', 'Patriot', etc. ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have considered the report and, if so, the outcome thereof ;

(d) if not, the reasons for unusual delay in this regard ; and

(e) the date when Government received the C.B.I. Report ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (e) The report of the Intelligence Bureau of the use of foreign money in the last General Elections and for other purposes has been carefully considered. Government will make a statement on the subject in the current session of Parliament.

जयपुर में हुआ अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन

***766. श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1968 में जयपुर में हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये ;

(ख) क्या सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि मेधावी और योग्य छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाये ;

(ग) क्या सम्मेलन में अच्छे स्कूलों की स्थापना की भी माँग की गई है ; और

(घ) क्या सम्मेलन में संस्कृत को अंग्रेजी के स्थान पर द्वितीय भाषा के रूप में अपनाने का सुझाव दिया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) से (घ). दिसम्बर, 1968 में हुए ग्रखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन द्वारा पारित संकल्पनों की प्रति, ग्रखिल भारतीय संस्था संघ से, जिसने सम्मेलन का ग्रायोजन किया था, ग्रधिकृत रूप से ग्रभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह प्राप्त की जा रही है ग्रौर यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में मध्यावधि चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग

*767. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में केन्द्रीय मन्त्रियों ने मध्यावधि चुनावों के दौरान प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Air-India

*768. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the percentage load factor achieved on the various routes of Air-India during 1968 ; and

(b) whether the reasons for full seating capacity not being utilised is the inefficiency of this Airline or the competition from other Airlines faced by it ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a)

Route	Load factor (%)
India/UK/USA	53.2
India/Japan	42.5
India/Australia	50.1
India/Nairobi	38.3
India/U.K.	51.5
UK/USA	49.3
India/Djakarta	42.2
India/Mauritius	17.1
Australia/Fiji	28.0

(b) The load factor reflects utilisation of capacity achieved by the Airline, which is dependent on such factors as size of fleet, routes of operation, quantum of tourist traffic in the home region of an airline, fiscal and foreign exchange facilities, ethnic traffic, the restrictions placed on travel, transatlantic and transpacific permits etc. The load factor achieved by all the international airlines worldwise in recent years is about 50%. The overall load factor achieved by Air-India during the last three years ranged between 48 and 49.5. This is considered very satisfactory, having regard to its small fleet and the constraints under which Air-India works.

Selection Committee for Selecting Chairman of C.S.T.T.

*769. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5396 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the names of the members of the high level Selection Committee set up for selection of the Chairman of the Scientific and Technical Terminology Commission ;

(b) whether this Committee was aware of the decision according to which a person more than 66 years old could not become a member of the Commission ; and

(c) if so, the justification for this appointment in contravention of the above decision ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a)

1. Dr. T. Sen—Education Minister.
2. Prof. Sher Singh—Minister of State for Education.
3. Shri Bhagwat Jha Azad—Minister of State for Education.
4. Dr. D.S. Kothari—Chairman University Grants Commission.
5. Dr. Atma Ram—Director General, Council of Scientific and Industrial Research.

(b) Yes, Sir.

(c) The present Chairman of the Commission was selected on grounds of his special qualifications and experience as a Linguist.

Arrest of Pak Spies

*770. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of Pakistani spies have been arrested in various parts of the country on the charge of saying against the country ;

(b) if so, the number of Pakistani spies arrested in the country during the past three years ; and

(c) the action taken against them ?

The Home Minister (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). According to information received from the State Governments and Union Territory Administrations (except State Governments of Jammu and Kashmir and Orissa whose replies are awaited) 155 persons were arrested on suspicion of espionage during the past three years.

(c) Appropriate action under law was taken in each case.

Grants to Banaras Hindu University/Aligarh Muslim University/Jamia Millia

*771. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of grants given by the Central Government to the Banaras Hindu University, Aligarh Muslim Uniuersity and the Jamia Millia, separately since 1966 ;

(b) the number of Hindu and non-Hindu students and teachers separately in the said Universities at present ; and

(c) the number of students in each University in the years for which grants were given ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

मध्य प्रदेश के वनों में नक्सलवादियों के छिपाने के अड्डे

*772. **श्री बलराज मधोक :**　　　　**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने मध्य प्रदेश के वनों में अपने छिपने के अड्डे बना रखे हैं ;

(ख) क्या दिसम्बर, 1968 में मध्य प्रदेश में जगदलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में दीवारों पर लाल स्याही से हिन्दी और तेलुगू भाषाओं में लिखे पाकिस्तान समर्थक नारों से युक्त इश्तिहार लगे हुए पाये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जगदलपुर शहर में, दिसम्बर, 1968 में पीकिंग समर्थक नारों के कुछ पोस्टर लगे पाये गये थे ।

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता के निरोधक उपबन्धों के अन्तर्गत दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ।

विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा धर्म का प्रचार

*773. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में रहने वाले विदेशी राष्ट्रिक विधिवत उस अधिकार का लाभ उठा सकते हैं, जो भारतीय राष्ट्रिकों को भारत में संविधान के अनुच्छेद 25 (1) के अन्तर्गत धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के सम्बन्ध में प्राप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं कि 6420 ईसाई धर्म प्रचारकों को, जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है, अबाध रूप से अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति है और ऐसा करते समय वे हिन्दू धर्म के प्रति घृणित शब्दों का प्रयोग करते हैं जबकि यह धर्म 42 करोड़ जनता में से अधिकांश का बहुत पुराना धर्म है ;

(ग) क्या विदेशी व्यक्तियों द्वारा अनुच्छेद 25 (1) का अवैध रूप से प्रयोग किये जाने को रोकने के लिए सरकार का विचार कोई कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को सलाह दी गई है, कि अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त अधिकार, उसमें समाविष्ट प्रतिबन्धों के अधीन, समान रूप से नागरिकों और विदेशियों पर लागू होता है ।

(ख), (ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ की जीवनी लिखना

*774. श्री समर गुह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खान अब्दुल गफ्फार खां को भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के महानतम नेताओं में से एक समझती है ;

(ख) क्या सरकार का यह मत है कि भारत के विभाजन के कारण उन्हें स्वतन्त्राता के लाभ से वंचित होना पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार खान अब्दुल गफ्फार खां की एक उपयुक्त जीवनी प्रकाशित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस कार्य को उनके जीवन काल में ही आरम्भ करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाई गई आध-घंटे की चर्चा के उत्तर में विदेश उप-मन्त्री द्वारा 13 नवम्बर, 1968 को लोक सभा में दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) और (घ) श्री प्यारे लाल जी ने पहले ही, जो 35 वर्ष तक खान अब्दुल गफ्फार खां के संपर्क में रहे, इस पठान नेता के जीवन और उनकी सफलताओं के बारे में एक पुस्तक लिखी है। इसके अतिरिक्त, श्री डी० जी० तेन्दुलकर ने भी एक विस्तत जीवनी लिखी है। श्री तेन्दुलकर को, राष्ट्रीय अभिलेखागार के तथा बम्बई सरकार के अभिलेखों को देखने जैसी आवश्यक सुविधाएं सरकार द्वारा दी गई थीं। उक्त जीवनी, गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित की गई है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11

775. डा० कर्णी सिंह : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दोनों ओर से यातायात खोलने के लिये राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11 को चौड़ा करने हेतु उस पर अभी तक तारकोल नहीं बिछाया गया है और काम लगभग रुका पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इस अवस्था में इस काम के पूरा करने में शीघ्रता लाने से इस राष्ट्रीय राजपथ के आसपास रहने वाले भयंकर रूप से अकालग्रस्त ग्रामीणों के लिये यह सहायता का साधन होगा:

(ग) यदि हाँ, तो कार्य पूरी तेजी से कब शुरू होगा और सभी रूप में इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि जिस भाग को चौड़ा किया है उसमें जो सामान लगाया गया है वह तथा उसकी बनावट मूल सतह के अनुसार नहीं है ; और

(ङ) आने जानेवाले दोनों भागों की सतहों को समान बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क), (ख) और (ग) चौड़ाकर दोगली वाला रास्ता बनाये जाने वाले 18/6 मील के टुकड़े में से 11/2 मील के टुकड़े का निर्माण जनवरी, 1969 में पूरा किया गया था और 7/4 मील से टुकड़े के निर्माण के 1969 के मध्य तक पूरा होने की आशा है। सूचित किया गया है यह निर्माण कार्य पीने के पानी और मजदूरों की सीमित उपलब्धता के कारण इस से पहले नहीं पूरा किया जा सका क्योंकि अकाल राहत कैंपों ने 5 से 10 मील के घेरे के अन्दर के उपलब्ध मजदूरों को प्रयुक्त किया है।

(च) और (ङ). सूचना मिली है कि इसे चौड़ा करने का काम मूल सड़क की विशिष्टियों के अनुसार किया जा रहा है। मौजूदा पक्की सड़क को चौड़ा करने के काम में उभार को सुधारने और ठीक करने विशेषकर चौड़ा किये गये और पुरानी सड़क के जुड़ने के पास कुछ अनियमितताएं होना अनिवार्य है। ये छोटी छोटी अनियमितताएं संपूर्ण चौड़ाई पर बिटुमिनस पुताई करके ठीक की जाती हैं। यदि धन उपलब्ध हुआ और आवश्यक हुआ तो ऐसा किया जाएगा।

एशिया फाउंडेशन

*776. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह कार्य मन्त्री 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2684 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया फाउंडेशन ने इस बीच भारत में अपने कार्यकलाप पूर्णतया समाप्त कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समाप्त की गई या की जा रही इसकी गतिविधियों की परिधि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कुल कितनी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को फोर्ड फाउंडेशन, राकफैलर फाउंडेशन और अन्तर्राष्ट्रीय शांति सम्बन्ध कारनेगी एंडाउमेंट से अब तक सहायता प्राप्त हुई है या प्राप्त हो रही है और उनके नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात का पूर्ण संतोष है कि इन प्रतिष्ठानों का सी० आई ए० या अन्य संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

गृह मन्त्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) और (ख). एशिया फाउंडेशन के सभी कार्यकलाप समाप्त कर दिये गये हैं।

(ग) संबंधित सूचना बताने वाले अभिलेखों की प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रख दी जाएंगी।

(घ) सरकार के पास फोर्ड फाउंडेशन, राकफेलर फाउंडेशन तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्बन्धी कारनेगी एंडाउमेंट के बारे में कोई प्रतिकूल सूचना नहीं है।

भ्रष्टाचार के मामले

*777. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 की तुलना में 1968 में विभागीय सतर्कता अधिकारियों अथवा अन्य साधनों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दाण्डिक दुराचार, धोखाघड़ी, सापराध विश्वासभंग और डाक्टरी व्यय की प्रतिपूर्ति में धोखाधड़ी के अलग-अलग कितने मामलों की ओर केन्द्रीय जांच विभाग का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) इस बारे में केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले है ?

गृह मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

*778. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री ई० के० नायनार :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 में मैसूर विधान मण्डल के संयुक्त सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में मैसूर-महाराष्ट्र-केरल सीमा विवाद पर महाजन आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने में भारत सरकार की असफलता का उल्लेख किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 13 जनवरी, 1969 को मैसूर विधान मण्डल में दिये गए अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने दिसम्बर, 1967 में विधानमंडल द्वारा पारित उस संकल्प का, जिसमें आयोग की सिफारिशो के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से आग्रह किया गया था तथा संकल्प के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा आगे की गई कार्यवाही का भी उल्लेख दिया था। इस संदर्भ में उन्होंने सिफारिशों पर कोई निर्णय न लिये जाने के लिए खेद व्यक्त किया था तथा इस बात पर जोर दिया कि इस प्रश्न को निकट भविष्य में तय करना आवश्यक है। सरकार इस जटिल तथा नाजुक विवाद को तय करने के लिए इच्छुक है तथा इसे यथाशीघ्र हल के प्रयास जारी है।

बस्तर नरेश और अन्य आदिवासियों की हत्या

*779. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि आचार्य विनोबा भावे ने मध्य प्रदेश के सर्वोदय आन्दोलन के अध्यक्ष श्री दादाभाई नायक से उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए कहा था, जिनमें वर्ष 1966 में पुलिस द्वारा बस्तर नरेश और अन्य आदिवासी लोगों की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि दादाभाई नायक ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यह बताया गया है कि पुलिस द्वारा वस्तुतः लगभग एक सौ आदिवासी मार दिये गये थे

(ग) क्या सरकार का विचार दादाभाई नायक द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त करने और तत्सम्बन्धी सरकारी रिपोर्टों के साथ उसकी तुलना करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

किराये के विमानों की भारत की अनिश्चित उड़ानों की अनुमति

*780. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्त विश्व के देशों के किराये पर चलने वाले विमानों की अनिश्चित उड़ानों की अनुमति अब दे दी है, जिससे सैर-सपाटे के इच्छुक लोग भारत आ सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे हमारे पर्यटन व्यापार में किसी प्रकार की वृद्धि होगी ; और

(ग) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां, सरकार ने प्रतिवर्ष विदेशों से 52 अननुसूचित पर्यटक चार्टरों के उतरने की अनुमति दी है ।

(ख) और (ग). इस छूट से देश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की आशा है । लेकिन, अभी इस स्थिति में इस उपाय के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की आय में होने वाली वृद्धि की ठीक राशि निर्धारण कर सकना कठिन है ।

डम डम हवाई अड्डे पर विमान न रोकने का अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों का निर्णय

अल्प सूचना प्रश्न 11. **श्रीमती इलापाल चौधरी : श्री सु० कु० तापड़िया :**

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 मार्च, 1969 को, जब अन्दमान की यात्रा के रोइंग बोट के साहसी चालक डम-डम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, डम-डम हवाई अड्डा तथा उसके धावन पथ पर भारी भीड़ के कथित जमा हो जाने और सुरक्षा व्यवस्था सर्वथा टूट जाने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों द्वारा, जो कलकत्ता के रास्ते अपने विमान चलाती हैं, डम-डम हवाई अड्डे पर तब तक

जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी डम डम हवाई अड्डे क्षेत्र में पूर्ण संरक्षण की गारन्टी नहीं देते, अपने विमान न रोकने के लिये किये गये कथित निर्णय की ओर क्या सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों की एयरलाइंस कमेटी से असैनिक उड्डयन महानिदेशक को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार को कलकत्ता में से होकर परिचालन कर रहीं अन्तर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों के ऐसे किसी फैसले का पता नहीं है ।

(ख) और (ग) नागर विमानन के महानिदेशक को कलकत्ता स्थित एयरलाइन परिचालकों की समिति की ओर से लुफ्थांजा एयरलाइन द्वारा दिया गया एक संकेत (सिगनल) प्राप्त हुआ था जिसमें 11 मार्च, 1969 को हुई घटना द्वारा पैदा किये गये उस खतरे के बारे में शिकायत की गई थी, जब कि अन्दमान की यात्रा के रोइंग वोट के साहसी चालकों का स्वागत करने के लिये दमदम हवाई अड्डे के धावन-पथ पर एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी ।

(घ) नागर विमानन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले पर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव तथा महानिरीक्षक, पुलिस के साथ विचार विमर्श किया जो कि मामले का मौके पर अध्ययन करने के लिए दमदम हवाई अड्डे पर गये । इस प्रकार की घटनाओं को फिर होने से बचाने के लिये निम्नलिखित तत्काल किये जाने वाले उपायों के बारे में सहमति हुई :

जब कभी परिस्थिति अनुसार आवश्यकता पड़े, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का अधिक मजबूत बनाया जाना ;

चुने हुए स्थानों पर परिचालन क्षेत्रीय बाड़ का और अधिक मजबूत किया जाना ;

जहां तक संभव हो सके प्रांगण (एप्रन) में स्वागत आयोजनों को रोकना । जब कभी इस प्रकार के स्वागत आयोजन अनिवार्य हो जाएं तो उस स्थिति में हवाई अड्डा प्राधिकारियों के साथ मिलकर स्वागत व्यवस्था विषयक योजनायें काफी पहले ही तैयार कर ली जायेंगी तथा उस क्षेत्र का पुलिस द्वारा घेरा डाल दिया जायेगा ।

भाषाओं के विकास के लिये गुजरात को सहायता

4539. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 से 1967-68 तक की अवधि में भाषाओं के विकास के लिये गुजरात को कितनी वित्तीय सहायता अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता दी गई ;

(ख) यदि कोई सहायता नहीं दी गई तो उसके क्या कारण हैं : और

(ग) प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये राज्य सरकार ने वहां किस प्रकार धन खर्च किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०ग्रार०वी० राव) : (क) ग्रौर (ख): भाग्राषों के विकास के लिए गुजरात में, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों ग्रौर स्वैच्छिक संगठनों को 1965-66 से 1967-68 की ग्रवधि में दी गई सहायता इस प्रकार है :—

(1) हिन्दी के प्रसार, हिन्दी ग्रध्यापकों की नियुक्ति ग्रौर हिन्दी ग्रध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता	20,74,000
(2) संस्कृत के विकास ग्रौर प्रसार के लिए राज्य सरकार को दी गई वित्तीय सहायता	48,355
(3) हिन्दी ग्रौर गुजराती में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण की वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली ग्रायोग की योजना के ग्रधीन विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता	3,08,373.29
(4) गुजराती के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों/विश्वविद्यालयों को दी गई वित्तीय सहायता	70,000.00

(ग) क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें लिखने के लिए उनके प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

गुजरात को संग्रहालयों के लिये वित्तीय सहायता

4540. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या इमारतों के विस्तार, उपकरणों, प्रकाशनों ग्रथवा संग्रहालयों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में गुजरात को कोई वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) क्या गुजरात के राज्य संग्रहालय से ऐसा कोई प्रस्ताव मिला था ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो वह क्या प्रस्ताव था ग्रौर वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कितनी सहायता दी गई थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) वर्ष 1967-68 में राज्य सरकार को प्रदर्शन उपकरण खरीदने तथा शिक्षा सम्बन्धी सेवाग्रों के लिये 15,000 रुपये का ग्रनुदान दिया गया था। वर्ष 1968-69 में वीथियों के पुनर्गठन के लिए 4,500 रुपये का ग्रनुदान दिया गया है।

(ख) ग्रौर (ग). वर्ष 1967-68 में पांच वर्ष की ग्रवधि के लिए 19 लाख रुपये की राशि मांगी गई थी।

1967 से 1969 तक की दो वर्ष की ग्रवधि के लिये स्वीकृत राशि 19,500.00 रुपये हैं।

नकली डिग्रियां

4541. **श्री बाबूराव पटेल :** शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली में गांधी नगर स्थित एक मकान में बहुत सी "नकली" डिग्रियां, जो कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त बताई जाती हैं, पाई गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो विश्वविद्यालयों के नाम से "नकली" डिग्रियां बना रहा है और "जाली मुहरें" का प्रयोग कर रहे हैं ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में अन्य राज्यों में भी ऐसी ही नकली डिग्रियों का पता लगा है और यदि हां, तो कब और कहां और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(घ) डिग्री-धारकों द्वारा नौकरियों के लिये ऐसी कितनी "नकली" डिग्रियों का उपयोग किया गया है ; और

(ङ) नकली डिग्रियों में व्यापार रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) और (ख). जी, हां। पुलिस ने कुछ डिग्रियां पकड़ी हैं जो आगरा और बड़ौदा विश्वविद्यालयों के नाम से जाली बनाई गई बताई जाती हैं। इस सम्बन्ध में अब तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। आगे जाँच कार्य चल रहा है।

(ग) और (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) जब कभी इस प्रकार की बातों का पता लगता है, तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

चीन-मूलक भारतीय नागरिक

4542. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चीन-मूलक भारतीय नागरिक, राज्य-वार कितने हैं ;

(ख) बड़े-बड़े शहरों में उनके मुख्य व्यवसाय क्या हैं ;

(ग) क्या इन लोगों को भारत के संविधान के अधीन प्रदत्त सभी मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और क्या वे देश के किसी भी हिस्से में बिना किसी प्रतिबन्ध के आ-जा सकते हैं ;

(घ) उनमें से कितने लोगों की भारत में भू-सम्पत्ति हैं ; और

(ङ) प्रथम दस चीनियों के नाम क्या हैं और उनकी सम्पदाएं कितने कितने मूल्य की हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) तथा (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

छात्रवृत्ति के अन्तर्गत तकनीकी छात्रों को अवसर

4543. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उद्योगों में अनुभव के लिये तकनीकी छात्रों के प्रशिक्षण के लिये क्या अवसर प्रदान किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उद्योगों में एक वर्ष के प्रशिक्षण के बाद नवयुवकों को निकाल दिया जाता है ;

(ग) उद्योग में अनुभव के लिये छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों को रोजगार की क्या गारण्टी दी जाती है ;

(घ) यदि नहीं, तो उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार भविष्य में उनके रोजगार के बारे में किसी योजना पर विचार कर कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत, जिन नए स्नातकों और डिप्लोमाधारियों ने तकनीकी संस्थाओं में अपना शैक्षिक अध्ययन पूरा कर लिया है, उन्हें उद्योग तथा अन्य तकनीकी संगठनों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जाते हैं ।

प्रशिक्षण के दौरान, स्नातकों को 250 रुपए प्रति मास और डिप्लोमाधारियों को 150 रुपये प्रतिमास की अधिछात्रवृत्ति दी जाती है ।

(ख) प्रशिक्षण की सामान्य अवधि एक वर्ष है, किन्तु कुछ संगठनों में यह दो वर्ष तक है ।

(ग) और (घ). प्रशिक्षार्थियों को रोजगार की कोई गारन्टी नहीं दी जाती है, किन्तु बहुत से संगठन जिन प्रशिक्षार्थियों को वे प्रशिक्षित करते हैं उन्हें नियुक्त कर लेते हैं ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है जो इंजीनियरों और तकनीशियनों के रूप में लाभप्रद रोजगार के लिये आवश्यक है ।

(ङ) भविष्य में रोजगार के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई जा रही है, किन्तु औद्योगिक और अन्य संगठनों के साथ सहयोग से उनके लिए लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के सभी प्रयत्न किए जायेंगे ।

चालकों के प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये लाइसेंसिंग पद्धति

4544. **डा० कर्णी सिंह** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत-सी सड़क दुर्घटनाएं इसलिये होती हैं कि आजकल अधिकतर चालक ड्राइविंग में पर्याप्त रूप में अर्हता प्राप्त नहीं होते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि केवल पैसा कमाने के लिये अनगिनत गैराजों (गैर-सरकारी कम्पनियों) द्वारा भारी संख्या में चालक प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का चालक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए लाइसेंसिंग पद्धति चालू करके ऐसे केन्द्रों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रमैया) : (क), से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही हैं और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अनिवार्य रूप से हिन्दी सिखाना

4545. **श्री सुब्रावेलू : क्या गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के बन जाने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से हिन्दी सिखाने के बारे में कोई पुनरीक्षित हिदायतें दी हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/91/67-हि० दिनाँक 4 जुलाई, 1968 जिसमें इस विषय पर पहले की हिदायतें दुहराई गई हैं, संलग्न है। [**पुस्तकालय में** रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०529/69]

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल

4546. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी :** क्या शिक्षा तथा **युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गुजरात विश्वविद्यालय ने शिक्षा की अनेक शाखाओं के रूप में ऐसे अध्ययनों का विकास करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन का एक अध्ययन-केन्द्र खोलने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के स्कूल के पास भारत के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों में कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) और (ग). विश्वविद्यालय ने अक्तूबर, 1966 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिये एक योजना प्रस्तुत की थी और आयोग ने विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय के निरीक्षण के समय निरीक्षण समिति से इस योजना पर विचार-विनिमय करने की सलाह दी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में निरीक्षण समिति से जिसने अगस्त, 1967 में विश्वविद्यालय का दौरा किया था, बातचीत जारी नहीं रखी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की पदालि में चुने गये उम्मीदवार

4546 **श्री सोमसुन्दरम् : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा पदालियों में राज्य-वार कितने-कितने उम्मीदवार चुने गये ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सूचना बतलाने वाले दो विवरण संलग्न हैं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० 530/69[

केन्द्रीय सेवा में प्रवेश करने वालों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन

4548. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया है कि वह केन्द्रीय सेवा में प्रवेश करने वालों के चरित्र तथा पूर्ववृत्ता का सत्यापन करने के बारे में अपनी नीति बनायेगी ;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस बारे में अपनी नीति का ब्यौरा भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), से (ग). केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिये माप दण्ड का सितम्बर 1967 में पुनरीक्षण किया गया था और 21-11-1967 को श्री ए० श्रीधरन के तारांकित प्रश्न के उत्तर में एक पूरक प्रश्न के सम्बन्ध दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 16 फरवरी, 1968 को लोक सभा में एक विवरण रखा गया है जिसमें ये मापदण्ड बताये गये हैं। राज्य सरकारों से भी इन मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के लिए जिला प्राधिकारियों को हिदायतें जारी करने के लिए अनुरोध भी किया गया था। केरल सरकार से इस सम्बन्ध में अभी तक ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है कि उन्होंने ऐसी हिदायतें जारी की थीं। चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के मापदण्ड जो देश भर में एक समान हैं, बिलकुल न्यायसंगत तथा वस्तुगत हैं तथा जहां तक केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति का सम्बन्ध है ऐसी नियुक्ति के लिए उपयुक्तता की जांच केन्द्रीय सरकार द्वारा न कि राज्य सरकार द्वारा की जाती है ।

विगत राष्ट्रपति शासन के दौरान केरल में कुन्निक्कल नारायणन को लिखे गये पत्रों का सेंसर किया जाना

4549. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्री विश्वनाथ मेनन** :
श्री नम्बियार : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत राष्ट्रपति शासन के दौरान केरल में अधिकारियों को सरकार ने हिदायतें दी थीं कि वे श्री कुन्निक्कल नारायणन को लिखे गये पत्रों को सेंसर न करें ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गत राष्ट्रपति शासन के दौरान केरल में नजरबन्द व्यक्तियों को लिखे गये पत्रों का सेंसर किया जाना

4550. श्री सी० के० चक्रपाणि : श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री उमानाथ : श्री गणेश घोष :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत राष्ट्रपति शासन के दौरान केरल में जेल अधिकारियों ने श्री कुन्निक्कल नारायणन द्वारा नजरबन्द व्यक्तियों को भेजे गये पत्रों तथा पुस्तिकाओं को सेंसर नहीं किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी अवधि में जेल अधिकारियों ने नजरबन्दों को उनके परिवार तथा रिश्तेदारों द्वारा भेजे गये पत्रों को सेंसर किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण थे ?

गृह मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). सभी नजरबन्द व्यक्तियों को भेजे गये पत्र तथा पुस्तकें सेंसर करने के बाद उन्हें दी गई थीं जैसा कि ट्रावन्कोर-कोचीन सुरक्षा बन्दी आदेश 1950 के नियम 17 (4) तथा 18 के अन्तर्गत अपेक्षित था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Pak Dignitaries Attending the Marriage of Nawab of Pataudi

4551. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Molahu Prashad :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 833 on the 18th December, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that on the occasion of the marriage ceremony of Nawab of Pataudi, his uncle, who is the Ambassador of Pakistan in Indonesia, was also present ;

(b) if so, whether the Government of India had granted him a visa for coming to India ;

(c) the names of Indian Muslims whose marriage ceremonies etc. were attended by the high officials of the Pakistan Government. Pakistan's Ambassadors in other countries and by other distinguished citizens of Pakistan during the last three years ;

(d) whether Government propose to keep a strict watch over such persons who come from Pakistan so that the security of India is not endangered ; and

(e) if not, the difficulties being experienced by Government in doing so ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Government do not maintain any record of marriage ceremonies etc. of Indian Muslims or of the persons attending them. It is, therefore, not possible to collect the precise information asked for.

(d) and (e). Security requirements are taken into consideration while authorising grant of visas.

Publicity Abroad for Developing Tourism

4552. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5391 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the total number of films exhibited, show-windows installed and fairs and exhibitions organised in foreign countries during 1968 to attract tourists to India ;

(b) the names of those countries where such arrangements were made and for how many times ;

(c) whether it is also a fact that the publicity work organised in this regard was lukewarm ; and

(d) if so, the steps being taken to streamline it ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The information is as follows :—

Films exhibited	4001
Show-windows installed	427
Participation in fairs and exhibitions	77

These were arranged in North America, Western Europe, Australia and Japan.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Employees of I.A.C.

4553. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5380 on the 20th December, 1968 and state ;

(a) the number of such employees of the Indian Airlines Corporation out of 1265 technical and 2162 non-technical employees as have been or are being declared permanent ;

(b) whether it is a fact that there is great discontentment among most of the employees as they are still temporary ; and

(c) if so, the measures being adopted for removing the said discontentment ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The required information is given below :

	Technical	Non-Technical
1. Number of employees held against permanent posts :		
(i) Confirmed	1177	1830
(ii) On probation	37	112
2. Number of employees held against temporary/short term posts	51	220
Total	1265	2162

(b) and (c). No, Sir. The Indian Airlines have however received representation from the Workers' Union and the employees for conversion of temporary posts into permanent. The question of permanent absorption depends upon future vacancies arising in the existing permanent sanctioned strength or increased work-load necessitating creation of additional permanent posts.

Investigations Against Pro-China Elements in NEFA

4554. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Kumari Kamala Kumari :
Shri Narain Swarup Sharma : Shri K. Lakkappa :
Shri Om Prakash Tyagi : Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5226 on the 20th December, 1968, regarding arrests of Pro-Chinese in NEFA and state :

(a) whether the investigations against the suspects have since been completed ;

(b) if so, the conclusions thereof ; and

(c) if not, when these are likely to be concluded ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a), (b) and (c). Investigations are still in progress.

Recommendations made by Hindi Adviser to Central Government

4555. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narain Swarup Sharma : Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the recommendations made by the Hindi Adviser to the Government of India during the last three years for the propagation and progressive use of Hindi and the names of the reports presented ; and

(b) whether Government would lay on the Table of the House a statement showing the recommendations made by the Hindi Adviser and the decisions take by Government in regard to them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Hindi Adviser is not required to submit any reports. His function is to advise Government on matters relating to the propagation and development of Hindi and its progressive use for official purposes of the Union. He had compiled a report relating to Hindi work in a few Ministries of the Government of India. A copy of the report had been supplied to the Ministries concerned for necessary action.

(b) Important Recommendations made in this report relating to the work handled in the Home Ministry and action taken thereon is indicated in the attached statement. [*Placed in Library See* LT—No. 531/69].

Alleged Passport Scandal

4556. Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh : Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether an offical of the Home Department of West Bengal has been interrogated on the charge of collusion in the scandal of passports of Chinese residing in Calcutta ; and

(b) if so, the name of the official, the details of charges against him and the outcome of the enquiry ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being obtained from the Government of West Bengal and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

Deteriorating Standard of Games

4557. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjit Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee ;
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shrimati Savitri Shyam :
Shri K. Lakkappa ;
Shri Yashpal Singh :
Shri P. Gopalan ;
Shri P. P. Esthose :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shrimati Suseela Gopalan :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether the attention of the reconstituted All India Sports Council has been invited towards the deteriorating standard of games and also towards the Indian games as Kabadi, Wrestling etc ; and

(b) if so, the action taken in this connection and the result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). It is primarily for National Sports Federations concerned to take suitable steps for the improvement of the standard for the game or the sport concerned. All proposals received by the Government for financial assistance are, however, given due consideration in consultation with the All India Council of Sports.

Reforms in System of Examinations Conducted by Delhi University

4558. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ranjit Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Muhammad Sheriff :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Committee appointed by the Academic Council of the Delhi University about the system of examinations ; and

(b) if so, the main recommendations made by it and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). A copy of the report whioh has been obtained by Government from the University of Delhi is attached. [*Placed in Library. See* LT—No. 532/69]. The report of the Committee has been circulated by the University among the teachers, students, Principals of colleges and Heads of the Departments for opinion. The Academic Council of the University will take a final decision on the report after taking into account the comments so received.

फरास खाना, दिल्ली में पाया गया औरत का शव

4559. **श्री क० लकप्पा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 दिसम्बर, 1968 को दिल्ली में फराश खाना में एक औषधालय में एक औरत का शव पाया गया था ;

(ख) यदि हो, तो उसकी मृत्यु के क्या कारण थे ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। शव 26 दिसम्बर, 1968 को पाया गया था।

(ख) शव की शव-परीक्षा से मालूम हुआ कि मृत्यु, गर्भपात के परिणामस्वरूप, गम तथा रक्तस्राव के कारण हुई थी।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है तथा उसकी जांच की जा रही है। जांच पड़ताल के दौरान अब तक दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

आसाम को नदी परिवहन मार्ग

4560. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के बनने के कुछ समय पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी से कलकत्ता के लिए नदी परिवहन मार्ग के बन्द हो जाने के कारण विश्व तथा भारत के अन्य भागों की तुलना में आसाम की परिवहन सम्बन्धी कठिन समस्या का पता है ;

(ख) क्या आसाम से और आसाम को माल भेजने के लिए इस मार्ग को खोलने के लिये पाकिस्तान को सहमत करने के उद्देश्य से कोई प्रयत्न किये गए हैं ; और

(ग) यदि कोई प्रयत्न किये गए हैं, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण ब्रह्मपुत्र होकर कलकत्ते को नदी मार्ग सितम्बर, 1965 में बन्द हो गया था। ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर होने के समय से भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से शेष समस्याओं जिनमें पश्चिम बंगाल और असम के बीच नदी परिवहन को फिर से शुरू करना भी शामिल है, पर विचार विमर्श करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया उत्साह-जनक नहीं रही है।

गुजरात में पुरातत्वीय खोज

4561. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 अथवा 1968-69 में गुजरात में पुरातत्वीय खोज अथवा खुदाई करने के लिये और आगे प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात के बड़ौदा तथा भड़ोंच जिलों में नर्मदा घाटी सम्भयता की ओर आगे खोज करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहाँनारा जयपाल सिंह) : वर्ष 1967-68 में बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय द्वारा सूरत जिले के धतवा नामक स्थान में खुदाई कार्य किया गया था तथा भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग और गुजरात के पुरातत्वीय विभाग द्वारा अहमदाबाद, बड़ौदा, भाव नगर, भडौच, साबरकेडा, सुरेन्द्र नगर, सूरत, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना और राजकोट जिलों में खुदाई कार्य किया गया था।

वर्ष 1968-69 में बड़ौदा जिले में साठोड, जूनागढ़ जिले में नगर, जामनगर जिले में घुमली में खुदाई कार्य तथा कच्छ जिले में खारी और भुकी घाटी, मेहसाना जिले में सरस्वती घाटी तथा पंचमहल जिले में अन्नास जिले में खोज कार्य किये जाने की योजना है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस पर यथा समय विचार किया जायेगा।

भारतीय नौवहन निगम

4562. **श्री प्रेम चंद वर्मा :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद, ठेकों तथा बिक्री के लिये 500 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बारे में भारतीय नौवहन निगम ने उचित नियम बनाए हुए हैं, और यदि हां, तो वे क्या हैं और वे कब से लागू हैं ; और

(ख) क्या निगम की कार्यप्रणाली का कभी कोई सामान्य मूल्यांकन किया गया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं, और यदि नहीं, तो क्या इसकी कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार का विचार किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का है ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मत्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी हाँ। 500 रुपये प्रतिमास वेतन वाले पदों की भर्ती के लिये नियत नियम है। समुचित मामलों में रिक्तियों का विज्ञापन समाचार पत्रों में दिया जाता है। भर्ती गुणावगुण अनुभव और उपयुक्ता के आधार पर की जाती है। अभ्यर्थियों के चयन के लिए निगम के समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों द्वारा लिए गए साक्षात्कार के अधार पर भर्ती के लिए चयन किया जाता है। नियमों में परिवीक्षा की विशिष्ट अवधियों की भी व्यवस्था की गई है। माल लेने और सेवाएं प्राप्त करने तथा ठेके देने की प्रक्रियाओं के बारे में भी निगम में नियम हैं। अपने जहाजों के परिचालन के लिए निगम ईंधन और स्नेहक तेल, समुद्री रंग, समान और फालतू पुर्जे खरीदता है। जहाजों में नौभरकों, ताराशकों पेंटरों की सेवाओं और जहाजों पर विक्शुअलिग, जहाजों के बीमा करने के लिए विभिन्न संविदाएं करनी पड़ती हैं।

(ख) निगम के कार्यकरण का समय समय पर सामान्य मूल्यांकन किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा की नियमित प्रणाली निगम में चालू है। इसके अलावा निगम के खाते और इस के क्रियाकलापों की समीक्षा की जाती है और भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की ओर से लेखा परीक्षा की जाती है। 1966 में निगम ने भारत के प्रशासन अमला कालेज, हैदराबाद, के प्रबन्ध सलाहकारों का एक विशेषज्ञ दल भी चालू किया है। इस दल का अध्यक्ष फोर्ड

फाउन्डेशन विशेषज्ञ था। इस दल ने पूर्ण रूप से समीक्षा की और निगम की प्रबन्ध और लेखा प्रक्रिया का और उसके संगठन के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया। इसके फलस्वरूप संगठनात्मक, लेखा और प्रबन्धात्मक प्रक्रियाओं में समय समय पर सुधार तथा परवर्तन किया गया है।

Technical Staff of Central Hindi Directorate

4563. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the technical staff in the Central Hindi Directorate have not so far been deelared permanent ;

(b) the present number of technical staff in the Directorate and the number of permanent posts ;

(c) the action taken so far to confirm the persons concerned against the permanent posts ;

(d) the time by which staff would be confirmed against those permannent posts ; and

(e) the reasons for the delay that has taken place in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached. [*Placed in Library. See.* LT—No. 633/69].

(c) and (d). Meetings of the Departmental Promotion Committees for determining the suitability of the temporary staff for confirmation will be convened in the near future and consequent orders regarding their confirmation will be issued thereafter.

(e) The matter was under discussion with the Union Public Service Commission.

Publication of Indian Gazetteers

4566. Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ranjit Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the details of the Volumes of the Indian Gazetteers published since 1947 so far and of those which have been compiled and would be published during the current year and the next year ; and

(b) if the work continues with the present speed, the time by which all the State and Central Gazetteers would be published ?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The work relating to the revision of the Gazetteers was taken up only in 1958, when the Central Gezetteers Unit was set up. Volume I of the Gazetteer of India—'Country and People'— was published in 1965 and is now being reprinted. Volume II—'History and Culture'—is in the press and is expected to be published by the end of this year. The editing of Volume III—'Economic Structure and Activities'—has been taken up. Most of the chapters of Volume IV—'Administration and Public Welfare'—have been received from the contributors.

(b) The work is expected to be completed by the end of the Fourth Five Year Plan at the latest.

चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों तथा पुलों का सुधार

4565. **श्री रा० कृ० सिंह : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों तथा पुलों में सुधार करने के लिए विशेष योजनायें बनाई हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजना पर कितना खर्च ग्रायेगा ; ग्रौर

(ग) उत्तर प्रदेश की फैजाबाद डिवीजन में सड़कों तथा पुलों पर कितना व्यय किया जायेगा ?

संसद कार्य ग्रौर नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (ग) चौथी योजना जिसमें सड़क ग्रौर पुलों की योजनाए ग्रौर कार्यक्रम शामिल हैं तैयार कर ली गई हैं परन्तु उसे ग्रभी ग्रंतिमरूप दिया जाना है ।

भारत-वर्मा सीमा पर मोरेह में पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी

4566. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 दिसम्बर, 1968 को भारत-बर्मा सीमा पर मोरेह में एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उस व्यक्ति का तथा उससे ग्रपराधपोषक प्राप्त दस्तावेजों का व्योरा क्या है ; ग्रौर

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) ग्रौर (ग). 20 दिसम्बर को भारत-बर्मा सीमा पर किसी पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं है । फिर भी, 28 दिसम्बर को मोरेह मे पश्चिम बंगाल सुरक्षा ग्रधिनियम के ग्रधीन गिरफ्तार एक व्यक्ति के सम्बन्ध में एक ग्रापराधिक मामले की जांच की जा रही है । चूंकि मामले पर ग्रभी जांच की जा रही है ग्रत: इस समय ग्रधिक व्योरे प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

कोचीन बन्दरगाह में मिट्टी का जमा होना

4567. **श्री ग्रदिचन** : **श्री जनार्दनन :**
श्री बृजराज सिंह : **श्री बासुदेवन नायर** :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन मार्ग में गाद ग्रपने से कोचीन बन्दरगाह के विकास में एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो बन्दरगाह में से गाद हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद कार्य ग्रौर नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) ग्रौर (ख). कोचीन पत्तन में कुछ नदियों के घाटों में बाकी गाध के कारण तीस

फुट के क्षत्र में डुंबाव की देखभाल करने में कुछ कठिनाई हुई और हाल ही में नये बर्थों के निर्माण के कारण निकर्षण पोतों की देखभाल की मात्रा में वृद्धि हुउ। निकर्षण पोतों में आत्मनिर्भरता की कमी और उनके पुराने हो जाने के कारण उनकी कार्य-गति में शिथिलता आ गई। इस स्थिति का सामना करने के लिए कोचीन पत्तन अधिकारियों ने जनवरी 1968 में कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर से एक निकर्षण पोत 'गंगा' प्राप्त किया है और इस निकर्षण पोत की सहायता से बाकी गाध का एक भाग खाली कर दिया गया है। सन् 1967-68 में मौजूदा एक निकर्षण पोत लेडी विलिंगडन' चार महीने तक बराबर काम करता रहा है। इस निकर्षण-पोत और निकर्षण -पोत 'गंगा' को दो पारी में चलाने का निश्चय किया गया है। दीर्घ-कालीन उपाय के आधार पर कोचीन पोर्ट ट्रस्ट एक नया हाप्पर चूषण और एक नया ग्रैव हाप्पर निकर्षण पोत प्राप्त कर रहा है जिसके लिए आर्डर दिए गए हैं। पत्तन वर्तमान निकर्षण पोत 'लेडी विलिंगडन' के स्थान पर एक दूसरे निकर्षण-पोत को प्राप्त करने के लिए विशिष्टी बना रहा है।

कुछ राज्यों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

4568. **श्री कंवरलाल गुप्त :** **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री ओंकार सिंह : **श्री शारदानन्द :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध हैं ;

(ख) किन-किन राज्यों में भारतीय अपने नाम से व्यापार नहीं कर सकते ;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्यों के इन भागों में, जहां प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, इन प्रतिबन्धों के कारण पिछले 20 वर्षों में उद्योग, व्यापार, शिक्षा आदि के क्षेत्र काफी प्रगति नहीं हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपनी नीति बदलने तथा इन भागों में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध में ढील करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). बिहार, केरल तथा तमिल नाडु के अतिरिक्त सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना 21 फरवरी 1969 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 615 तथा 20 दिसम्बर 1968 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 877 के उत्तर में दी जा चुकी है। केरल और तमिल नाडु से सूचना अभी प्रतिक्षित है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के किसी भाग में भारतीय राष्ट्रीकों के प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भारतीय राष्ट्रीकों द्वारा राज्य के किसी भाग में सम्पत्ति अर्जन तथा व्यापार करने पर भी, सिवाय विभिन्न किरायेदारों कानूनों के अन्तर्गत जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को भूमि हस्तांतरित करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हुये हैं, कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पत्तनों का विकास

4569. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री जि० ब० सिंह :
श्री ओंकार सिंह : श्री शारदानन्द :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उन पत्तनों के नाम क्या है, जिनका विकास किया जा रहा है अथवा अगले दो वर्षों में जिनका विकास किया जायेगा,

(ख) विकास कार्य का ब्योरा क्या है ; और

(ग) विकास के बाद इन पत्तनों की क्षमता में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह): (क), (ख) और (ग). आगामी दो वर्षों में उनकी परिचालन कुशलता और उनकी क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से वर्तमान आठ बड़े पत्तनों का विकास किया जायेगा और मंगलोर और तूतीकोरिन पर नये बड़े पत्तनों के निर्माण में और प्रगति की जायेगी। आगामी दो वर्षों में बड़े पत्तनों का विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना जो बन रही है उसका भाग बनेगा। अत: इस विकास कार्यक्रम का ब्योरा और विकास के बाद उत्पन्न होने वाली क्षमता को बताना संभव नहीं है।

Repair of Roads in Delhi

4570. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state the action taken to repair the roads in Delhi during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : The executive authorities viz., the Delhi Corporation, the Delhi Administration and the New Delhi Municipal Committee are attending to the work of repairs of roads in Delhi and an expenditure of Rs. 105.44 lakhs in 1967-68 and of Rs. 137.46 lakhs in 1968-69, upto February 1969, has been incurred. A statement containing details of works done is attached. [*Placed in Library. See* LT—No. 534/69].

Expeditious Approval of House Plans and issue of Licences to Factories in Delhi

4571. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation has given certain facilities in respect of expenditious approval of house plans and issue of licences to factories in Delhi ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Under Section 337(i) of the D.M.C. Act, 1957, the statutory period within which the building plans should be sanctioned is 60 days. However, the Delhi Municipal Corporation have informed that the building plans of approved colonies are now being sanctioned within 7 days to 15 days and building plans of regularised colonies are being sanctioned within 30 days. Building Plans are sanctioned even if certain corrections are to be made/certain documents are to be submitted by the party, subject to corrections/submis-

sion of documents. The Municipal Corporation of Delhi inform that they have revised the policy regarding the issue of licences to the factories other than noxious/hazardous trades as were established in non-conforming areas after 1.9.1962 but before 30.11.1967. Under the revised policy, licences to individual factory owners are issued on production of documentary proof that their trade was established after 1.9.1962 but before 30.11.1967. Arrears at three times the existing rates of license fee of the respective trades are payable from the date the trade was established. In addition power fee @ Rs 12.50 p per H.P. subject to a minimum of Rs. 25.00 is also recovered. These licenses are purely on an *ad hoc* basis and will not conform on the licensee the right to claim an alternative site in the conforming area at any time, nor will the applicant be entitled to claim any damages/compensation whatsoever in case they are asked to close/shift from their present sites. The licenses will be liable to cancellation on three months notice.

Bridge over River Jamuna in Delhi

4572. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bridge on the River Jamuna near Central Revenue Building in Delhi could not be put to use even after its completion because the road leading direct to Mohan Nagar could not be completed ; and

(b) if so, the time by which this road will be completed so that traffic difficulties may be reduced ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh) : (a) No. The bridge has already been thrown open for use by light vehicles after constructing a temporary approach road on the eastern marginal bund. There will be no direct road connecting the bridge with Mohan Nagar.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय समुद्री डिजायन कार्यालय

4573. **श्री कामेश्वर सिंह : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री डिजाइन कार्यालय की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव का अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह): (क) और (ख). केन्द्रीय समुद्री डिजाइन ऑफिस को स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने संबद्ध हितों से परामर्श करके विचार कर लिया है और इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही न करने का निर्णय किया है।

Foreign Wives of Government Officials

4574. Shri Molahu Prashad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 924 on the 15th November, 1968 and state :

(a) whether the Information regarding foreign wives of the Government officials

has since been collected from the Ministries/Departments of the Government of India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for this inordinate delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Information received from some Ministries and Departments has already been furnish in answer to the Unstarred Question No. 924 on the 15th Novermber, 1968. A statement containing the information received from the remaining Ministries/ Departments is being separately furnished to fulfil the earlier assurance. [*Placed in Library. See* LT—No. 535/69].

Installation of Idol in Jalkandeshwar Temple

4575. Shri Ranjit Singh :
Shri Suraj Bhan :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a former District Magistrate of Vellore had requested the Central Government to accord permission to Hindus also for installing an idol in the old Jalkandeshwar Temple in the historic fort there, where a mosque and a church are situated on one side ;

(b) whether it is also a fact that the Tamil Nadu Government have stated that they would like to respect the sentiments of the people regarding the installation of an idol in the aforesaid temple but the Central Government have not accorded permission in this regard ; and

(c) if so, the reaction of Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to information received from the State Government, no reference to Central Government has been made by a former District Magistrate.

(b) and (c). The Tamil Nadu Government had made such a proposal. The request of the State Government is under consideration in the Ministry of Education.

Centres for Scientific Research in India

4576. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of research centres engaged in the field of scientific research in the country ;

(b) the steps taken by Government to encourage Indian Scientists in the direction of Scientific research ; and

(c) the number of research certres proposed to be set up by Government during 1969 ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) There are 73 scientific research centres with which the Ministry of Education and Youth Services is concerned. These include National Laboratories of the Council of Scientific and Industrial Research, Centres of Advanced Study set up by the University Grants Commission, Indian Institutes of Technology and private scientific institutes receiving grants-in-aid from the Ministry.

(b) The steps taken to encourage scientists include award of merit promotions and

advance increments for outstanding research work, grant of fellowships and scholarships for research, liberal policies for grant of study leave, for publication of papers, for attending symposia and seminars, for filling patent applications and for visits abroad for study. Special encouragement is also being given to young scientists to work at Advanced Centres set up at Universities. A proposal for giving direct *ad hoc* grants to scientists engaged in research in universities and scientific institutes is under consideration.

(c) No new research centre is proposed to be set up by the Ministry of Education and Youth Services during 1969, but the activities of the existing centres will be expanded and strengthened.

Jawans Killed on Borders

4577. Shri Om Prakash Tyagi : Wiil the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of jawans of the Border Security Force Killed during the last three years while protecting India's borders ;

(b) the amount of compensation paid to the families of the deceased ;

(c) the border where the number of the killed persons was highest ;

(d) the actual number of them ; and

(e) the steps taken by Government to reduce the number in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Border Security Force came into existence on the 1st December, 1965. So far, 18 Border Security Force jawans have been killed while protecting the border ;

(b) A statement showing the financial assistance given to the families of the deceased personnel is attached. [*Placed in Library. See* LT—No. 536/69].

(c) and (d). 8 Border Security Force personnel were killed on the Jammu and Kashmir border.

(e) Necessary training and equipment are being provided to the Boarder Security Force personnel to enable them to effectively carry out the allotted tasks.

चंडीगढ़ में कर

4578. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विभिन्न व्यवसायों, कारोबारों और आजीविकाओं पर कर के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

1966-67 (1-11-66 से 31-3-67 तक)	43,712.00 रुपये
1967-68	3,73,553.00 रुपये
1968-69. (1-4-68 से 31-1-69 तक)	2,56,036.00 रुपये

चंडीगढ में बिजली उप-कर

4579. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्व बिजली शुल्क पर उप-कर के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) क्या इस राशि का उपयोग लोक कल्याण योजनाओं के लिये किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क)

1966-67 (1-11-66 से 2-5-67 तक)	8.52 लाख रुपये
1967-68 (3-5-67 से 31-3-68 तक	18.12 लाख रुपये
1968-69 (1-4-68 से 31-1-69 तक)	17.64 लाख रुपये

(ख) यह आय संघ राज्य क्षेत्र के सामान्य राजस्व का एक अंश है ।

चंडीगढ़ में श्रमिक बस्तियों में सड़कों के किनारे बत्तियां

4580. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ की श्रमिक बस्तियों में अभी तक सड़कों के किनारे बत्तियों तथा सार्वजनिक शौचालयों तथा सार्वजनिक स्नान गृहों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) क्या इन बस्तियों में व्यक्तिगत तौर पर लोगों को अभी तक बिजली व पानी के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था कब तक किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क)

सड़कों के किनारे बत्तियाँ

चार प्राधिकृत श्रमिक बस्तियों में से किसी में भी इनकी व्यवस्था अभी नहीं की गई है ।

सार्वजनिक शौचालय

तीन बस्तियों में इनकी व्यवस्था की गई है । चौथी बस्ती में यह काम शुरू किया गया है और इसके शीघ्र पूरा किये जाने की सम्भावना है ।

सार्वजनिक स्नानागृह

सभी चारों बस्तियों में सार्वजनिक स्नानागृहों तथा नलों की व्यवस्था की गई है ।

(ख) मांग करने पर उन प्राधिकृत बस्ती-वासियों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन दिये गये हैं जो नियमों के अन्तर्गत ऐसे कनेक्शन दिये जाने की शर्तों को पूरा करते हैं। चण्डीगढ़ प्रशासन का व्यक्तिगत तौर पर लोगों को पानी के कनेक्शन देने का विचार नहीं है क्योंकि सार्वजनिक नलों की व्यवस्था की गई है।

(ग) जहां तक सड़क के किनारे बत्तियों का सम्बन्ध है, मामला चण्डीगढ़ प्रशासन के विचाराधीन है। कुछेक आधारभूत कठिनाइयों के कारण यह बतलाना सम्भव नहीं है कि यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी। अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में स्थिति उपरोक्त (क) और (ख) में बता दी गई है।

1971 में जनगणना कार्य

4581. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में आरम्भ होने वाले जनगणना कार्य के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या देश में लोगों की आर्थिक दशा तथा बेरोजगारी की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले के प्रपत्रों में कुछ अतिरिक्त कालम जोड़े जा रहे हैं ?

गृह–कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्र में एक पूर्ण-कालिक अधिकारी को महापंजीकार तथा पदेन जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया है और अधिकांश राज्यों तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना कार्य के अधीक्षक नियुक्त किये गये हैं तथा शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शीघ्र ही नियुक्त किये जायेंगे। 1971 की जनगणना के लिए प्रश्नावली के विस्तार के बारे में मई, 1967 में हुई एक विचार-गोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया था और एक प्रारम्भिक प्रश्नावली का नवम्बर-दिसम्बर, 1967 में पूर्व-परीक्षण किया गया था। इस पर अक्तूबर, 1968 में हुए जनगणना प्रयोक्ताओं के सम्मेलन में और आगे विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप इसे संशोधित करने के पश्चात इसका पुनः पूर्व-परीक्षण किया जा रहा है तथा तत्पश्चात इसको अन्तिम रूप दिया जायेगा। जनगणना सामग्री के इलेक्ट्रोनिक संगणक पर रिकार्ड बनाने के लिए भी प्रबन्ध किये गये हैं। इससे जटिल सारणीयन का और अधिक कार्य हाथ में लेने में सुविधा होगी। 1971 की जनगणना में सहायक के रूप में किये जाने वाले शहरी अध्ययनों तथा अन्य सामाजिक अध्ययनों के नमूने पर विचार करने के लिए समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मानव-विज्ञानियों, नगर आयोजकों तथा भूगोलज्ञों से परामर्श करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं।

(ख) 1971 की जनगणना में पूछे जाने वाले प्रस्तावित आर्थिक प्रश्न मोटे तौर पर कुछ सुधार सहित 1961 की जनगणना के नमूने के ही अनुरूप होंगे। 1971 की जन-गणना की अनुसूची में सहायक (गौण) कार्य पर एक विशिष्ट प्रश्न जोड़ दिया गया है। इन प्रश्नों का उद्देश्य वह सामग्री एकत्रित करना है जिससे काम करने वाली जनसंख्या तथा आर्थिक रूप से क्रियाहीन जनसंख्या और बेरोजगारों की विशिष्टताओं का पता लग सके।

दिल्ली नगर निगम को राजस्व की हानि

4582. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 दिसम्बर, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ट्रक चालक नगर अधिकारियों की सहायता से दिल्ली नगर निगम को धोखा देते रहे हैं और उन्होंने इसे कई लाख रुपयों के राजस्व से वंचित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने अधिकारी गिरफ्तार अथवा निलम्बित किये गये हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने 24 दिसम्बर 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें बताया गया है कि दिल्ली नगर निगम के चलते फिरते दस्ते ने, नगर अधिकारियों की सहायता से कुछ परिवहन चालकों द्वारा की जाने वाली एक नई चालाकी का पता लगाया है ।

(ख) एक अधिकारी को सेवा से मुक्त कर दिया गया है ।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने तस्करी व सीमा-कर के अपवंचन की प्रभावी रोकथाम के लिए 24 घण्टे काम करने के लिए गतिशील कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करके चलते फिरते दस्ते को सबल बनाया है । इसके अतिरिक्त, रोकथाम के कार्यक्रम को, तस्करी तथा कर के अपवंचन के विरुद्ध एक विशेष उपाय के रूप में स्थानीय बाजारों में सामान उतारने के स्थानों समेत विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक छापे मारने के लिए सहायक सीमाकर अधिकारी प्रतिनियुक्त करके, बढ़ाया गया है ।

केन्द्रीय स्कूलों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की संख्या में कमी

†4583. **श्री लोबो प्रभु :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय स्कूलों में मानव विज्ञान की शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाने के बाद अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थियों के दाखले में कितने प्रतिशत कमी हुई है ;

(ख) केन्द्रीय स्कूलों के कुल विद्यार्थियों की तुलना में हिन्दी भाषी विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) क्या हिन्दी को माध्यम बनाने के बाद शिक्षा के स्तर पर उसके प्रभाव के बारे में जांच कराने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) कोई नहीं ।

(ख) लगभग 39 प्रतिशत ।

(ग) सभी केन्द्रीय स्कूलों में योजना के आरम्भ से ही पहली कक्षा से हिन्दी और अंग्रेजी

दोनों पढ़ाई जाती है। जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणाम अच्छे होते जा रहे हैं और हमारा यह सतत प्रयत्न रहेगा कि इन स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार होता रहे।

भारतीय नौवहन

4584. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशी मुद्रा कमाने के मामले में भारतीय नौवहन की क्या स्थिति है ?

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रमैया) : विदेशी मुद्रा व्यय को ध्यान में रखते हुए, समुद्रपारीय व्यापार में लगे हुए भारतीय जहाजों का उपार्जन देश को विदेशी मुद्रा का निवल उपार्जन। बचत को दिखाता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि 1966-67 और 1667-68 में समुद्रपारीय व्यापार में भारतीय जहाजों का विनिमय के अवमूल्यन के बाद के दर से कुल उपार्जन क्रम से 92.91 करोड़ रुपये और 107.90 करोड़ रुपये थे।

विदेशों से जहाजों की खरीददारी

4585. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 1965 में रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशों से जहाजों की खरीद करना बड़ा कठिन हो गया है और आस्थगित भुगतान सम्बन्धी सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) : 1966 में (1965 में नहीं) भारतीय रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप आयातितमाल जिसमें जहाज भी शामिल हैं, का रुपया-मूल्य अवमूल्यन के स्तर से 57.5 प्रतिशत बढ़ गया है। इससे अवमूल्यन से पूर्व स्थगन भुगतान के आधार पर अधिग्रहीत जहाजों से सम्बद्ध जहाज मालिकों की बाकी दायता भी रुपयों के रूप में बढ़ गयी है। यद्यपि जहाजों के लिए विदेशी मुद्रा के ऋण की उपलब्धता और अवमूल्यन में सीधा सम्बन्ध नहीं है परन्तु यह सत्य है कि अब भारतीय जहाज मालिकों की विदेशी शिपयार्डों या विदेशी वित्तीय संस्थानों से स्थगन भुगतान संस्थाएं पांच वर्ष से अधिक अवधियों के लिए प्राप्त करने में कठिनाई होती है जबकि पहले 3-10 वर्ष के ऋण बिना अधिक कठिनाई के प्राप्त हो जाते थे।

मोटर गाड़ियों पर करारोपण

4586. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मोटर गाड़ियों पर कारारोपण के सिद्धान्त निर्धारित करने के लिये कोई विधान लाने का है, जैसा कि सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन में सुझाया गया है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रमैया) : जी, नहीं। कानून के अन्तर्गत मोटर विहिकल टेक्सेशन सिद्धान्तों को निर्धारित करने में कठिनाइयां होने के अलावा इस तरह के सिद्धान्तों पर दृढ़ रहना सदा व्यावहारिक नहीं होता है और कानून में समय-समय पर परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इस सम्बन्ध में कोई भी कानून कराधान से संबद्ध होकर न्यायालय में विवाद का विषय बन जाता है और इस तरह बजट पद्धति में बाधा पैदा हो जाने की सम्भावना होती है।

मुगल लाइन लिमिटेड

4587. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन लिमिटेड को भारतीय नौवहन निगम के साथ मिलाने का सरकार का विचार है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का व्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार का विचार राजकीय भारतीय नौवहन निगम की कुल टन भार क्षमता को बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका व्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) और (ख). यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ). 1-3-1969 को निगम के पास कुल 5,67,865 जी० आर० टी० के 63 जहाज थे। कुल 4.63 लाख जी० आर० टी० के 27 जहाजों (19 भारत में और 8 विदेशों में) के लिए निगम ने आदेश दिया है। इन में तेल पोतों, धातु तेल-खाद्यान्न वाहकों और यात्री जहाजों के आदेश भी शामिल हैं।

भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध आन्दोलन

4588. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध एक आन्दोलन आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के फलस्वरूप जिन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है अथवा जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों में भी ऐसा आन्दोलन आरम्भ करने का है जिनमें ऐसा नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विशेष भ्रष्टाचार निरोध आन्दोलन आरम्भ नहीं किया है।

(ग) तथा (घ). देश में केन्द्रीय सरकार के चुने हुए विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार-निरोध व सतर्कता कार्य की योजना कार्यान्वित करती है।

बम्बई पोर्ट पाइलेट्स सर्विसेज एसोसिएशन

4589. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1968 में किसी समय बम्बई पोर्ट पायलेट्स सर्विसेज

एसोसिएशन ने देसाई समिति की सिफारिशों के अनुसार अपनी मांगे मनवाने के लिये नियम के अनुसार काम करने का अभियान चलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). बम्बई पत्तन कनहारी सेवा ने अपनी कुछ माँगों पर जोर डालने के लक्ष्य से 18-8-1968 से नियमानुकूल काम करना शुरू कर दिया है :—

मांगें निम्न प्रकार हैं :—

(1) सभी अधिकारियों के लिए 8 घंटे प्रति दिन काम करने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाए और कार्यरूप में परिणत किया जाय और दैनिक मजदूरी में किये गए अतिरिक्त घंटे की क्षति पूर्ति की जाय।

(2) मोटर कार भत्ता 350 रुपये प्रति माह किया जाय।

(3) बिन्दु दर बिन्दु के आधार पर वेतन पुर्ननियतन।

(4) 1800 रुपये प्रति माह वेतन के ऊपर कम से कम 100 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि।

(5) जिन सदस्यों को पोर्ट ट्रष्ट द्वारा क्वार्टर नहीं दिये गये हैं, उन्हें उचित मुआवजा।

(6) वेतन दरों आदि के बारे में देसाई कमेटी की सिफारिशों को एक जनवरी 1966 से कार्यान्वित किया जाये।

इन मांगों में से देसाई कमेटी की सिफारिश पर आधारित उक्त तीसरी मांग है जिनके सम्बन्ध में कमेटी ने कुछ एक विषयों में बिन्दू दर बिन्दू वेतन पुर्ननियतन करने की सिफारिश की है।

बम्बई पोर्ट ट्रष्ट सामान्य स्थिति की पुनःस्थापना करने के लक्ष्य से पाइलेटों के साथ मुनासिब राजीनामा करने के सम्बन्ध में सभी यथा-सम्भव प्रयत्न कर रहा है।

लक्कादीव द्वीपसमूह में सब-जज/तहसीलदारों की नियुक्ति

4590. **श्री प० मु० सईद** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्का दीव द्वीप समूह में सब-जज और तहसीलदार के पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक योग्यताएं निर्धारित हैं ;

(ख) क्या वर्तमान सब-जज तथा तहसीलदार में आवश्यक अर्हतायें हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन व्यक्तियों को उन पदों पर क्यों नियुक्त किया गया है ; और

(घ) वहां पर उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अधीनस्थ जज के पद के भर्ती नियमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तहसीलदारों के पदों पर नियुक्ति के

लिए अनिवार्य अर्हताएं संलग्न विवरण में दी हुई हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 537/69]

(ख) जैसा कि लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमिनदीवी द्वीप समूह (दीवानी न्यायालय) विनियम, 1965 की धारा 5 के अन्तर्गत आवश्यक है, अधीनस्थ-जज की नियुक्ति केरल उच्च न्यायालय के परामर्श से की गई थी। सभी तहसीलदारों के पास अपेक्षित अर्हताएं हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

Loss or Profit of Air India and IAC

4591. Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the profit or loss likely to accrue to the Air India and the Indian Airlines Corporation during the current financial year and the percentage of net profit or loss likely to accruel to them on their capital investment ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : During 1968-69, Air-India expects to show a profit of Rs. 2.85 crore which will be about 10.6% of the capital advanced to it while Indian Airlines expect to end up with a profit of Rs. 1.59 crore which will work out to 6.6% of the capital advanced.

C.B.I. Enquiry Against Government and Non-Government Employees

4592. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Government and non-Government employees against whom enquiry was conducted by the Central Bureau Investigation since 1st January, 1967 and

(b) the number of persons prosecuted and convicted, separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of Government servants, other public servants and private persons against whom enquiries were conducted by the Central Bureau of Investigation during 1967 and 1968 is given below :

	Government servants	Other public servants	Private persons
1967	4598	547	2261
1968	4164	557	2139

(b) The number of such persons prosecuted and convicted during 1967 and 1968 is given below :

	PROSECUTED			CONVICTED		
	Government servants	Other public servants	Private persons	Government servants	Other public servants	Private persons
1967	322	39	628	185	13	147
1968	328	20	627	169	9	256

Surrender by Rebel Nagas/Mizos/Kukis

4593. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Naga, Mizo and Kuki hostiles who had surrendered to the Border Security Force and the Assam Rifles since 1st January, 1965 ;

(b) the action taken against these persons ; and

(c) the arms and ammunition recovered from them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a), (b) and (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भू-राजस्व पर शिक्षा उपकर

4594. **श्री बलराज मधोक :** **श्री कमलेशकर शर्मा :** **श्री रणजीत सिंह :** **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री द० चं० शर्मा :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने अपनी जनवरी, 1969 में हैदराबाद की दो दिन की बैठक में कई कदम उठाने, जिनमें चौथी योजना में शिक्षा के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के लिये सभी राज्यों द्वारा भू-राजस्व पर शिक्षा उपकर लगाने की बात है, की सिफारिश की है ;

(ख) क्या उन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां। स्थायी समिति ने अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की थी। किन्तु उसने जुटाई जाने वाली कुल राशि के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं रखा।

(ख) और (ग) शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय स्थायी समिति की सिफारिशों का समर्थन करता है। ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गयी है और उनके द्वारा उन पर इस समय विचार किया जा रहा है।

Loan given to D.T.U.

4595. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the amount of loan given by the Central Government to the Delhi Transport Undertaking ;

(b) the number in which the loan money was utilised by the Delhi Transport Undertaking ;

(c) whether it is a fact that the amount was lavishly spent for the purchase of jeeps for administrative purposes and movement of officers and big buses were not purchased ; and

(d) whether Government propose to enquire from the Delhi Administration about this ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : (a) A sum of about Rs. 12.42 crores has so far been advanced by the Central Government to the Delhi Transport Undertaking.

(b) According to the D.T.U., the amount has been spent on the various items of expenditure for which loans were sanctioned, like purchase of buses and auxiliary vehicles, construction of staff quarters, and purchase of plant and machinery.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

शेख अब्दुल्ला का प्रेजिडेन्ट अय्यूब खां को पत्र

4596. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि पाकिस्तान के लोग श्री नगर में सितम्बर, 1968 में हुए काश्मीर राज्य जन सम्मेलन में शामिल होते और उन्होंने पाकिस्तान के प्रेजिडेन्ट अय्यूब खाँ को एक पत्र में प्रार्थना की थी कि पाकिस्तानियों को ऐसा करने के लिये परमिट दिये जायें ;

(ख) क्या ऐसा पत्र लिखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने भारत सरकार से पूर्व अनुमति मांगी थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है या उसने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के प्रेजिडेन्ट को यह अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अथवा पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों को 10 से 17 अक्टूबर, 1968 तक हुए सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीनगर आने की सुविधा दी जाय।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) सरकार के विचार में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देशबन्धु चित्तरंजन दास की जन्म शताब्दी

4597. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देशबन्धु चित्तरंजन दास की जन्म शताब्दी जो नवम्बर, 1969 में मनायी जायेगी, की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस समारोह को उचित ढंग से मनाने के बारे में कोई कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ;

दिल्ली में देशबन्धु चित्तरंजन दास की मूर्ति

4598. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश-बन्धु चित्तरंजन दास, जिन की जन्म शताब्दी इस वर्ष नवम्बर में मनायी जायेगी, की एक मूर्ति नई दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर लगाने और एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी शिक्षा साहित्य

4599. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद विदेशी शैक्षणिक साहित्य का मूल्य इतना अधिक हो गया है कि अनिकांश विद्यार्थी उसे खरीदने में असमर्थ हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह मालूम है कि औसत रूप से हमारे आजकल के विद्यार्थियों का स्तर गिरने का कारण यह भी है कि हमारे विद्यार्थियों को विख्यात लेखकों के प्रामाणिक ग्रंथ कम मूल्यों पर उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) इस कमी को समाप्त करने के लिये और विख्यात प्रामाणिक ग्रन्थों और शैक्षणिक पत्रिकाओं के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद के लिये सरकार ने क्या निश्चित कार्यवाही की है ताकि समाज में साहित्य जनता को यह कम मूल्यों पर उपलब्ध हो ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि इस बात में कुछ सचाई है कि स्तर गिरने का एक कारण यह तथ्य है कि विख्यात लेखकों की श्रेष्ठ पुस्तकें विद्यार्थियों को सस्ती कीमत पर शिक्षा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, स्तरों में गिरावट बहुत से कारणों का परिणाम है, जिनकी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई है ।

(ग) इंग्लैण्ड, अमरीका और सोवियत रूस की सरकारों के सहयोग से, इन देशों में मूलतः लिखित लिखी जाने वाली मानक शैशिक कृतियों के सस्ते संस्करण विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को उपलब्ध किए जाते हैं । पिछले दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन पुस्तकों के अनुवादों की व्यवस्था है । भारतीय लेखकों की मानक कृतियों के लिए सहायता देने की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है ।

तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश में विद्यार्थियों का आन्दोलन

4600. **श्री रा० की० अमीन :** **श्री अदिचन :**
श्री मीठालाल मीना : **श्री रा० वें नायक :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री हेमराज : **श्री बेंगलराया नायडू :**
श्री बे० कु० दास चौधरी : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज : **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री एस० आर० दामानी : **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी : **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री ज्योतिर्मय वसु : **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवराव पाटिल : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना का तथाकथित संरक्षण विद्यार्थी आन्दोलन अन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में फैल गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस आन्दोलन के पीछे कुछ राष्ट्रविरोधी समाज-विरोधी तत्वों का हाथ है और जिसके कारण विभिन्न वर्गों में चिन्ता हो रही है ;

(ग) क्या उन लोगों ने सभी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्यवाही, जिसमें रेलवे और अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करना भी है ; और

(घ) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तो वह क्या है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तेलंगाना संरक्षणों के उचिय कार्यान्वियन के लिये आन्दोलन, जो 8 जनवरी, 1969 को एक कालेज के विद्यार्थी द्वारा भूख हड़ताल से आरम्भ हुआ था, तेलंगाना में विभिन्न स्थानों तक फैल गया और उसके उत्तर में आन्ध्र क्षेत्र में, एक और आन्दोलन हुआ । आन्दोलनकारियों ने रेलगाड़ियों को रोका जिससे रेलगाड़ियों के आने जाने में अव्यवस्था फैली तथा कई स्थानों पर रेल की सम्पत्ति को नष्ट किया गया । चूंकि आन्दोलन ने एक हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था, अतः 29 जनवरी, 1969 की रात्रि को सेना बुलाई गई । यद्यपि आन्दोलन अभी जारी है किन्तु 5 फरवरी, 1969 से कोई बड़ी घटना के होने का समाचार नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सतत सम्पर्क बनाए हुये है । मुख्य मंत्री ने 19 जनवरी, 1969 को राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की थी और तेलंगाना क्षेत्र में संरक्षणों के कार्यन्वयन के संबंध में कुछ फैसले किये थे । राज्य सरकार ने 21 जनवरी, 1969 को आवश्यक

आदेश निकाले थे। केन्द्रीय सरकार का प्रयास तेलंगाना के व्यक्तियों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने में हर सम्भव तरीके से सहायता करने का है।

(ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

बिहार के राज्यपाल के व्यवहार का विरोध

4601. श्री रा० बरुआ : श्री भोगेन्द्र झा :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री रा० की० अमीन :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री ओंकार लाल बेरवा : श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : श्री रा० बें० नायक :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दो दर्जन संसद सदस्यों तथा विधान परिषद् के सदस्यों ने 18 जनवरी, 1969 को बिहार के राज्यपाल द्वारा राज्य की चौथी योजना के मसौदे पर विचार करने के लिये बुलाई बैठक में, उनके प्रति राज्यपाल के अभद्र व्यवहार के विरुद्ध राष्ट्रपति से विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन मुख्य बातों पर आपत्ति की है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम जर्मनी के साथ विमान सेवा करार

4602: श्री रा० बरुआ : श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री नि० रं० लास्कर : श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री ओंकारलाल बेरवा : श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा . रेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल पश्चिम जर्मनी और भारत के बीच विमान सेवा के बारे में बातचीत करने के लिये बौन गया था ;

(ख) क्या कोई करार किया गया है ; और

(ब) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनि उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां। एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच हवाई सेवाओं के बारे में पश्चिम जर्मनी के अधिकारियों से 20 से 25 जनवरी, 1969 तक बौन में बातचीत की।

(ख) जी हां।

(ग) करार की मुख्य बातें ये हैं कि लुफ्थांजा और एयर इंडिया, दोनों को क्रमशः भारत तथा फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी से होकर अपने परिचालनों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिकृत किया गया है। एयरलाइनों द्वारा उपयोग किये जाने वाले विमानों के प्रकार, तथा दोनों एयरलाइनों को अधिकृत की गयी मार्ग अनुसूची में कुछ फेर-बदल के बारे में भी सहमति हो चुकी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स सेंटर (भौतकी केन्द्र) में सुपर केन्डक्टिविटी (अतिसंवाहकता) तथा सुपर फ्लूडिटी (अति तरलता) पर संयुक्त अनुसंधान

4603. **श्री श० बरुआ :**　　　　**श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :　　　　**श्री ओंकारलाल बेरवा :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को ने यह निर्णय किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 'फिजिक्स सेंटर' (भौतिकी केन्द्र) की सुपर कंडक्टिविटी (अति तरलता) पर संयुक्त अनुसंधान के लिये मास्को की कपितसा इंस्टीट्यूट से सम्बन्ध किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन विशिष्ट ज्ञान क्षेत्रों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों का देश से बाहर चले जाने को रोकने के उपाय के रूप में यूनेस्को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सोवियत अकादमी आफ साइंस के साथ मिलकर यह अनुसंधान उपक्रम स्थापित करने में सहायता देगा ; और

(ग) यदि हां, तो यूनेस्को अन्य किन-किन तरीकों से वैज्ञानिकों को भारत से बाहर जाने से रोकने में सहायता देगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस आशय का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) उन्नत अध्ययन कार्यक्रम केन्द्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध यूनेस्को सहायता का उपयोग, इस संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम के लाभ के लिए किया जाएगा। भारत में इस क्षेत्र में, उन्नत अनुसंधान की सुविधाएं और अवसर उपलब्ध करने से आशा है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को बाहर भेजने की आवश्यकता कम हो जाएगी। इस सीमा तक, इससे भारत से प्रतिभा निकास में कमी होगी।

(ग) अक्टूबर-नवम्बर, 1968 में पेरिस में हुए महा-सम्मेलन के पंद्रहवें सत्र में एक संकल्प पारित किया था, जिसके अधीन योग्य वैज्ञानिकों के प्रवास की समस्या को हल करने के लिए महा-निदेशक को प्राधिकृत किया था। संकल्प की प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल०टी० 538/69]।

भारत से प्रतिभा-निकास का अध्ययन, यूनेस्को की सहायता से अब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 1970 का अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाना

4604. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यूनेस्को के उपनिदेशक ने जनवरी, 1969 में दिल्ली में कहा था कि वर्ष 1970 को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष घोषित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस उद्देश्य से ऐसा किया गया है ; और

(ग) योजना में रखे गये मुख्य उद्देश्य क्या हैं और उनसे भारत को क्या विशेष लाभ प्राप्त होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी राव): (क) जी हाँ ।

(ख) वर्ष 1970 को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष घोषित करने का उद्देश्य यह है कि निम्नलिखित चार मुख्य उद्देश्यों के लिये यूनेस्को के सदस्य देशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं, निकायों तथा संगठनों द्वारा समेकित कार्यवाही को बढ़ावा दिया जाये :

(1) विश्व भर की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन के लिए ;

(2) शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिये अनेक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए ;

(3) शिक्षा के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने के लिए ; और

(4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को दृढ़ बनाने के लिये ।

(ग) मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना और उनका विकास करना है :

(एक) प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये कार्यात्मक साक्षरता ;

(दो) लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर ;

(तीन) विकास के लिए मध्य तथा उच्च स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण ;

(चार) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का प्रजातंत्रीकरण ;

(पाच) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में वरण से मार्गदर्शित रुचि की ओर संक्रमण ;

(छः) आधुनिक विश्व की, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा (सामान्य तथा तकनीकी, दोनों) ;

(सात) शिक्षा सम्बन्धी अनुसंधान का विकास ;

(आठ) सेवा से पहले तथा सेवा में अध्यापकों का प्रशिक्षण ।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाये जाने की अवधि में हम देश के अन्दर शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने पर बल देंगे । यह आशा भी है कि भारत को शिक्षा सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए यूनेस्को से अधिक सहायता मिलेगी ।

राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड

4605. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की बैठक हाल में बम्बई में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने छोटे बन्दरगाहों के विकास और बड़े बन्दरगाहों के नवीकरण के बारे में क्या मुख्य निर्णय किये ; और

(ग) क्या केरल राज्य के एलेप्पी में छोटे बन्दरगाह के निर्माण के लिये कोई राशि पृथक रखने का विचार है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). राष्ट्रीय बन्दरगाह मंडल की बैठक बम्बई में 17-1-1969 को हुई जिसमें व्यापक रूप से छोटे पत्तनों के विकास के मुख्य लक्षणों और बड़े पत्तनों के नवीकरण पर विचार किया गया। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं ; बड़ी योजनाओं की जो प्रगति पर हैं पूरा करना है जैसे हल्दीया गोदी पद्धति, मद्रास का बाहरी बन्दरगाह और मंगलार और तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना और नये कार्यक्रम जैसे मरमागाओ पत्तन नवीकरण कार्यक्रम, विशाखापतनम बाहरी बन्दरगाह योजना, मद्रास खनिज लौह घराई योजना, नौवहन और पारादीप पर दूसरे बड़े सुधार कार्य, कोचीन में तेल पोतों को गहरे डुबाव की सुविधाएं नवा-सेवा पर बम्बई का एक सहायक पत्तन का निर्माण और काडंला पर पांचवे घाट को चालू करना।

छोटे पत्तनों के सम्बन्ध में, मंडल ने 16-1-1969 को हुये तीसरे छोटे पत्तन सम्मेलन के निष्कर्षों जिसमें केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम में छोटे पत्तनों के विकास की ओर समित पहुँच को अंगीकार करने की नीति पृष्टांकित की गई उस पर विचार किया गया। सीमित पहुंच के अनुसार, आन्ध्रप्रदेश में काकीनाडा, मद्रास में कुडालार, केरल में वैयपोर, मैसूर में कारवार, महाराष्ट्र में रत्नगिरी (मिरया वैय) गुजरात में पोरबन्दर उड़ीसा में चादवाली या गोपालपुर के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव जो सरकार के विचाराधीन थे उनका तीसरे छोटे पत्तन सम्मेलन और राष्ट्रीय बन्दरगाह मंडल दोनों ने स्वागत किया।

(ग) छोटे पत्तनों के विकास का कार्यकारी दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। राज्य सरकार ने चौथी योजना के राज्य क्षेत्र में अल्लेपी के छोटे पत्तन के विकास के लिये 7 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। योजना आयोग के परामर्श से चौथी योजना कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

कारवार पत्तन का विकास

4606. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री रा० कृ० सिंह :**

श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक जापानी सार्थ ने कारवार पत्तन के विकास के लिये प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य, और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). जापान की एक कम्पनी ने खनिज धातु वाले क्षेत्र के अन्वेषण करने, खान से कारवार पत्तन तक ढुलाई करने, पत्तन पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने और सारे विकास कार्यक्रम के लिए मैसूर सरकार को प्रस्ताव पेश किया है। अन्वेषण की कुल अनुमानित लागत 25,124 यू० एस० डालर होती है। इस कम्पनी ने अपने प्रस्ताव के विदेशी मुद्रा संघटन को पूरा करने के लिए भारत से मैगनीज अथवा खनिज लोहे की उपयुक्त मात्रा खरीदने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने जापानी कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मांगी है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

टैनिस की गेदों की कमी

डा० कर्ण सिंह : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि टैनिस की गेदों की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि क्लबों, कालेजों और स्कूलों को टैनिस की गेदें तभी मिल पाती हैं जब इनके लिये चोर बाजार की कीमत अदा की जाती है ; और

(घ) यह कमी कब तक चलेगी और इस कठिनाई को समाप्त करने के लिये, जिससे भारत के खिलाड़ियों का अहित हो रहा है, क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हा।

(ख) वर्तमान उत्पादन के मुकाबले मांग बहुत ज्यादा है।

(ग) देसी टैनिस गेंदों के अधिक मूल्य लिये जाने और उनकी किस्म में गिरावट के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) टेनिस की गेंदों के उत्पादन के लिए एक अतिरिक्त यूनिट की स्थापना का प्रश्न, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय मन्त्रालय के विचाराधीन है। वर्तमान उत्पादन को बढ़ाने के लिए सन्तोषजनक प्रबन्ध होते ही स्थिति में सुधार होने की आवश्यकता है।

Construction of Roads in Madhya Pradesh

4608. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the amount allocated to the Government of Madhya Pradesh by the Centre for constructing roads in the dacoit infested areas of the State during this year, the amount allocated during each of the last three years, the mileage of roads constructed with this assistance and the names of the places connected by such roads ; and

(b) the mileage of approved safety roads lying incomplete in the decoit infested areas of Madhya Pradesh and by when they would be completed ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) No grants have been given to the Government of Madhya Pradesh for constructing roads in the dacoit infested areas as such of the State.

(b) Does not arise.

विमान यात्री टिकटों पर छात्रों को मिलने वाली छूट का दुरुपयोग

4609. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**　　　　　　**श्री सीताराम केसरी**
श्री न० कु० सांघी :　　　　　　श्री हरदयाल देवगुण
श्री ग्रदिचन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 दिसम्बर, 1968 के टाइम्स आफ इंडिया में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कुछ विमान सेवा कम्पनियां छात्रों के नाम पर विमान यात्री टिकटों पर मिलने वाली छूट प्राप्त करके जालसाजी कर रही हैं और उन टिकटों को नियमित यात्रियों के लिये प्रयोग में ला रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जालसाजी करने वाली कम्पनियां कौन-कौन सी हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है कि ऐसी जालसाजी कितने दिनों से चल रही है और उनमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस जालसाजी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). वह समाचार जिसमें इस मामले का निर्देश किया गया है सरकार के नोटिस में नहीं आया है। लेकिन इस बात पर विश्वास करने के लिए कारण हैं कि कुछ एयरलाइनें कुछ अन्तर्राष्ट्रीय भागों पर औपचारिक रूप से निर्धारित विमान किरायों से कम किराया लेते हैं। किसी सदस्य एयरलाइन का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था (आई० ए० टी० ए०) द्वारा निर्धारित विमान किरायों से कम किराये लेना अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था के संकल्प का उल्लंघन करना है। इस संकल्प का अनुपालन आई० ए० टी० ए० की एक प्रवर्तन एजेंसी द्वारा करवाया जाता है जो कि इस प्रकार के उल्लंघनों के बारे में सख्त कार्यवाही करती है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के अनाचारों में विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के विरुद्ध किये गये अपराध भी आ जाते हैं और प्रवर्तन निदेशालय इनके सम्बन्ध में निषेधात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही करता है।

विदेशी एयरलाइनों में से एक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के एक मामले की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। ऐसी फर्मों एयरलाइनों का, जिनपर कि ऐसे अनाचार करने का सन्देह है, नाम प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा क्योंकि उनसे जांच कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।

इस प्रकार के अनाचारों का ठीक परिमाण तब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक कि विशिष्ट मामले सिद्ध न हो जायें।

सड़क विकास योजनायें

4610. **श्री सीताराम केसरी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक ऐसी समिति नियुक्त की है जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सड़क-विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन करेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सड़क विकास योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ प्राथमिकताएं निश्चित की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ङ). सरकार ने सड़क आयोजना के लिये केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। 2-1-69 को अपनी पहली बैठक में समिति ने 1969 की वार्षिक योजना के साथ चौथी योजना के लिये केन्द्र और राज्य सरकारों की सड़क आवश्यकता की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजमार्ग योजना के लिये प्राथमिकता और प्रावस्था का भृष्टांकित किया। इसने अन्तर्राज्यीय सड़कों के प्रश्न और प्राथमिकता, कायक्रम को प्रावस्था और राज्य सड़कों के विभिन्न श्रेणियों के समाकलित विकास या अधिक विस्तार से विचार करने के लिये एक उप-दल की भी नियुक्ति की। समिति ने ग्रामीण सड़कों की भी पारस्परिक प्राथमिकता के प्रश्न पर और विचार करने की सिफारिश की। इसके अलावा समिति ने सामरिक महत्व के सड़कों के रखाव और विकास से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर विचार किया और आगे की कार्यवाही इन सिफारिशों के आधार पर की जा रही है। इस समय नियतन आदि के बारे में कोई जानकारी देना संभव नही है क्योंकि चौथी योजना जिसमें सड़कों का कार्यक्रम शामिल है को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए सरकार की योजनाएं

4611. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका ध्यान 1 जनवरी, 1969 को 'स्टेट्समैन में' 1968 में अपेक्षाकृत मौतें कम और साम्प्रदायिक दंगे अधिक शीर्षक के अन्तर्गत छपे एक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उस समाचार के लिये सरकार ने सामग्री दी थी ;

(ग) यदि हां, तो यदि सरकार ने कोई वक्तव्य दिया था तो उसका पूरा पाठ क्या है ;

(घ) सम्पूर्ण देश में विद्यमान और बढ़ती हुई साम्प्रदायिक शक्तियों के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ;

(ङ) उन योजनाओं को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है। 20 और 21 मार्च, 1969 को नई दिल्ली में हुई परिषद् की स्थायी समिति की बैठकों में कार्यवाही की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया है।

पुलिस बल में अल्पसंख्यकों की भर्ती

4612. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रक्षित पुलिस तथा राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों में पिछले तीन बर्षों में प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के कितने-कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभापटल पर रख दी जायेगी।

पुलिस में भ्रष्टाचार

4613. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रक्षित पुलिस तथा राष्ट्रपति के शासनाधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस बलों के कितने अधिकारियों के विरुद्ध पिछले तीन वर्ष में भ्रष्टाचार के मामलो का पता लगा है ; और

(ख) इसी अवधि में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार पुलिस के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा कितनी बार आक्षेप किये गये ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विमान किराये में कमी

4614. **श्री बे० कृ० दाश चौधरी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्बों जैट सेवा शुरू करने पर किराये की ऊंची दरों में कमी हो जायेगी ; और

(ख) इन किरायों में कितनी कमी हो जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय विमान मार्गों पर किराये एयरलाइनों द्वारा आई० ए० टी० ए० (अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संस्था) की मशीनरी के माध्यम से निर्धारित किये जाते हैं। अधिक क्षमता वाले जेट विमानों के प्रयोग किए जाने से उत्पन्न अतिरिक्त धारिता का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए भारत और यू० एस० ए०/कनाडा/मैक्सिको के बीच परिवहन के सम्बन्ध में यायायात की अभिवृद्धि के प्रयो-

जन से कम किये गये किराये आरम्भ किये जा सकते हैं बशर्ते कि सब सदस्य एयरलाइन्स सहमत हो जायें तथा सम्बन्धित सरकारें अपनी अनुमति प्रदान कर दें।

कटक में विस्फोटक बनाने वाली सामग्री का बरामद होना

4615. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री स० कुण्डू**
श्री क० लकप्पा . **श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने कटक में एक मकान से विस्फोटक बनाने वाली सामग्री बरामद की है ;

(ख) क्या विस्फोटकों के निरीक्षक ने उस स्थान पर जाकर निरीक्षण किया है ;

(ग) क्या पाकिस्तानी एजेन्टों की सहायता से बम बनाने की किसी योजना का प्रमाण मिल गया है ;

(घ) क्या पाकिस्तान के साथ सम्बद्ध किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ;

(ङ) क्या पाकिस्तान को सन्देह प्रसारित करने की कोई मशीनरी भी पकड़ी गई है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार कटक के एक मकान में 23-1-1969 को एक विस्फोट होने के पश्चात् पुलिस ने उस मकान से कुछ विस्फोट सामग्री बरामद की है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग), (घ) और (ङ). जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कालेज पध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए कल्याण निधि बनाना

4616. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों द्वारा शुरू की जाने वाली अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के हित के लिऐ कल्याण निधियों की स्थापना हेतु योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए माना गया है ;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस बारे में विश्वविद्यालयों की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). कुछ समय पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों और छात्रों के लिए एक कल्याण विधि स्थापित करने के सामान्य प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(एक) अध्यापकों के लिए लगभग उसी किस्म की एक कल्याण निधि स्थापित की जानी चाहिए जिस प्रकार की भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में स्थापित निधि राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण संस्थान द्वारा चलाई जा रही है । इस निधि से अध्यापकों और उनके आश्रितों को कठिन परिस्थितियों को सहायता दी जाये ।

(दो) यह निधि विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी समितियों के माध्यम से चलाई जाये । इसमें जमा होने वाले धन तथा व्याज का एक निर्धारित भाग पहाड़ी क्षेत्रों में अध्यापकों के लिए अवकाश गृह जैसी परियोजनों के लिए आरक्षित रखकर कर शेष धन का उपयोग किया जाये ।

(तीन) सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालयों के मामले में विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध कालेजों की एक मिली-जुली निधि होनी चाहिए । तथापि यदि कोई संस्था 10,000 रुपये की निधि जमा कर सकती है तो उसे स्वयं अपनी निधि स्थापित करने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवश्यक अंशदान मांगने का अधिकार होना चाहिए, नगरों में स्थित विश्वविद्यालयों के लिये केन्द्रीकृत निधि का होना अधिक अच्छा है ।

(चार) प्रत्येक अंशदाता को प्रतिवर्ष वर्ष निधि में कम से कम दस रुपये देने चाहिए । इस अंशदान का एक भाग (लगभग 50 प्रतिशत) का उपयोग कठिनाई के समम अंशदाता की सहायता करने के लिए किया जा सकता है और शेष भाग अंशदाता को उसकी सेवानिवृत्ति के समय अथवा उसकी मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को वापिस की जा सकती है । अंशदाताओं के अंशदान के कठिनाई में अध्यापकों के लाभ के लिए उपयोग किये गये भाग के आधार पर आयोग का अंशदान निर्धारित किया जा सकता है ।

(पांच) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में छात्र सहायता निधि के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाये और कठिनाई के मामलों में सहायता भी इसके कार्य क्षत्र में शामिल किया जाये । आयोग कालेजों की छात्र सहायता निधि में अंशदान बढ़ाने की सम्भावना पर भी विचार कर सकता है ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 30 नवम्बर, 1968 को अपनी बैठक में उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया और उसने यह निश्चय किया था कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में कल्याण निधि स्थापित करने के बारे में विश्वविद्यालयों से राय माँगी जाये । अब तक छः विश्व विद्यालयों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं :

जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय इन सिफारिशों का पूरी तरह समर्थन करता है । तथापि यह योजना स्वैच्छिक होनी चाहिए और अध्यापक एवं छात्र इसमें स्वेच्छा से अंशदान करें । विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग को उदारतापूर्वक अंशदान करना चाहिए। उसका अंश कठिनाई में अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सहायता पर वास्तव में खर्च की गई राशि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

केरल विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों तथा छात्रों के लिए कल्याण निधि स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता है।

उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

कल्याण निधि के लेन देन के लिए समिति द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रणाली से हिसाब-किताब में कठिनाइयां होंगी और इससे निधि का संचालन जटिल हो जायेगा। शिक्षा आयोग की सिफारिश, जिसमें अंशदाता को निधि के किसी भाग को वापिस किये जाने का प्रस्ताव नहीं है, समिति के सुझाव से अधिक व्यवहार्य है। विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) अध्यापकों से लिये जाने वाले अंशदान में से कोई भी भाग वापिस न किया जाये ;

(2) अध्यापक द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की राशि के बराबर अंशदान ;

(3) निधि का संचालन अध्यापकों में से विधिवत निर्वाचित सदस्यों, उपकुलपति द्वारा विश्वविद्यालय से नाम निर्देशित प्रतिनिधियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाये।

उत्कल विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय इस योजना से सहमत है।।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय सिद्धान्त रूप में प्रस्ताव से सहमत है किन्तु निम्नलिखित सुझाव देती है :

(1) अंशदान की प्रतिशत राशि वापिस किये जाने का उपबन्ध निकाला जाये।

(2) निधि में वार्षिक अंशदान की राशि घटाकर 5 रुपये वार्षिक की जाये।

(5) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंशदान किसी अंशदाता के अनुदान के बराबर होना चाहिए।

विक्रम विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों और कालेजों में कल्याण निधि स्थापित किये जाने के प्रस्ताव का स्वागत करता है ?

चतुर्थ योजना के लिये नेशनल बुक ट्रस्ट की कार्यकारी योजना

4617. **श्री का० मि० मधुकर** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैशनल बुक ट्रस्ट ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए अपनी कार्यकारी योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). जी हां । ट्रस्ट इस योजना के ब्योरे का मंत्रालय के योजना उपबन्धों की गई कटौती के आधार पर अभी पुनरीक्षण कर रहा है ।

कटक में विस्फोट

4618. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 के चौथे सप्ताह में कटक उड़ीसा में एक विस्फोट के फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और गुप्त रूप से बम बनाने की सामग्री पकड़ी गई थी ; और

(ख) क्या विस्फोटकों के निरीक्षक ने इस घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट अब प्रस्तुत कर दी है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 23 जनवरी, 1969 को कटक में हुए विस्फोट के परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति मरे तथा तीन अन्य घायल हुए । परिस्थितियों से मालूम पड़ता है कि विस्फोट के स्थान पर विस्फोटकों का निर्माण किया जा रहा था ।

(ख) इस सम्बन्ध में विस्फोटकों के निरीक्षक की पूर्ण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

Transfer of Secretaries at Centre to their States

4619. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether any proposal was received in his Ministry to the effect that the Secretaries working in the Central Ministries for the last five years should be sent back to their respective States by granting Rs. 300/- more than what the Chief Secretaries of the States get with a view to protect their pay ;

(b) whether Government propose to take such a decision in consultation with States whereunder two or three such posts in a State are created on which Secretaries at the Centre could be posted ; and

(c) if so, the reaction of the Centre thereto and the policy laid down in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) No such proposal is at present under consideration.

(c) According to the scheme for staffing senior administrative posts of and above the rank of Deputy Secretary under the Government of India offices will ordinarily revert to their parent cadres on the expiry of 5 years in case they are holding posts higher than of a Deputy Secretary. The tenure is extended in suitable cases in the public interest.

असैनिक कर्मचारियों में व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करना

4620. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश शिक्षाशास्त्री तथा प्रशासक, लार्ड फुल्टन ने असैनिक कर्मचारियों में व्यावसायिक दक्षता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि वे समस्याओं का सामना करने के योग्य हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार "कर्मचारी प्रशासन" सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रही है ।

Hindi Version of Statistical Reports of Ministries

4621. Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Valmiki Chaudhary : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of statistical reports published by different Ministries; Departments and Offices

(b) the names of reports out of them as are printed in Hindi as well or in diglot form (Hindi-English) ; and

(c) the reasons for not making arrangements for publishing Hindi versions along with English version thereof and the date by which such arrangements are likely to be made ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). A statement in respect of the Ministries Departments from which information has been received is annexed. [*Placed in Library. See* No. LT—539/69.] In regard to the remaining Ministries/Departments information will be supplied in due course.

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पटनायक तथा अन्य भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में खन्ना आयोग का प्रतिवेदन

4622. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री सु० कु० तापड़िया : **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** :
श्री रा० की० अमीन : **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री अविचन : **श्री निहाल सिंह** :
श्री बे० क० दासचौधरी : **डा० कर्णी सिंह** :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री पटनायक तथा उड़ीसा सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए खन्ना आयोग का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है और उसकी सामग्री प्रत्येक के लिए तत्काल उपलब्ध है ।

(ग) चूंकि उड़ीसा सरकार का मूल रूप में विषय से सम्बन्ध है और खन्ना आयोग की नियुक्ति उनके द्वारा की गई थी, रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखने का कोई विचार नहीं है ।

भारत का बैंगकाक में प्रशान्त क्षेत्र पर्यटन के सम्मेलन में भाग लेना

4623. **श्री दी० चं० शर्मा** :　　**श्री रणजीत सिंह**
श्री बेणी शंकर शर्मा :　　**श्री बलराज मधोक** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1969 में बैंगकाक में हुए प्रशान्त क्षेत्र पर्यटन संघ के वार्षिक सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल शामिल हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन के विकास के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने किन बातों पर आग्रह किया था ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत को भी 'पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन' द्वारा किये जा रहे प्रस्तावित इन्ट्रा पैसिफिक ट्रैफिक सर्वे (अन्तः प्रशान्त महासागरीय यातायात सर्वेक्षण) में सम्मिलित किया जाये ; पाटा' (पी० ए० टी० ए०) इस आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हो गये ।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य ने 'होटल तथा खान-पान प्रबंध उद्योग विषयक प्रशिक्षण' पर एक लेख पढ़ा, जिसकी काफी सराहना की गयी ।

हवाई अड्डों के लिये दमकल

4624 **श्री दी० चं० शर्मा** :　　**श्री रणजीत सिंह** :
श्री बेणी शंकर शर्मा :　　**श्री बलराज मधोक** :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी छः महीनों में असैनिक हवाई अड्डों को 25 नये दमकल उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) (से) (ग). असैनिक हवाई अड्डों के लिए, 1,25,27,000/-रुपये की कुल लागत से पच्चीस नये क्रैश फायर टेण्डर खरीदने का निर्णय किया गया है। महानिदेशक, पूर्ति और निपटान ने इसके लिए टेण्डर (निविदाएं) प्राप्त कर लिए हैं और उनकी जांच की जा रही है। आशा है कि ये उपस्कर आदेश दिये जाने की तारीख से 10 से 12 महीनों के अन्दर प्राप्त कर लिए जायेंगे।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिये अधिकतम आयु-सीमा

4625. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री रणजीत सिंह : श्री बेणी शंकर शर्मा : श्री बलराज मधोक श्री हर दयाल देवगुण :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशानिक सेवा की परीक्षा के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु-सीमा 24 वर्ष से बढ़ा कर 28 वर्ष करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई घोषणा नहीं की गई है और लगभग 24 वर्ष की आयु वाले सभी उम्मीदवार असमंजस में पड़े हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय की घोषणा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी गुप्तचर

4626. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान पुलिस ने 12 जनवरी, 1969 को शेर मुहम्मद, बशीर तथा रजाक नामक तीन पाकिस्तानी गुप्तचरों को गंगानगर जिले के एक ग्राम में दाखल होते समय गिरफ्तार कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक के पास कितनी भारतीय मुद्रा पकड़ी गई थी तथा क्या क्या आपत्तिजनक कागजपत्र पकड़े गये ;

(ग) क्या यह सच है कि शेर मुहम्मद, सीमान्त ग्रामों में रहने वाले हमारे मुस्लिम नागरिकों की सहायता से, भारतीय सेना की तैनाती के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की विनियमित रूप से जासूसी करता रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे तथा उसके स्थानीय सह-अपराधियों को पहले गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). जनवरी,

1969 में गंगानगर जिले में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। मामले की जांच की जा रही है और इस स्थिति में अधिक प्रकट करना उचित नहीं होगा।

दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग का पुनर्गठन

4627. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग के पुनर्गठन का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग के पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है ?

सड़क परिवहन उद्योग संबंधी आयोग समितियां

4628. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन उद्योग की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कितने आयोग तथा समितियाँ नियुक्त की गई ;

(ख) क्या उन आयोगों तथा समितियां की सिफारिशें पूर्णतया लागू कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) संवद्ध समय के दौरान "वेसाइड" सुख सुविधाओं के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की गई है।

(ख) और (ग). उपरोक्त दल का गठन 22-2-1969 को किया गया था और वह उसे सौंपे गये कार्य का अध्ययन कर रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को मध्याह्न भोजन देने के लिये विभागीय व्यवस्था

4629. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाखों सरकारी कर्मचारी दिल्ली तथा नई दिल्ली में सड़कों के किनारे खड़े होकर और अत्यधिक अस्वास्थ्यप्रद वातावरण में खाते-पीते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार विभागीय स्तर पर कैंटीनों आदि की व्यवस्था करने का है जो स्वास्थ्यप्रद वातावरण में और कम खर्च पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमन।

ख) तथा (ग). दिल्ली/नई दिल्ली में विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में विभागीय कैंटीनें पहले ही स्थापित की हुई हैं। इन कैंटीनों में स्वास्थ्यप्रद वातावरण में तथा उचित दरों पर मध्याह्न का भोजन दिया जाता है। समय समय पर संशोधित तथा प्रबंधित गृह मंत्रालय के

कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/1/62-इब्लू-11 दिनांक 28 दिसम्बर, 1962 में ब्यौरा विद्यमान है जिसकी एक प्रतिलिपि सदन के सभा पटल पर रखी जाती है [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 540/69]

पालम हवाई अड्डा

4630. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे का विस्तार तथा नवीकरण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) विस्तार तथा नवीकरण की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 70.07 लाख रुपये।

(ग) टर्मीनल इमारत के प्लिन्थ एरिया को दुगना कर दिया गया है और इसमें अब लगभग 2,000 यात्री आ सकते हैं। पर्याप्त रूप से सज्जित एवं अलंकृत लौंजों, रेस्टोरेंटों, अल्पाहार गृहों (केफेटीरियों), शुल्क-मुक्त दुकानों, दर्शक दीर्घाओं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गयी है।

Translation of Books in Nepali Language into Indian Languages

4631. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state whether any steps are being taken by India and Nepal with a view to translating the books in Nepali language into Indian languages ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : There is a proposal under consideration for translating into Hindi and other Indian languages one or two modern literary classics of Nepal.

Conversion of Tribal People by Missionaries in Rajasthan

4632. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Christian Missionaries have intensified their activities in Tribal areas of Rajasthan recently and they have converted a large number of Tribals into Christianity in Banswada and other districts in the State ; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Government.

अग्रिम उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद

*4633. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1969 के दिल्ली के "इण्डिया एण्ड वर्ल्ड इवेंट्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि हैदराबाद में अग्रिम उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र

के लिए आयातित 1 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनरी तथा इस परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया भवन बेकार पड़े हैं ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास निधि ने इस परियोजना के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता बन्द करने की धमकी दी है ;

(ग) परियोजना कब शुरू की गई थी तथा उसके निस्पादन में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या विलम्ब के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सरकार 2 फरवरी, 1969 के 'इण्डियन एण्ड वर्ल्ड ईवेंट्स' में प्रकाशित समाचार नहीं देखा है ; किन्तु उसी तारीख के 'पेट्रियोट' में प्रकाशित इसी प्रकार का समाचार देखा है । यह समाचार गलत है । अब तक प्राप्त उपकरणों का मूल्य 17.49 लाख रुपये है । इन उपकरणों का उपयोग क्षेत्र सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है । भवन अभी बनाये जा रहे हैं ;

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). यह परियोजना सितम्बर, 1965 में आरम्भ की गई थी और विकास के विभिन्न चरणों में है । प्रशिक्षण केन्द्र चालू हो गया है तथा भवन तैयार होते ही तथा आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होते ही अग्रिम उत्पादन केन्द्र चालू हो जायेगा । परियोजना को पूरी गति से निष्पादित करने में कुछ विलम्ब हुआ है । इसका मुख्य कारण यह है कि ठेकेदारों की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भवन तैयार करने में विलम्ब हुआ है । निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये यथासंभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

अंडमान को नौका अभियान

श्री अदिचन : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लेफ्टीनेंट जार्ज एलबर्ट ड्यूक तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय के पिनाकी रंजन चटर्जी का सम्मिलित द्विवसदस्यीय नौका अभियान एक फरवरी, 1969 को कलकत्ता से अंदमान के लिए रवाना हुआ था ;

(ख) क्या यह दल समुद्र में भटक गया था ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं, कुछ समय तक केवल रेडियो सम्पर्क ही टूट गया था ।

(ग) जलसेना के जहाजों और भारतीय वायुसेना के वायुयानों ने गवेषकों को तलाश करने में सहायता की थी और चिकित्सा सम्बन्धी तथा अन्य सहायता की भी व्यवस्था की थी ।

तीसरी तथा चौथी श्रेणियों के पदों के लिये भर्ती पर प्रतिबन्ध

4635. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी श्रेणी के पदों की भर्ती पर प्रतिबन्ध और तीसरी श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती पर 50 प्रतिशत प्रतिबन्ध का सम्बन्ध इन श्रेणियों के कर्मचारियों पर प्रति व्यक्ति खर्च अधिक होने और उनकी आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग से है, जिससे उन पर होने वाले खर्च में और वृद्धि हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी सेवा में तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या अधिक होने की बात को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी में होने वाली वृद्धि की समस्या का किस प्रकार समाधान करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) रोजगार मिलने की वर्तमान दर से रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की वर्तमान संख्या को उनमें प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि को शामिल करके और बिना शामिल किये, रोजगार उपलब्ध कराने में कितने वर्ष लगेगें ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकार ने निश्चय किया है कि कुछ अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी के पदों की कुछ श्रेणियों में सीधी भर्ती, 7-3-1969 से एक वर्ष की अवधि के लिए, रिक्तियों के 50 प्रतिशत (तथा विशेष मामलों में 60 प्रतिशत) तक सीमित रखी जाय। चपरासी, जमादार, इत्यादि के समान अन्य चौथी श्रेणी के पदों में इस अवधि में कोई सीधी भर्ती नहीं होगी।

यह निर्णय सरकारी खर्च में मितव्ययता की दृष्टि से लिया गया था तथा आवश्यकता पर आधारित मजूरी की मांग से किसी भी प्रकार प्रेरित नहीं था। चूंकि उक्त निर्णय के परिणाम स्वरूस एक वर्ष की अवधि में सीधी भर्ती द्वारा न भरे जाने वाले तीसरी। चौथी श्रेणी के पदों की संख्या इस समय बताना सम्भव नहीं है अतः इस कार्यवाही से देश में बेरोजगारी की स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका मूल्यांकन करना इस समय कठिन है। अतः भाग (ख) का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों पर सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के नियोजकों द्वारा उनको अधिसूचित सभी रिक्तियों पर रखे जाने के लिए विचार किया जाता है। चूंकि रोजगार के उन अवसरों की संख्या के निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, जो पैदा किये जाएंगे तथा वे रिक्तियों जो रोजगार दिलाऊ दफ्तरों को अगले कुछ वर्षों में अधिसूचित की जाएंगी, अतः प्रश्न के इस भाग का सुनिश्चित उत्तर देना संभव नहीं है।

चौथी योजना में विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिये परिव्यय

4636. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में शिक्षा के लिये कितने परिव्यय का अनुमान है ;

(ख) प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा के लिए कितना कितना परिव्यय है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र का परिव्यय कम कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). चौथी आयोजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ). केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं सम्बन्धी ठीक-ठीक परिव्यय अभी मालूम नहीं हुआ है । फिर भी, राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ चुनीदा कार्यक्रमों के लिए चौथी पंच वर्षीय आयोजना में केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र को सीमित कर दिया गया है ।

मनीपुर के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान

4637. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री 16 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 899 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में इम्फाल के संस्कृत तोल के मुख्य अध्यापक तथा सहायक अध्यापकों के वेतन में 1 अप्रैल, 1964 से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है और इस सम्बन्ध में यदि मनीपुर सरकार ने कोई सिफारिश की है तो क्या ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

सलाहकार समिति द्वारा मनीपुर की चौथी योजना के प्रारूप पर विचार

4638. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचार करने के लिए मनीपुर सरकार द्वारा कोई सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति अथवा समितियों का स्वरूप क्या है और समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रारूप समिति के सदस्यों को, जिनमें मनीपुर के संसद सदस्य भी शामिल हैं, परिचालित किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). मनीपुर सरकार ने में सूचित किया है कि मनीपुर के संघ राज्य श्रेत्र के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर 30-8-1968 को राज्य योजना बोर्ड की हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था । वे मंत्री, जो सरकार विकास विभागों के कार्यकारी हैं और गैर-सरकारी अधिकारी, जिन्हें विकास कार्यों का अनुभव है, इस बोर्ड के सदस्य हैं । चूंकि योजना पर इस बोर्ड में विचार-विमर्श हो चुका

था, अतः यह विकास तथा योजना समिति को परिचालित नहीं किया गया था। बाद में मनीपुर सरकार इस योजना को योजना और विकार समिति में रखने का प्रतावे रखती है।

Conference of South Asian Countries on Tourism

4639. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference of South Asian Countries on tourism was held in New Delhi on the 15th January ; and

(b) if so, the details of the suggestions put forth by India in the said Conference ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A Ministerial Conference of the countries of the South Asia Travel Commission was held in New Delhi on the 14th and 15th March 1969.

(b) The following items were proposed by India for consideration by this Conference :—

(i) Regional co-operation in tourism promotion.

(ii) Promotion of tours to and within the region with special emphasis on cultural tourism.

(iii) Standardisation of criteria for classification of hotels.

(iv) Training of tourism personnel.

(v) Transformation of International Union of Official Travel Organisation (IUOTO) from a non-governmental into an inter-governmental organisation.

(vi) Restructuring of air fares for the promotion of tourism.

(vii) Possibilities of purchases for the use of hotels and tourist establishments of products of one member country by another for tourism development from within the region.

Recognition of Rajasthan Atomic Power Station and Baruli and Gandhi Sagar in Rajasthan as Tourist Centres

4640. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government propose to recognise the Rajasthan Atomic Power Station and Baruli and Gandhi Sagar in Kota, Rajasthan as Tourist Centres ; and

(b) if not, the reasons thereafter ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). Although the tourist potential of these areas is recognised, their development as tourist centres can not be given high priority due to scarcity of resources in the Fourth Plan.

Dearth of Hotels and Tourist Restaurants in Rajasthan

4641. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a dearth of hotels and tourist restaurants in Rajasthan keeping in view the increasing number of tourists there ;

(b) the income earned this year as compared to the previous year ;

(c) whether Government would provide loans for hotels and restaurants in view of the difficulties experienced in this regard ; and

(d) if so, the amount thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Information on the earnings of hotels and restaurants is not available.

(c) and (d). A Hotel Development Loan Scheme for providing financial assistance for hotels has been started. Rs. 50.00 lakhs were provided for this purpose in 1968-69, and it is proposed to provide Rs. 5.00 crores during the Fourth Five Year Plan. The Department of Tourism at present does not grant loans to restaurants.

मंगलौर पत्तन परियोजना

4642. **श्री लोबो प्रभु :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके इस आशय के वक्तव्य को, कि वर्ष 1971 तक मंगलौर पत्तन परियोजना पूरी हो जाने की आशा है, और मैसूर राज्य के मुख्य मन्त्री के वक्तव्य को, कि कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी है, ध्यान में रखते हुये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में कार्य करने की योजना क्या है और उनके लिये बजट में कितनी कितनी राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ;

(ख) पत्तन तथा मिलाने वाली रेलवे लाइन के लिये नियोजित पूंजी पर ब्याज को ध्यान में रखते हुये क्या कारण हैं कि अब तक कार्य की गति इतनी धीमी रही है और वित्तीय व्यवस्था इतनी कम की गई है ; और

(ग) क्या पुर्जों के आयात के लिये जिनमें परियोजना के लिये अपेक्षित तलकर्षक (ड्रेजर) भी सम्मिलित है, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है और इस सम्बन्ध में और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख). मंगलौर बन्दरगाह परियोजना का कार्य परियोजना के वार्षिक आवंटनों के आधार पर जो प्रतिवर्ष उपलब्ध साधनों के अनुसार किये जाते हैं, प्रगति कर रहा है ।

(ग) उपस्कर और संयंत्र और निकर्षण से संबद्ध इस परियोजना की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए यथोचित समय पर व्यवस्था कर दी जायेगी । इस परियोजना के लिए एक निकर्षक अधिग्रहण करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये सेवा संहिता

4643. **श्री लोबो प्रभु :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा संहिता में कौन-कौन सी नई बातें सम्मिलित की गई हैं जो पहले नियमों में नहीं थीं ;

(ख) क्या उसमें पक्षपात को जो कि निर्वाचित सरकार की सब से बड़ी कमजोरी होती है रोकने के लिये भी कोई उपबन्ध है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा पदोन्नतियां करने अथवा नियुक्तयां करने की शक्ति छोड़े जाने के क्या कारण हैं, जैसे कि श्रीलंका तथा कुछ अन्य देशों में यह शक्ति लोक सेवा आयोग को दे दी गई है ; और

(घ) काम की मात्रा के सम्बन्ध में कर्मचारियों के कार्य का वार्षिक लेखाजोखा नियमों में सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से सम्बन्धित अभी हाल में कोई ऐसी सेवा संहिता जारी नहीं की गई है । विभिन्न मामलों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शर्तें इस समय संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाये नियमों द्वारा नियमित की जाती हैं । आचरण, अनुशासन, सेवा निवृत्ति, छुट्टी, पेंशन आदि से सम्बन्धित मामलों के बारे में सभी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियों में लागू नियम सब मिलाकर एक जैसे हैं ; किन्तु सेवाओं में भर्ती और उनमें पदोन्नति के सम्बन्ध में नियम भिन्न भिन्न सेवाओं में भिन्न भिन्न हैं । इन नियमों में, सेवाओं के कुशल प्रशासन और सरकारी कर्मचारियों के मनोबल के हित में समय समय पर हेर फेर किया जाता है ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के आचरण पर नियंत्रण रखने वाले नियमों में यह उपलन्ध पहले से विद्यमान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सदैव पूरी ईमानदारी तथा कर्तव्यनिष्ठा कायम रखे और कोई ऐसा कार्य न करें जो सरकारी कर्मचारी के लिये अशोभनीय हो ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन असैनिक सेवाओं में भर्ती नियुक्ति, पदोन्नति आदि संविधान के अनुच्छेद 320 के उपबन्धों के अनुसार तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये सम्बन्धित नियमों में दी गयी विधियों सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है । इस सम्बन्ध में सवैधानिक उपबन्धों से विचलित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष सरकारी कर्मचारियों पर गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए एक व्यवस्था है, जो निःसन्देह सरकारी कर्मचारियों की रिपोर्ट लिखते समय उनके काम की मात्रा सहित सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करेंगे ।

सीमावर्ती विवादों और गुण्डागर्दी तथा लूटपाट की घटनाओं के कारण हानि

4644. **श्री नंजा गौडर :** **श्री रा० की अमीन :**
श्री शिवप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1969 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए एक पत्र की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया था कि राज्यों के बीच सीमा विवादों के कारण देश में एक हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और गुण्डागर्दी तथा लूटपाट की घटनाओं के कारण 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का माल तथा कीमती वस्तुएं नष्ट हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

मनीपुर असैनिक सेवा कर्मचारियों के लिये सिलेक्शन ग्रेड

4645. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और हिमाचल प्रदेश असैनिक सेवा के उन कर्मचारियों को सिलेशन ग्रेड दिया जाता है जिन्होंने 12 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है जबकि मनीपुर असैनिक सेवा के मामले में 20 वर्ष की सेवा होनी चाहिये;

(ख) यदि हां, तो सेवा नियमों में इस प्रकार के भेदभाव पूर्ण उपबन्ध करने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश असैनिक सेवा के मामले में कोई ढील दी गई थी और 12 वर्ष की सेवा पूरी किये बिना उन्हें सिलेक्शन ग्रेड दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को तथा कितनी सेवा के बाद सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों के वेतनमान व भत्ते असम के कर्मचारियों के समान हैं। मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि असम असैनिक सेवा में, सेवा के साधारण ग्रेड में 20 वर्ष की सेवा, सेवा के सिलेक्शन ग्रेड में एक अधिकारी की पदोन्नति के लिये आवश्यक है। मनीपुर सेवा नियमावली उन्हीं रूप रेखाओं के नमूने पर बनाई गई थी । दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए स्वीकृत किये गये वेतनमान मनीपुर असैनिक सेवा के लिए स्वीकृत किये गये वेतनमानों से भिन्न हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मनीपुर के अध्यापकों के लिए सिलेक्शन ग्रेड

4646. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के सरकारी स्कूलों जिनमें एल० पी० स्कूल भी सम्मिलित हैं, के कितने अध्यापकों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है ;

(ख) उनमें से कितने अध्यापकों को अब तक सिलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है ;

(ग) क्या मनीपुर की सरकार सहायता प्राप्त स्कूलों जिनमें हाई स्कूल भी शामिल हैं, के अध्यापकों को भी सिलेक्शन ग्रेड दे रही है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापकों को यह वेतन-मान दिया जा रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ) अपेक्षित जानकारी मनीपुर प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मनीपुर में प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल छोड़ने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र परीक्षाएं

4647. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ वर्षों में मनीपुर सरकार द्वारा प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल छोड़ने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र परीक्षाओं के लिए की गई प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से हिन्दी में बहुत से विद्यार्थी असफल रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने सरकारी तथा जूनियर हाई स्कूलों में अधिक हिन्दी अध्यापक नियुक्त करने पर समुचित ध्यान दिया है और क्या वर्तमान हिन्दी अध्यापकों को पर्याप्त वेतन दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इन अध्यापकों की अर्हताएं क्या हैं और इस समय उनके वेतन-मान क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) असफल रहने वालों में अधिकांश विद्यार्थी दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में से थे और इसका कारण यह है कि वहां पर जाने के लिये इच्छुक तथा प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) (एक) आठवी पास तथा हिन्दी में मैट्रिक स्तर — 110-165 रुपये

(दो) कोविद तथा इसके तुल्य परीक्षा — 125-200 रुपये

(तीन) कोविद प्रशिक्षित तथा इसके तुल्य — 140-275 रुपये

(चार) हिन्दी के साथ मैट्रिक — 175-400 रुपये

मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में भारतीय पर्यवेक्षक की रिपोर्ट

4648. **श्री प० गोपालन :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री उमानाथ : **श्री क० अनिरुद्धन :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेक्सिको ओलम्पिक खेलों में सरकार के मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक श्री एम० आर० कृष्ण ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन में भारतीय दस्ते के मैक्सिको ओलम्पिक खेलों में आमतौर पर और

हाकी टीम के विशेष रूप से प्रदर्शन पर श्री एम० आर० कृष्ण के विचार दिये गये हैं। इसमें भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हमारी राष्ट्रीय टीमों के निर्माण के बारे में भी कुछ सिफारिशें हैं।

(ग) अभी तक नहीं। प्रतिवेदन पर पहिले अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय परिवहन निगमों को परिवहन करों से छूट

4649. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**　　　　**श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री बि० कु० मोडक :　　　　**श्री के० रमानी :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय सड़क परिवहन उपक्रमों के सम्मेलन ने सिफारिश की है कि राजकीय परिवहन निगमों को कुछ करों से छूट दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रमैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

"हूजहू इन सी० आई० ए०"

4650. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्लिन के डा० जूलियस मेडर द्वारा लिखित "हूजहू इन सी० आई ए०" (अमरीकी केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी के अधिकारियों की परिचायिका) नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है ;

(ख) क्या उसमें ऐसे दस अधिकारियों के नाम सम्मिलित हैं, जो इस समय अमरीकी राजदूतावास में कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या वे अन्य राष्ट्रीयता वाले एजेन्टों की गतिविधियों का मार्ग दर्शन करते हैं : और

(घ) राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) जासूसी और अन्य तोड़फोड़ की कार्रवाहियों के सिलसिले में सतत सतर्कता बरती जाती है और जब कभी आवश्यक होता है कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

मानोपाधियां देना

4651. श्री लोबो प्रभु : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंकि सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों को मानोपाधियां दी जा रही हैं अतः उन कनिष्ठ कर्मचारियों को किस प्रकार की मनोपाधियां दी जाती हैं, जिनके उत्तम कार्य का मान किया जाना चाहिये ;

(ख) चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों, कवियों और कलाकारों का चयन करते समय क्या उनका अपना प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं से परामर्श किया जाता है ; और यदि नहीं तो उनका चयन करने वालों की इस काम की क्या क्षमता होती है ;

(ग) क्या सरकार ने उस विचित्र स्थिति का विचार किया है जब ऐसी मानोपाधियों से विभूषित लोग उनको अपने नाम के साथ नहीं लिख सकते ;

(घ) सरकार इन उपाधियों को ऐसे अन्य नाम देने पर विचार क्यों नहीं करती जो नामों के साथ जोड़े जा सकें, जिससे इन मनोपाधियों का प्रयोजन और मान्यता सिद्ध हो सके और जिससे सरकारी सेवाओं में उक्त काम करने की प्रेरणा मिले ; और

(ङ) आविष्कार के लिए उच्चतम मानोपाधि किस कारण दी गई थी और इससे हमारे आविष्कारों के स्तर पर क्या संकेत मिलता है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनुमानतः सदस्य का अभिप्राय गणतन्त्र दिवसों पर दिये जाने वाले पद्म मानोपाधियों से है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ये मानोपाधियां केवल सरकार के सचिवों को ही प्रदान की जाय। वास्तव में, ये विशिष्ट सेवाओं के लिए अन्य अधिकारियों को भी दी जाती हैं।

(ख) मानोपाधियों के लिए सिफारिशों की जाँच सचिवों की एक प्रतिनिधि समिति द्वारा की जाती है, जो अनौपचारिक रूप से उन मामलों में विशेषज्ञों से परामर्श करती है जिनमें ऐसे परामर्श आवश्यक समझे जायं।

(ग), (घ) तथा (ङ). ये पद्म मानोपाधियाँ सार्वजनिक कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा दिये गये सम्मान के रूप में हैं। ये खिताब नहीं है। अतः प्राप्त कर्त्ताओं के नाम के न तो पहले जोड़े जाते हैं और पीछे। इन उपाधियों के प्राप्त कर्त्ताओं के नामों के साथ जोड़ने की दृष्टि से, इन उपाधियों के अन्य नाम चुनने का प्रश्न नहीं उठता। अपने-अपने क्षेत्रों में (आविष्कारों समेत) व्यक्तियों द्वारा महान प्रयत्नों के लिए प्रेरणा प्रदान के करने के उद्देश्य से इन उपाधियों को आरम्भ किया था तथा ये इस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है।

Lateral Roads in Champaran District

4652. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of the lateral roads in Champaran District on Northern border of India has suddenly been discontinued and Government and the public are suffering a loss every year as a result of this ;

(b) if so, the time by which the said roads are likely to be completed : and

(c) in case these roads are not to be completed, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The work has not been discontinued. Due to acute financial stringency the progress of works on the Lateral Road, including the portion lying in Champaran district, had to be slowed down. This will, to some extent, result in delay in reaping the benefits which would have otherwise accrued from the early completion of the project.

(b) It is proposed to complete the project to a reduced specification in such a way that the road will be fit for vehicular traffic by the end of 1970-71.

(c) Does not arise.

पारादीप पत्तन से मिट्टी निकालना

4653. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन से मिट्टी निकालने तथा जहाजों को मोड़ने के क्षेत्र को चौड़ा करने के लिए जापान की फर्म के साथ किये गए करार का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस कार्य पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है तथा इस फर्म का नाम क्या है ; और

(ग) क्या इस फर्म के ड्रेजर पारादीप पहुंच गये हैं और उन्होंने अब कार्य आरम्भ कर दिया है ?

संसदीय कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क), (ख) और (ग). तीरस्थ बाहव को बन्द करने के लिए दक्षिणी पनकट दीवार के अग्रभाग के निकट रेत फंदे के निकर्षण के लिए और 1100 फुट 1725 फुट आदि तक मोड़ के वृत को चौड़ा करने के लिए पारादीप पत्तन ट्रस्ट ने मेसर्स पेन्टा ओशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जापान के साथ एक करार की है। इस करार के अधीन कार्य की अनुमानित लागत 145 लाख रुपये है ।

फर्म का निकर्षक पारादीप पत्तन पर पहुंच गया है और 10 मार्च 1969 से कार्य आरंभ कर दिया है ।

रामेश्वरम् से एक नहर खोदना

4654. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय जहाजों को श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। क्योंकि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच समुद्र उथला है ;

(ख) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिये मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार को रामेश्वरम् से एक नहर खोदने का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सुझाव पर विचार कर लिया गया है तथा इस परियोजना के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ?

संसदीय कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क), (ख) और (ग). भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी तट को और पूर्वी तट से पश्चिमी तट को जाने वाले 11 फुट से अधिक डुबाव के जहाजों को लंका का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। 1963 में तत्कालीन राज्य सरकार ने पाक खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जहाजी नहर द्वारा जोड़ने के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 1965 में परियोजना के वास्तविक अनुमान निश्चित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण शुरू किये गये थे। उन अन्वेषणों के आधार पर जुलाई, 1968 को प्राप्त प्रतिवेदन की जाँच की जा रही है। प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 165 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित 37.5 करोड़ रुपये है।

जहाज निर्माण के लिये ऋण सम्बधी सुविधाओं के बारे में करार

4655. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में जहाज निर्माण के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में भारत और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक करार किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत में जहाज निर्माण कार्य के लिए बौन (पश्चिम जर्मनी) से अब तक प्राप्त कितने ऋण का उपयोग किया गया है ?

संसदीय-कार्य मन्त्रालय तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खोसला आयोग का प्रतिवेदन

4636. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री म० ला० सोंधी : **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोसला आयोग ने अपने प्रतिवेदन में दिल्ली पुलिस की अनेक त्रुटियों का उल्लेख किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निकाय बनाने का सरकार का विचार है कि उन सिफारिशों के क्रियान्वित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही अथवा आयोग के प्रतिवेदन में उल्लिखित त्रुटियों को दूर करने में विलम्ब न किया जाये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) दिल्ली पुलिस आयोग की अधिकांश सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और निर्णय कर लिए हैं इन निर्णयों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि इन सिफारिशों की क्रियान्विति का समय समय पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

नई दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था के कर्मचारियों की शिकायतें

4657. **श्री स० कुण्डू :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री 5 अप्रैल, 1968 के तारांकित **प्रश्न संख्या** 1087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था के 325 कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन पर विचार कर लिया है और उस अभ्यावेदन में उल्लिखित शिकायतें दूर कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी शिकायतें दूर की गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा ये शिकायतें कब तक दूर हो जाने की संभावना है ;

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इस संस्था के प्राधिकारी बराबर वैध शिकायतों पर विचार करते रहते हैं और संस्था के नियमों और विनियमों के अनुसार तथा धन की उपलब्धता के अनुसार उनको दूर करते रहते हैं।

(ख) और (ग). अब तक दूर की गई शिकायतें संलग्न विवरण में की गई हैं।

विवरण

दूर की गई शिकायतों की सूची

1. संस्था ने कल्याण अधिकारियों के द्वारा सुझाव/शिकायतों की प्राप्ति के मार्गों की व्यवस्था की है।
2. विभागीय पदोन्नति के नियम बनाये गये हैं। विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के मामले में शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें और अनुभव अब शिथिल कर दिये गये हैं।
3. कार्य एकक में स्थायी पद अस्थायी कर्मचारियों में से भरे जाते हैं।
4. कैंटीन, अस्पताल, स्कूल की सुविधायें, समुचित जल निस्सारण और पंखों की व्यवस्था की गई है।
5. समाज सदन, पानी के मीटर, खिड़कियों में ग्रिल, बच्चों के पार्क, स्टाफ क्लब, शापिंग सेन्टर आदि की व्यवस्था की जा रही है।
6. बिजली के मीटरों को, जहां भी आवश्यकता है, स्थानान्तरित किया जा रहा है।
7. आवास स्थान की धीरे धीरे व्यवस्था की जा रही है।

दिल्ली में पालिकटेनिकों में अंशकालिक 'बी' तकनीकी पाठ्यक्रम का जारी रखा जाना

4658 **श्री बेणी शंकर शर्मा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विभिन्न पोलिटैकनिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने वर्ष 1968 में रोजगार, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा के निदेशक से सम्पर्क स्थापित किया था और कश्मीरी गेट, दिल्ली स्थिति इन्जीनियरी कालेज में अंशकालिक 'बी' तकनीकी पाठ्यक्रम को जारी रखने सम्बन्धी अपनी मांगों को मंजूर कराने के लिए हड़ताल की थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निदेशक ने इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक शीघ्र ही विचार करने का आश्वासन दिया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस पाठ्यक्रम को बहुत से विद्यार्थियों के, जो अंशकालिक 'बी' टेकनीकल पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक होते हैं, लिए जारी रखने और प्रभावित विद्यार्थियों द्वारा आगे हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए विभाग ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) वह इस समय किस अवस्था में है और दिल्ली में उक्त पाठ्यक्रम को शुरू कब से किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० रा० वी० राव : (क) जी हां। विद्यार्थियों ने प्रार्थना की थी कि दिल्ली में डिप्लोमाधारियों के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था की जाय।

(ख) निदेशक ने उपर्युक्त प्राधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने का वायदा किया था।

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय की एक मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की थी कि शिक्षण सुविधाओं में पूर्ण कालिक स्टाफ की कार्य और अन्य कमियों को देखते हुए दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग में अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और डिप्लोमाधारियों को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स को एसोसियेट मेम्बरशिप परीक्षा के द्वारा उन्नति का अवसर दिया जाना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम को 1967 से समाप्त कर दिया गया था और तब से नये दाखिले नहीं किये गये हैं।

(घ) पिछले वर्षों में दाखिल हुए विद्यार्थियों के लिए कालेज पाठ्यक्रम चला रहा है। पाठ्यक्रम को पुनः आरम्भ करने का विचार नहीं है परन्तु ए० एम० आई० ई० परीक्षा के लिए कक्षायें चालू करने का प्रश्न कालेज के विचाराधीन है।

Grant of Funds from Central Roads Fund to Madhya Pradesh

4659. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted any schemes for the grant of funds from the Central Roads Fund for 1969-70 :

(b) if so, the details thereof ;

(c) the amount allocated so far for them ;

(d) whether grants have also been asked for from the Central Road Reserve Fund (General) ; and

(e) If so, the amount demanded?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (e). Schemes of road development to be financed from the Central Road Fund are approved on a five year basis and not from year to year. The new proposals received from the Government of Madhya Pradesh to be financed from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve are as per statement attached (Annexure I). These proposals are under consideration and certain information in their regard is awaited from the State Government. For continuing schemes the State Government have asked for a provision of Rs. 4.55 lakhs from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve during 1969-70.

So far as the Central Road Fund allocations are concerned, a programme of Rs. 100.35 lakhs has been sought from the State Government and the proposals hitherto approved are given in the statement attached (Annexure II). [*Placed in Library. See* No. LT.—541/69.]

Assistance to Madhya Pradesh for Compilation and Publication of District Gazetteers

4660. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have received any aid from the Centre from 1960 to 1968 for compilation and publication of District Gazetteers ;

(b) if so, the amount so paid to them ; and

(c) the progress so far made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 82,200.00.

(c) The Government of Madhya Pradesh have completed the drafts of ten District Gazetteers. Of these, the Gazetteers of Sagar. Gwalior and Jabalpur districts have been published and those of East Nimar, Narsimhapur and Indore districts are in the press.

Assistance of Madhya Pradesh for Expansion of Museums

4661. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have given any financial assistance to Madhya Pradesh for expansion of the Buildings of the museum, for equipment and publications and for giving training to the employees of the museum during the years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) whether any resolution to this effect had been passed by the State Museum of Madhya Pradesh ; and

(c) if so, the nature thereof and the amount of assistance given during the above period ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) to (c). An amount of Rs. 12,000/- was allocated by the Ministry to Madhya Pradesh Government foy purchase of display equipment for the museums. But as the State Government did not intimate the expenditure figures in time, an amount of Rs. 1,000/- only could be released to it during the year 1967-68 for Educational programmes in State Museum, Gwalior. During 1968-69 also an amount of Rs. 9,750/- was allocated for Madhya Pradesh Government for reorganisation of galleries with a view to improving display arrangements. But again the State Government has not furnished information regarding the expenditure so far and as such no amount has been released.

No resolution as such has been received from any of the State Museums of Madhya Pradesh.

कलकत्ता से अन्दमान के लिए गया खोजी (गवेषक) दल

4662. **डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो व्यक्तियों का एक गवेषक दल नौका द्वारा कलकत्ता से अन्दमान के लिए गया है ;

(ख) क्या खुले समुद्र में उनके पहुंचने तक भारतीय नौसेना का उनके साथ कोई सम्पर्क रहा था ;

(ग) क्या यह सच है कि नौसेना 14 फरवरी, 1969 तक उस नौका के साथ कोई सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) हुगली के नीचे की ओर जाते समय नाव के साथ भारतीय नौसेना को सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, नौसेना के दो जहाजों ने 7 फरवरी, 1969 को इस नाव से सम्पर्क स्थापित किया था और चूंकि अभियान संतोषजनक रूप से चल रहा था अतः जहाज उसके पश्चात अपनी सामान्य ड्यूटी पर चले गये। भारत के खोज क्लब का 8 फरवरी, 1969 को नाव के साथ सम्पर्क टूट गया था। खोज क्लब के अध्यक्ष ने 11 फरवरी, 1969 को सहायता के लिए नौसेना के आफिसर-इंचार्ज, कलकत्ता से प्रार्थना की। प्रार्थना पर नौसेना के मुख्यालय में विचार किया गया और उस क्षेत्र में चलने वाले जहाजों को खोज और सहायता के लिए निदेश दिया गया। भारतीय वायु सेना के एक सुपर कास्टलेशन विमान और पैकट विमान ने भी 12, 13 और 14 फरवरी, 1969 को खोज की और अन्ततोगत्वा नाव का 14 फरवरी, 1969 को पता लगा लिया गया। जब तक नाव का पता नहीं लगा, तब तक भारतीय नौसेना का एक जहाज भी उस क्षेत्र में रहा। 1 मार्च 1969 को भारतीय वायु सेना के एक विमान ने पोर्ट ब्लेयर से लगभग 250 मील की दूरी पर नाव को देखा। भारतीय नौसेना के एक जहाज ने उस दिन दोपहर को नाव से सम्पर्क स्थापित किया और चालकों को चिकित्सा सम्बन्धी और अन्य सहायता प्रदान की।

Handing over of Gandhiji's Letters to Gandhi Memorial Museum

4663. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the relatives of many prominent national leaders have refused to hand over letters relating to Gandhiji to the Gandhi Memorial Museum ;

(b) if so, the names of such leaders and their relatives ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) to (c). This Ministry have no authentic information. However, Government is aware of a

report which appeared in the Hindustan Times (Delhi Edition) on 24th February, 1969, to this effect.

The Gandhi Memorial Museum being a Voluntary Organization, it is for that Organization to take such action as it deems fit.

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के कपिया गाँव में खोज तथा खुदाई कार्य

4664. **श्री बलराज मधोक :** **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने बस्ती जिले (उत्तर प्रदेश) में खलीलाबाद तहसील के कपिया गाँव में खोज तथा खुदाई कार्य किया था ; और

(ख) क्या यह प्रमाणित हो गया है कि कपिया कपिलवस्तु का प्राचीन नगर था ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहान आरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) किसी खुदाई के अभाव में, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कपिया कपिलवस्तु का प्राचीन नगर था अथवा नहीं ।

मंत्रियों के लड़कों तथा लड़कियों की विदेशी सरकारों और दूतावासों में नियुक्ति

4665. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि क्या केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के लड़के तथा लड़कियां किसी विदेशी दूतावास में या विदेशी दूतावासों के नियंत्राधीन किन्हीं संगठनों में नियुक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रियों तथा उनके लड़के और लड़कियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार यह उचित समझती है कि मंत्रियों के निकटतम सम्बन्धी विदेशी सरकारों के अधीन कार्य करें ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार मंत्री परिषद् के सभी सदस्यों को यह आदेश जारी करेगी और उनको भारत में अथवा विदेशों में विदेशी सरकारों तथा दूतावासों से अपने लड़कों तथा लड़कियों को नौकरी से हटाने के लिये कहेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में उपयुक्त परम्परा को अपनाने का सामान्य प्रश्न विचाराधीन है ।

फिनलैंड के विद्वानों द्वारा सिन्धु लिपि को पढ़ा जाना

4666. श्री मधु लिमये : श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री समर गुह :

क्या शिक्षा और युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिनलैंड के चार विद्वान सिन्धु लिपि को पढ़ और समझ सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोपेनहेगन स्थित स्केन्डेनेवियन इंस्टीट्यूट ग्राफ एशियन स्टडीज के इस बारे में ब्यौरा माँगा है ; ग्रौर

(ग) क्या उन विद्वानों को भारत बुलाकर उनके पांडित्यपूर्ण कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत करने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती जहाँग्रारा जयपालसिंह) : (क) इस प्रकार का समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुग्रा है ।

(ख) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने विस्तृत जानकारी के लिये इंडोलोजी विभाग, कोपेनसहेगन विश्वविद्यालय को लिखा है ।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गांवों में अंशकालिक पुलिसमैन की नियुक्ति

4667. श्री प० गोपालन : श्री ई० के० नायनार :
श्री विश्वनाथ मेनन : श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री गणेश घोष : श्री पी० राममूर्ति :
श्री उमा नाथ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ग्रायोग ने ग्रपने हाल के प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि प्रत्येक गांव में एक ग्रंशकालिक ग्राम पुलिसमैन नियुक्त किया जाये ; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे मे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान ;

(ख) तीव्रगति से दिल्ली के नागरीकरण को ध्यान में रखते हुए "ग्राम पुलिसमैन" की प्रणाली को लागू करने का कोई विचार नहीं है ।

Reservation for Posts for Backward Classes in States

4668. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government are issuing or propose to issue any orders for the reservation of posts in services for persons belonging to the Backward Classes in other States also as is already being done in the State of Punjab ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswami) : (a) Only Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been recognised as Backward Classes by the Government of India for the purpose of reservations in appointments under the Central Government. Every State Government is competent to issue orders for reservation of posts in the services or posts under the State Government for persons belonging to the Backward Classes in the States and the Central Government does not issue instructions to the States in this regard.

(b) Does not arise.

Law and Order in Centrally Administered Territories

4669. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the local police of the Centrally administered Territories do not look into the cases of murder, arson, stabbing and human sacrifice even after the reports to this effect have been lodged and on the other hand the police tries to hush up these cases in collusion with the offenders ;

(b) whether there is any provision for the Central directives to these territories in this connection ; and

(c) the number of such cases in the Centrally administered Territories brought to the notice of Government by Members of Parliament during 1967-68 and till date and the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Afiairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Action is taken on reported cases in accordance with the law.

(c) Whenever instances in which allegations about police in action relating to investigation of cases are brought to the notice of Government, suitable action is taken.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय सम्बन्धी जांच समिति

4670. **श्री वासुदेवन नायर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति को श्री गजेन्द्रगडकर की अध्यक्षता में नियुक्त जांच समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो वास्तव में उपकुलपति का जांच समिति से क्या सम्बन्ध है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5(3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है जिसे विजिटर के फलस्वरूप किसी निरीक्षण अथवा जाँच में उपस्थित रहने और अपनी बात सुनाने का अधिकार होगा। कार्यकारी परिषद् ने उक्त उपबन्ध के अन्तर्गत अपने प्रतिनिधि के रूप में उपकुलपति को नियुक्त किया है।

विवरण

वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापसी के लिए निम्न कार्यवाही की गई है :

(एक) विदेशों से लौटने वाले उच्च अर्हता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी

व्यक्तियों को अस्थायी रूप से काम पर लगाने की व्यवस्था करने के लिये वैज्ञानिकों के पूल का बनाया जाना।

(दो) स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थाओं में सुपरन्यूमेरेरी पदों का बनाना जिन पर विदेशों में काम करने वाले और अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में से शीघ्रतापूर्वक अस्थाई नियुक्तियां की जा सकती हैं।

(तीन) संघ लोक सेवा आयोग और अनेक राज्य लोक सेवा आयोगों ने भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी व्यक्तियों को मानन्य स्वीकार कर लिया है जिनका ब्यौरा इन आयोगों द्वारा विज्ञापित समस्त पदों के लिये 'पर्सोनल कांटेक्ट' उम्मीदवारों के रूप में नेशनल रजिस्टर में है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिये विदेश स्थित भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के लिये व्यवस्था भी की है।

(चार) विदेश स्थिति भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी व्यक्तियों के नामांकन कर लिये और समस्त मन्त्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और गैरसरकारी क्षेत्र के बड़े संस्थानों में उनके नामों के परिचालन कर लिये वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर के विशेष सेक्शन का रखना। इन व्यक्यिों के नाम मासिक पत्रिका टैकनिकल मैनपावर बुलेटिन (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्) में प्रकाशित किये जाते हैं जो सारे भारतवर्ष में लगभग 3,000 संगठनों को मुफ्त बाँटा जाता है।

(पांच) उन वैज्ञानिकों के लिये यात्रा अनुदान के भुगतान की व्यवस्था करना, जो भारत में गवेषण संस्थाओं में नियुक्ति के लिये चुने जाने पर, इस बात के लिये तैयार हैं कि वे कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिये इन संस्थाओं में अवश्य काम करेंगे।

महिलाओं में साक्षरता

4671. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि समूचे भारत में प्रत्येक राज्य में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता की दर कम है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों तथा कालेजों में लड़कों के अनुपात की तुलना लड़कियों का अनुपात कम है,

(ग) यदि हां, तो समूचे भारत में माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए सरकार का विचार कोई विशाल योजना बनाने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार की योजना न बनाई जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (घ) जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और त्रिपुरा में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क है। आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मैसूर, नागालैंड, तमिल नाडू, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप समूह, दादर तथा नगर हवेली, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा लड़के और लड़कियों दोनों के लिए निशुल्क है। महाराष्ट्र और गुजरात में, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा, ऐसे लड़कों और लड़कियों के लिए निशुल्क है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1,200 रुपये से कम है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लड़के और लड़कियों के लिए देश भर में स्कूल स्तर तक की शिक्षा निशुल्क है। इसके साथ-साथ, सभी संघीय क्षेत्रों में मिडिल स्कूल तक शिक्षा सभी बच्चों के लिए शिक्षा निशुल्क है। अन्य राज्यों में गरीब और योग्य विद्यार्थियों के लिए काफी हद तक फीस में रियायतें उपलब्ध हैं।

क्योंकि शिक्षा एक राज्य विषय है, इसलिए विभिन्न स्तरों पर निशुल्क शिक्षा की योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है।

केरल में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता

4672. **श्री अदिचन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या केरल सरकार ने पर्यटकों के आकर्षण और परिवहन प्रणाली को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास को कोई कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम में शामिल की गई प्रत्येक योजना का व्यौरा क्या है तथा प्रत्येक पर कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके आधार पर यह डिप्लोमा बी० ए० की डिग्री के बराबर समझा जायेगा ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) और (ख) केरल सरकार ने अन्तदेशीय जल-परिवहन के विकास के लिए राज्य की चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में निम्नांकित नई योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

जल परिवहन का सुधार :	**(रुपये लाखों में)**
(1) चभारा नहर का $1\frac{1}{2}$ मील पर सुधार करना	5.22
(2) सतन नहर को 1 किलोमीटर पर सुधार करना	4.58
(3) अलप पर एक ड्राई-डाक का निर्माण और जहाजों की मरम्मत और खुली सफाई के लिए कारखाने का निर्माण	9.85

(4) पश्चिमी कोष्ट नहर का मील 21-28, 16-17 श्रौर 5.6 पर सुधार करना		2.04
(5) निकर्षपात श्रौर हेन्डक्रैनों को प्राप्त करना		25.00
(6) चम्बाकारा थोड्र को चौड़ा करना		20.00
(7) चालू मिश्रित जल-परिवहन योजनाश्रों के पूरा करने के लिए इकट्ठे धन-राशि जुटाने की व्यवस्था करना		10.00
	कुल	76.69

उक्त योजनाश्रों के श्रलावा राज्य सरकार ने नई नौकाश्रों तथा इंजिनों श्रादि को प्राप्त करने के लिए लगभग 62.75 लाख रुपये कीमत की योजनाश्रों का प्रस्ताव किया है ।

(ग) जहां तक केन्द्र द्वारा संचालित योजनाश्रों की श्रार्थिक सहायता का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने योजनाश्रों की एक सूची श्रलग से भेजी थी । चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में श्रावंटन श्रौर योजनाश्रों की उपयोगिता को मध्यनजर रखते हुए केरल राज्य के सहित, राज्यों में केन्द्रीय सहायता के सवाल पर विचार किया जावेगा।

Air India Calendar 1969

4673. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of copies of the Calendar for this year got printed by the Air India ;

(b) the total expenditure on designing, printing, paper, blocks etc. incurred thereon ;

(c) whether it is a fact that this Calendar was got printed outside India ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to get Government material printed in India compulsorily, in future ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) 1,90,325.

(b) Rs. 7,48,600.

(c) No, Sir.

(d) and (e). Do not arise.

Ghalib Centenary Celebrations

4674. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the Ghalib Centenary Celebrations ;

(b) the amount spent in connection therewith from the Government treasury ;

(c) whether it is a fact that the Ghalib postage stamps had been issued in 1952 and they have again been issued now ; and

(d) the number and names of the members of the Committee appointed to celebrate the Ghalib Centenary ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V.K.R.V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) This Ministry has sanctioned Rs. 20,00,000 to the All India Ghalib Centenary Committee out of which Rs. 15,00,000 have been released during this financial year and Rs. 5.00 lakhs will be released in the next financial year.

(c) Yes, Sir.

(d) The following are the names of the members of the All India Ghalib Centenary Committee :

1.	Smt. Indira Gandhi	Chairman
2.	Shri A. N. Mulla, M.P.	Vice-Chairman
3.	Shri Fakhruddin Ali Ahmed	Secretary
4.	Col. B. H. Zaidi	Treasurer
5.	Shri Ansar Harvani	Member
6.	Smt. Hamida Sultan	Member
7.	Shri Malik Ram	Member
8.	Shri Prithy Chand	Member

Diploma of Technical Qualifications

4675. Shri Nihal Singh : Shri P. C. Adichan : Shri Sharda Nand :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Diploma of technical qualifications of those candidates who wish to join clerical service because of increasing unemployment in the technical field would be considered as equivalent to B.A. Degree particularly when the marks required for admission into first year B.A. Course are forty per cent while admission to the first year of Diploma course is made on the basis of merit and both the courses are three-year courses ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) whether Government are considering any such proposal on the basis of which the said Diploma would be considered equivalent to B.A. Degree ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). Details of the Diploma of technical qualifications and the body awarding such Diploma have not been given in the Question. However, for the post of Lower Division Clerk, the prescribed minimum educational qualification usually is Matriculation or equivalent. A person holding a Diploma would also be eligible for appointment as a Lower Division Clerk if he has passed the Matriculation or equivalent examination. In certain posts like those of Assistants in the Central Secretariat Service, a Degree of a recognised University (besides certain specified Diplomas) is the prescribed minimum qualification for direct recruitment. Certain Diplomas have also been recognised as equivalent to a Degree. Where, therefore, the minimum educational requirement for a post is a Degree of a recognised University, holders of those Diplomas which have been declared as equivalent to a Degree would also be eligible.

मंत्रियों पर व्यय

4676. **श्री जे० एच० पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में मंत्रियों पर, जिसमें उनका भत्ता, बिल, वेतन, मकान का किराया और वाहन भत्ता भी शामिल है, कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) पहली जनवरी 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 की अवधि के लिए मंत्रियों के वेतन तथा यात्रा भत्ते पर खर्च की गई कुल राशि 30,22,365 रुपये है। मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत बनाये गये मन्त्रियों के आवास नियम, 1962 के अनुसार मन्त्रिगण निशुल्क साज-सज्जायुक्त आवास के हकदार हैं। वे मकान किराये भत्ते के हकदार नहीं हैं। मन्त्रियों को सरकारी खर्चे पर कोई वाहन भी नहीं दिया जाता है और न कोई वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है। किन्तु वे अपनी सरकारी ड्यूटियों के उचित निष्पादन के लिए स्टाफ कारों को प्रयोग करते हैं।

खेलों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति

4677. **श्री देवेन सेन :** **श्री किकरसिंह** :
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री द० रा० परमार** :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेलों के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो क्या कुश्ती, कबड्डी, धनुर्विद्या गदा चलाना आदि भारतीय खेलों को प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत लिया जायेगा ;

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) पुनर्गठित अखिल भारतीय खेल परिषद के उदघाटन अवसर पर 5 दिसम्बर, 1968 को दिये गये अपने भाषण में अखिल भारतीय खेलकूद के प्रधान ने परिषद् ने कहा था कि वह खेलों और शारीरिक कार्यकलापों के प्रसार के लिए, देश के अन्दर तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों ही में, एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जाये। फिलहाल परिषद मामले पर विचार कर रही है, और उसकी सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार उन पर यथोचित विचार करेगी।

(ख) यह स्पष्ट है कि हमारे देश की खेल-कूद सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में देशी खेल शामिल हों।

विदेशों में कार्य करने वाले प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक

4678. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : **श्री किकर सिंह :**
श्री देवेन सिंह : **श्री द० रा० परमार** :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में कार्य कर रहे प्रमुख भारतीयों के नाम तथा पदनाम क्या हैं तथा प्रत्येक वैज्ञानिक किस देश में कार्य कर रहा है, और

(ख) भारत के नये प्रमुख वैज्ञानिकों को देश में वापस बुलाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखती है, और वैज्ञानिक पूल का संचालन करती है, विदेशों में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर रहे प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में सूचना एकत्र कर रही है। सर्वेक्षण अभी प्रारम्भिक स्थिति में है।

(ख) भारतीय वैज्ञानिकों की भारत में वापिसी को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं, जिनके बारे में विवरण संलग्न है।

संयुक्त सलाहकार परिषद् की बैठक में कर्मचारियों के प्रतिनिधि

4679. **श्री देवेन सेन :** **श्री किंकर सिंह :**
श्री प्र० न० सोलंकी : **श्री ओंकार लाल बेरवा**
श्री द० रा० परमार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) दिसम्बर, 1968 में हुई संयुक्त सलाहकार परिषद् के अन्तिम अधिवेशन में आमंत्रित किये गये कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त अधिवेशन में कर्मचारियों के सब प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक 27 व 28 दिसम्बर 1968 को हुई थी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की, जो इस बैठक में आमन्त्रित किये गये थे, एक सूची सभा के पटल पर रखी जाती है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 542/69**]

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

उन संघों संस्थाओं के सभी प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया गया था जिन्हें इस बैठक बुलाने के समय मान्यता प्राप्त थी।

Regional Languages as Media of Instruction in Universities

4680. Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Biswanarayan Shastri :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the number of universities in the country, State-wise ;

(b) the number of universities out of them which have adopted regional languages as their media of instruction ;

(c) whether Government have given any assistance to the universities or the State Education Departments for translating sciences books into regional languages ;

(d) if so, the nature thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Yourth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) A statement showing the number of universities and institutions deemed to be universities in the country, is laid on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* LT—No. 543/69].

(b) According to present information 49 universities/institutions deemed to be universities have adopted the use of regional languages as the media of instruction in one or more subjects.

(c), (d) and (e). Financial assistance in the form of grants has been given to various universities under the Scheme of translation and publication of Standard Works at university level for various subjects, including those of Science in Hindi and other regional languages.

'On account' grants have also been given during the current financial year to 12 State Governments for production of university level books in regional languages in association with the universities situated in that State. The books so produced would also include Science books.

पख्तून लोगों के स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

4681. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4344 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क): क्या सरकार खान अब्दुल गफ्फार खां के और उनकी गतिविधियों और ब्रिटिश काल में पख्तूनों द्वारा आरम्भ किये गये आन्दोलन को भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन का अंग मानती है ;

(ख): यदि हां, तो क्या खान अब्दुल गफ्फार खां से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे कि वह जानकारी अधिक अधिकृत होगी ;

(ग): इसके क्या कारण हैं कि डाक्टर ताराचन्द के नेतृत्व में नियुक्त "स्वतन्त्रा आन्दोलन का इतिहास लिखने वाली समिति" सरकारी अभिलेखागारों खान अब्दुल गफ्फार खां की जीवनी सार्वजनिक भाषणों और उनके लेखों से उनके विचार एकत्रित कर रही है ; और

(घ): क्या भारत के और विशेषकर पख्तूनों के स्वतन्त्रता आन्दोलन और भारत के विभाजन के बारे में खान अब्दुल गफ्फार खाँ से मिलने और उनके विचार जानने के लिये एक इतिहासकारों का दल भेजा जायेगा क्योंकि इन मामलों से उनका सीधा सम्बन्ध था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) इस संबंध में पहले ही प्रयत्न किए गए हैं। कुछ समय पहले आकाशवाणी ने खान अब्दुल गफ्फार खां से उनके जीवन के लक्ष्य संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से साक्षात्कार करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजा था। गांधी शताब्दी की राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रायोजित श्री शाह नवाज खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने अप्रैल 1967 में काबुल का दौरा किया था और खान अब्दुल गफ्फार खान से साक्षात्कार किया था। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ने भी श्री प्यारेलाल को अपने प्रतिनिधि के रूप में 1968 में भेजा था जिन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खां के साथ हुई बातचीत को रिकार्ड किया है। श्री प्यारेलाल ने, जो 35 वर्ष तक बादशाह खान के साथ रहे, बादशाह खान से साक्षात्कार करने के लिए 1965 में काबुल का दौरा किया था और पठान नेता के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में एक पुस्तक लिखी थी।

श्री प्यारेलाल के बाद में 1967 में श्री तेन्दुलकार ने अब्दुल गफ्फार खान की एक अन्य जीवनी लिखी जिसमें बहुत बारीकी के साथ, बहुत से स्थानों पर बादशाह खान के अपने शब्दों में, उनके जीवन का उल्लेख किया गया था। श्री तेन्दुलकार ने अपनी पुस्तक गांधी शान्ति प्रतिष्ठान की ओर से लिखी थी और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेख देखने और श्री नारंग, भूतपूर्व खुदाई खिदमतगार और उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त सभा के एक सदस्य, के जरिए सूचना प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा सभी सुविधाएं प्रदान की गई थीं। ये प्रकाशन प्रामाणिक स्रोत समझे जाते हैं।

(ग) और (घ): उपर्युक्त (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए, खान अब्दुल गफ्फार खान के साक्षात्कार करने के लिए स्वतन्त्रता आन्दोलन इतिहास एकक द्वारा इतिहासकारों का एक दल भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है, बल्कि जो सामग्री पहले से उपलब्ध है उसी का उपयोग किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

4682. **श्री जुगल मंडल : क्या गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल में कुल कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ; और

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को पुनः नियुक्त या बहाल किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

नेफा में पंचायती राज व्यवस्था

4683. **श्री वि० ना० शास्त्री : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एरिंग समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नेफा में लोकतन्त्रात्मक ढंग की पंचायती राज व्यवस्था आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एरिंग समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप नेफा पंचायत राज विनियम उद्घोषित किये गये हैं तथा विभिन्न स्तरों पर पंचायत संस्थाएं स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई हैदराबाद राजपथ पर दुर्घटनायें

4684. **तुलसीदास जाधव : क्या नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर जिले के मोहोल तालुक में यावली गांव के निकट बंबई-हैदराबाद राजपथ पर खतरनाक मोड़ पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ; और

(ख) खतरनाक मोड़ वाले स्थान को ठीक करने के लिये लोक निर्माण विभाग को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

संसदीय कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क): 1958 से 1965 तक राष्ट्रीय मुख्यमार्ग के 126/2 मील पर यावली मोड़ पर बारह दुर्घटनाएं हुई। इस स्थान पर गति ब्रेकर और गति संवद्ध पट्ट लगा दिए गए हैं। इन पूर्वोपायों के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ख): इस मोड़ को सुधारने के लिए राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को दो शिकायतें मिली हैं।

शोलापुर (महाराष्ट्र) में नया हवाई अड्डा

4685. **श्री तुलसी दास जाधव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले के कोन्डे गांव में एक नया हवाई अड्डा बनाने की मांग के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार वर्तमान अस्थायी हवाई अड्डे के स्थान पर शोलापुर में एक नया हवाई अड्डा बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट

4686. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय हाकी संघ जनवरी, 1970 में बम्बई में कोई अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट आयोजित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो टूर्नामेंट में किन देशों द्वारा भाग लिये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (ग). भारतीय हाकी संघ ने अपनी 2-3-69 को हुई आम बैठक में, जनबरी 1970 में बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट आयोजित करने का निर्णय किया है। निम्नलिखित टीमों को आमंत्रित करने का संघ का विचार है : —

1. पाकिस्तान।
2. पश्चिमी जर्मनी
3. पूर्वी जर्मनी।
4. जापान।

5. मलेशिया ।
6. फ्रांस ।
7. बेल्जियम ।
8. हालैंड ।
9. आस्ट्रेलिया ।
10. न्यूजीलैंड ।
11. स्पेन ।

किन्तु यह भी प्रस्ताव है कि भारत दो टीमों को भेजेगा ।

भारतीय हाकी संघ ने हमें यह सूचित किया है कि इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के बारे में औपचारिक प्रस्ताव भी सरकार के पास शीघ्र भेज दिया जायेगा ।

दिल्ली में बारह वर्षीय बालिका के शव का पाया जाना

4687. **डा० सुशीला नैयर : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री कंवर लाल गुप्त : श्री कण्डप्पन : श्री बलराज मधोक : श्री ए० श्रीधरन : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 फरवरी, 1969 को एक सार्वजनिक नल के निकट बारह वर्षीय बालिका का शव प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या पुलिस ने उसकी मृत्यु के कारणों की जाँच पूरी कर ली है ;

(ग) क्या मृत बालिका की माता पुलिस अधिकारियों के पास संरक्षण के लिए गई थी और पुलिस ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की थी ; और

(घ) इस बारे में ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 364/302 के अन्तर्गत पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है जिसकी जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ). 26-2-69 को मृत बालिका की माता ने स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक कथित अपहरण के मामले के सिलसिले में उसके परिवार को धमकी दी गई है । रिपोर्ट एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को प्रारम्भिक जांच के लिए सौंपी गई थी । बाद के परिणामों को देखते हुए, इस अधिकारी को, उसके द्वारा शीघ्र कार्यवाही न करने की कथित लापरवाही की जांच करने तक, मुअत्तिल किया गया है ।

विद्रोही मिजो/नागाओं द्वारा सैनिक अधिकारियों का मारा जाना

4688. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के चुराचान्दपुर सब-डिवीजन की सीमा से लगते हुए

मिजो पहाड़ियों के क्षेत्र दन्हालान क्षेत्र में मिजो विद्रोहियों के एक गिरोह ने हाल ही में सेना के एक मेजर को मार डाला था ;

(ख) यदि हां, तो मिजो विद्रोहियों द्वारा सेना के मेजर की हत्या किन परिस्थितियों में की गई थी ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार किया गया है ;

(घ) गत एक वर्ष में विद्रोही मिजो/नागाओं द्वारा सेना के कितने अधिकारियों (रैंकों सहित) को मारा गया है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). 7 फरवरी 1969 को शाम के लगभग साढ़े छै वजे एक मेजर पर, उसके संचालन क्षेत्राधिकार की सीमाओं, के अन्दर और बीच की सीमा व पास काफी नजदीक से गोली चलाई गई। मेजर घटनास्थल पर ही मर गया। इस क्षेत्र को अगले दिन सुबह घेर लिया गया परन्तु आसपास कोई विद्रोही मिजो नहीं दिखाई दिये। इन विद्रोहियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सुरक्षा सेनायें अपनी कार्यवाही कर रही है। पिछले एक वर्ष में मिजो नागा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही में निम्न कर्मचारी मारे गये हैं :

मेजर—5

कैप्टेन—2

सैकिंड लैफ्टीनेंट—1

श्री नगर के सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गीत गाये जाते समय लोगों का चले जाना

4689. **श्री रा० कृ बिड़ला :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि श्रीनगर में सिनेमाघरों में चल-चित्र की समाप्ति पर राष्ट्रगीत गाये जाने के समय लोग जानबूझ कर हाल से उठकर चले जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है ; और

(ग) इस बारे में वहां पर इन नियमों का कढ़ाई से पालन हो, इसके लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० राव रामास्वामी : (क) से (ग) सिनेमाघरों में जिस समय राष्ट्रगीत गाया जाता है, उस समय सामान्यतया लोग खड़े होते हैं और उचित सम्मान प्रकट करते है। तथापि, विभिन्न स्थानों पर सिनेमा देखने वाले लोगों द्वारा इस मामले में की गई भूलों की समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं परन्तु श्री नगर में सिनेमाघरों के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से समय

समय पर प्रार्थना की गई है कि वे राष्ट्रगीत गाये जाने के समय उचित सम्मान प्रकट करने के लिए सिनेमा मालिकों को उपयुक्त हिदायत जारी करें। कुछ समय पहिले, सूचना और प्रसारण मन्त्री ने भी इस बारे में सिनेमा देखने वाले समस्त लोगों को अपील की थी।

Increase in Shipping Tonnage

4690. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) the extent to which the Shipping tonnage is proposed to be increased during the Fourth Five Year Plan :

(b) the extent thereof through India-built ships and ships purchased from abroad, separately ; and

(c) when self-sufficiency is expected to be achieved in respect of ship-building in the country ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) The target for shipping tonnage has not so far been fixed as the Fourth Five Year Plan is yet to be finalised.

(b) No particular percentage of the total acquisition is earmarked for the Indian shipyards but their ship building capacity, both present and anticipated, is fully taken into account before ordering ships abroad.

(c) Though steps are being taken to improve the productivity of our Shipyards, it is not possible to indicate when self-sufficiency will be attained in ship building since the development of the industry is dependent on the availability of funds and foreign exchange and the progress that may be made in the indigenous manufacture of marine machinery and components.

Pre-Engineering Institutes in Delhi

4691. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the location of Pre-Engineering Institutes in Delhi and the year of study in the Delhi Polytechnic whose examination is considered equivalent to pre-Engineering with reference to rule 8(c) and (d) on page 6 of rules enclosed with application forms for the I M. A. Examination being held by the Union Public Service Commission in April, 1969 ;

(b) the name of those institutes where Pre-Engineering/Pre-Technological courses are taught ;

(c) whether the Delhi Polytechnic comes under institutes which impart the Pre-Professional/Pre-Technological courses ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No institute in Delhi is conducting a pre-engineering course.

The examination conducted at the end of the first year of the Five-Year Integrated Degree Course in Engineering at the Delhi College of Engineering (formerly Delhi Polytechnic) is recognized under para (e) of Rule 8 of the Indian Military Academy Examination.

(b) According to the information available, Pre-Engineering or Pre-Professional courses are being conducted in Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Mysore, Orissa and Madhya Pradesh.

(c) and (d). Since the Delhi College of Engineering (formely Delhi Polytechnic) is conducting the Five-Year Integrated Course for degrees in engineering for which the minimum admission qualification in Higher Secondary/P.U.C, it is not conducting any Pre-Professional/ Pre-Technological course.

Polytechnic diplomas are also recognised for the I.M.A. Examination.

1969-70 से आय-व्ययक प्रस्तावों के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन की मांगें

4692. **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 के केन्द्रीय आय व्ययक प्रस्तावों के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन की मांगें, जिनमें दिल्ली नगर निगम की मांगें भी शामिल हैं, पूरी नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां. तो उनके प्रस्तावों में कितनी कटौती की गई है,

(ग) इससे किन-किन मुख्य योजनाओं पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना है ;

(घ) क्या इस बारे में कोई विरोध किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किनके द्वारा और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने 1969-70 के बजट प्राक्कलनों में दिल्ली नगर निगम को मिलाकर 96.80 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था का प्रस्ताव किया था । इन प्रस्तावों पर विभिन्न संबंधित मंत्रालयों द्वारा जांच की गई और कई बातों, नामत: गैर विकासीय व्यय में बचत, विभिन्न प्लान योजनाओं के लिये योजना आयोग द्वारा निर्धारित क्षेत्रीय सीमा, प्राप्य समुचित साधन तथा कार्य करने वाली एजेंसियों की व्यय-क्षमता को ध्यान में रखकर 73.71 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है ।

(ग) चूंकि 1969-70 के लिए दिल्ली के लिए सभी अनुमोदित प्लान स्कीमों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है अत: किसी योजना पर कुप्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं है ।

(घ) और (ङ). दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को 1969-70 के लिये वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित उच्चतम 23.40 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 28.29 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है । इस मामले पर वित्त मन्त्रालय के परामर्श से योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

परीक्षा सुधार सम्बन्धी विचार गोष्टी

4693. **श्री बाल्मीकि चौधरी : श्री दी चं० शर्मा :**

डा० सुशीला नैयर : श्री हरदयाल देवगुण :

श्री ए० श्रीधरन : श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री रा० कृ० बिड़ला : श्री बलराज मधोक :

श्री रणजीत सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परीक्षा में सुधार करने के बारे में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की एक विचार गोष्ठी हाल में नई दिल्ली में हुई थी

(ख) यदि हां, तो उसमें मुख्यतः क्या विचार व्यक्त किये गये थे और क्या-क्या सुझाव दिये गये थे तथा यदि गोष्ठी में कोई निष्कर्ष निकाले गये तो वे क्या हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ द्वारा हाल ही में परीक्षा सुधार और अनिवार्य हाजिरी के बारे में एक सेमिनार का आयोजन किया था। जहां तक हमारी जानकारी है, विश्वविद्यालय को अभी तक सेमिनार की अधिकृत कार्यवाहियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

राष्ट्रीय राजपथों के लिये धन का नियतन

4694. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों में सुधार के लिये राशि का नियतन उनके महत्व के आधार पर किया जाता है या राशियों के आधार पर ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण या उनमें सुधार के लिए धन के नियतन के मामले में राज्य की जनसंख्या भी एक मापदंड होती है ?

संसदीय कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राज मार्गों के निर्माण और सुधार के लिए धन का नियतन राज्यों या जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि राजमार्गों की दशा और उन पर के यातायात की मात्रा, तीव्रता और किस्म पर आधारित ऐसे कार्यों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

विद्यार्थियों के भारत भ्रमण की विश्वविद्यालय आयोग की योजना

4695. **श्री समर गुह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रति वर्ष देश के सब भागों से 500 विद्यार्थियों को भारत भ्रमण के लिए ले जाने की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का उद्देश्य क्या है और उक्त विद्यार्थियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ; और

(ग) सरकार का इस योजना को कब कार्यरूप देने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विजिटिंग स्टूडैंटशिप की योजना

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1969-70 में विजिटिंग स्टूडैंटशिप की एक योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय विकास, संस्कृति,

इतिहास, शिक्षा आदि के क्षेत्र में असाधरण महत्व के स्थानों को देखने के अवसर प्रदान करके योजना का मुख्य प्रयोजन विद्यार्थियों को "देश को जानो" के लक्ष्य में सहायता प्रदान करने का है ।

2. विश्वविद्यालयों के विभागों और कालेजों के विद्यार्थी इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं । 1969-70 में योजना में भाग लेने के लिए लगभग 500 विद्यार्थियों को चुना जायेगा ।

3. कार्यक्रम की अवधि लगभग दो सप्ताह होगी ।

4. भ्रमण कार्य विद्यार्थियों को अपने अध्ययन स्थान से भ्रमण के स्थान तक और वापसी यात्रा के लिए तीसरी श्रेणी (स्लीपर) रेलवे/बस का किराया दिया जायेगा । विद्यार्थियों को दोनों और के लिए 10 रुपए के हिसाब से प्रासंगीय प्रभार और 10 रुपया दैनिक भत्ता दिया जायेगा । विद्यार्थियों को इस कार्य के लिये रेलवे रियायत का लाभ उठाना चाहिये ।

5. सीमित निधि होने के कारण वर्तमान योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध छात्रों के स्थानों की अधिकतम संख्या 50 तक होगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अंशदान 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा ;

6. आयोग ने विश्वविद्यालयों को विशिष्ट प्रस्ताव भेजने की प्रार्थना की है जिनमें यह बताया जाय कि कितने विद्यार्थियों को शामिल किया जाय, किस विश्वविद्यालय/स्थान का भ्रमण किया जाय आदि

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इसरायल के शिक्षा शास्त्री का पीटा जाना

4696. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री म० ला सोंधी :
डा० सुशीला नैयर :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री क० लकप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा इसरायल के एक शिक्षा शास्त्री को पीटा गया तथा उसे चाकू मारा गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो यह घटना किन परिस्थितियों के कारण हुई ;

(ग) क्या यह घटना किसी राजनीतिक दल द्वारा उत्पन्न उत्तेजना के कारण हुई ; और

(घ) यदि हाँ, तो शरारती और उत्तेजना फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कायवाही की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक इजराइली शिक्षा शास्त्री मिस्टर अब्दुल करीम 27 फरवरी, 1969 को अलीगढ़ विश्वविद्यालय में गये थे । कुछ विद्यार्थियों ने राजनैतिक प्रश्नों पर उनसे साक्षात्कार करने के लिए आग्रह किया । जब उन्होंने राजनैतिक विषयों पर वार्तालाप न करना

चाहा तो सम्बन्धित विद्यार्थियों ने, बताया जाता है, कि मिस्टर करीम के संबंध में अशिष्ट अभियुक्तियां की। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने गड़बड़ी का अनुमान किया और विद्यार्थियों को विसर्जित किया। बाद में मिस्टर करीम अनुशाक कर्मचारी वर्ग साथ टैक्सी में विश्व विद्यालय से चले गये। रिशालगंज में रेलवे पुल के ऊपर चार-पांच विद्यार्थियों ने टैक्सी को रोक लिया और उन्होंने गाड़ी के पिछले दरवाजे के शीशे को क्षति पहुंचाई और मिस्टर करीम से हाथापाई की, जिन्हें कुछ खरोंचे आई। उनको एक पुलिस कर्मचारी ने ब ाया और वे हस्पताल ले जाये गये। इस घटना के सिलसिले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4241/427 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। इस घटना को उकसाने के लिये कोई राजनैतिक दल उत्तरदायी नहीं है।

भारत की भाषा समस्या का समाधान

4697 **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार के वैदेशिक कार्य सम्बन्धी राज्य मन्त्री ने, जो नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेने के लिये फ्रांस के प्रतिनिधिमण्डल के नेता के रूप में हाल में भारत आये थे, भाषाओं को सिखाने के लिये एक नई श्रव्य दृष्य प्रणाली का विकास कर भारत की भाषा समस्या को सुलझाने के बारे में प्रस्ताव रखा था ;

(ख) यदि हां, तो भाषाओं को सिखाने वाली नई प्रणाली का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसको अपनाने और उसकी प्रचर प्रक्रिया के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) और (ख). भारत और फ्रांस के बीच 6 और 7 मार्च, 1969 को हुई वार्ता में भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग के विषय पर भी संक्षिप्त रूप में विचार विमर्श हुआ था चर्चा के दौरान, फ्रांस के वैदेशिक कार्य सम्बन्धी राज्य मंत्री भाषा सिखाने में श्रव्य दृष्य तरीकों की कारगरल पर बल दिया और कहा कि रेमन के एक छोटे फ्रांसीसी नगर में विश्व में सबसे बड़ी प्रयोगशाला 6 सप्ताह में नये सीखने वाले व्यक्तियों को अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और रूसी भाषा सिखाने के लिए स्थापित की गई थी। उन्होंने महसूस किया कि इन तरीकों का भारत जैसे बहु-भाषी देश में महत्व है।

(ग) सरकार को भाषा प्रयोगशाला तरीकी के द्वारा भाषायें पढ़ाने की प्रणाली का पता है। मामला विचाराधीन है।

Arrest of Pak Spy.

4698. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Officers of the Central Intelligence Department, Delhi arrested a Pakistani spy, named Ibrahim in the month of January, 1969 because a map of the aerodrome under construction in Haryana, which he was handing over to an Officer of the Pakistan High Commission, was recovered from him ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A Pak national of this name was arrested in Delhi in February, 1969 for not possessing valid travel documents and a case registered against him under Section 14 of the Foreigners Act is under investigation. No map was recovered from him.

टीटागढ़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करना

4699. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टीटागढ़, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में हाल में हुए कुछ साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में वहां पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसे अच्छी तरह से वहाँ अपना काम करने देने से पहले ही एक दम हटा लिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस किसके अनुरोध पर तैनात की गई थी और उसे एक दम से हटाने के क्या कारण थे ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । उन्हें राज्य के पुलिस प्राधिकारियों ने रिजर्व पुलिस के रूप में रखा था ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मानदेय भत्ते पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारी

4700. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मन्त्री मानदेय भत्ते पर कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के बारे में 20 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5341 क उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 544/69**]

संघ राज्य क्षेत्रों में गैर-सरकारी स्कूलों को अनुदान

4701. **श्री हेमराज :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित गैर-सरकारी स्कूलों को अनुदान देने के बारे में संघ राज्य क्षेत्रों का मार्ग दर्शन करने के लिये कोई नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली में अपनाई जा रही प्रणाली को अपनाये जाने की सिफारिश की गई है अथवा वह नीति कुछ भिन्न है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (ग). जून, 1965 में केन्द्रीय सरकार ने संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रशासनों के स्थानीय परिस्थितयों के अनुसार आवश्यक संशोधनों सहित दिल्ली शिक्षा संहिता अपनाने का सिफारिश की थी। दिल्ली शिक्षा संहिता की मुख्य मुख्य बातें ये हैं ;

(1) स्वीकृत व्यय और स्वीकृत आय के बीच अन्तर के 95 प्रतिशत के आधार पर साधारण अनुदान दिये जाते हैं ;

(2) वास्तविक रूप से किये गये कुल व्यय के 2/3 भाग तक इमारत अनुदान दिये जाते हैं परन्तु अधिक से अधिक एक लाख रुपये दिये जाते हैं ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं। अन्य संघ राज्य क्षेत्र समवर्ती राज्यों की प्रणाली अपना रहे हैं।

सेना मुख्यालय में अफसर पर्यवेक्षक (आफिसर सुपरवाइजर) के समान पदों के वेतनमान में संशोधन

4702. **श्री दी०चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना मुख्यालय में अफ़सर पर्यवेक्षक के पद के वेतनमान में संशोधन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इसी प्रकार के पदों के, जिनके वेतनमान की अधिकतम राशि अफसर पर्यवेक्षक का वेतनमान बढ़ाये जाने से पूर्व के वेतनमान के बराबर थी, वेतनमान को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या भारत सरकार के विभागों में अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान को बढ़ानें का प्रश्न विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 1968 में सशस्त्र सेना मुख्यालय असैनिक सेवा का गठन होने पर, अफसर पर्यवेक्षक के पद (रु० 740-30-830-35-900) तथा असैनिक स्टाफ अफसर के पद, ग्रेड-11 (रु० 800-40-1000) को मिलाकर असैनिक स्टाफ अफसर का एक ग्रेड (रु० 740-30-800-50-1150) बना दिया गया। अनुभाग अधिकारी अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के किसी अन्य पद के वेतनमान में संशोधन करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

सेत्तु समुद्रम परियोजना जाँच प्रतिवेदन

4703. **श्री किरुतिनन** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7728 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेत्तुसमुद्रम परियोजना की जांच के बारे में पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां तो यह प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था ;

(ग) उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). सेतुसमुद्रम जहाजी नहर परियोजना के अन्वेषण का प्रतिवेदन जुलाई 1968 में प्राप्त हुई थी। प्रतिवेदन में और बातों के साथ यह कहा गया है कि परियोजना शक्य है और शुरू में 30 फुट और अंत में 35 फुट डुबाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, रामेश्वरम संरेखण को अपनाया जाना चाहिए और 16.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित इस परियोजना के प्रथम चरण पर 37.5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

(घ) इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए तामिलनाद की राज्य सरकार से कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है।

(ङ) इस परियोजना की अन्वेषण की जांच की जा रही है।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

4704, **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसंधान में नियुक्त सहायकों की योग्यताएं क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को अभिलेखागार में काम कर रहे अनुसंधान के छात्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वहां पर कैंटीन सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें अपर्याप्त हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसंधान रूम में तीन सहायक नियुक्त है और उन सब के पास इतिहास में मास्टर की डिग्री है। एक के पास अभिलेखागार संबंधी डिपलोमा भी है।

(ख) जी हां,

(ग) अनुसंधान के छात्रों से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई है :

(1) राष्ट्रीय अभिलेखागार का जलपान गृह बहुत छोटा है और प्रबन्ध असंतोषजनक है। यह कमरा छुट्टी के दिन भी खुलना चाहिए क्योंकि कार्यालय के निकट मध्याह्न भोजन के लिए अन्य कोई कमरा नहीं है।

(2) अनुसंधान कमरे में माइकरोफिल्म रीडर्स अपर्याप्त हैं।

(3) अनुसंधान कमरे में अनुसंधान छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को पूरा करने के लिए स्थान बहुत ही कम हैं।

(4) कुछ लोगों को दस्तावेज और पुस्तकें उपलब्ध की जाती है जबकि अन्य लोगों को इनसे वंचित रखा जाता है।

(5) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में काम करने वाले अनुसंधान छात्रों के लिए उचित भोजन सुविधाओं सहित एक छोटे होस्टल की आवश्यकता है क्योंकि दिल्ली में आवास की दर बहुत अधिक हैं।

(6) नये अनुसंधान छात्रों को यह पता लगाने में दो सप्ताह लगते हैं कि रिकार्ड क्या है और कहाँ हैं। वे महसूस करते हैं कि अनुसंधान रूम से उनका जो मार्गदर्शन किया जाता है वह अपर्याप्त है।

सरकार कैंटीन सुविधाओं, माइकरोफिल्म रीडर्स की संख्या तथा अनुसंधान रूम में स्थानों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है।

जैसे ही भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए अतिरिक्त आवास का निर्माण हो जायेगा कैंटीन की अच्छी सुविधायें दी जायेगी और अनुसंधान रूम में स्थानों की संख्या भी बढ़ा दी जायेगी। चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसा करने का प्रस्ताव है।

जहाँ तक माइकरोफिल्म रीडर्स का सम्बन्ध है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कुछ और माइकरोफिल्म रीडर प्राप्त किये हैं और निकट भविष्य में कुछ और आयात किये जायेंगे।

जहां तक दस्तावेजों और पुस्तकों के दिये जाने में भेदभाव का सम्बन्ध ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

छात्रावास की प्रार्थना सरकार के विचाराधीन है।

जहाँ तक अनुसंधान छात्रों को मार्गदर्शन का प्रश्न है ठीक स्थिति इस प्रकार है :

अनुसंधान छात्र विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त मार्गदर्शकों के अधीन काम करते हैं जो उन को उनके अनेक विषयों के बारे में यह परामर्श देते हैं कि कौनसा रिकार्ड देखना चाहिए। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय अभिलेखागार वैयस्क अनुसंधान छात्रों का सामान्य मार्गदर्शन ही करता है। फिर भी सुधार के लिए करने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत है।

स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदनों को भेजने सम्बन्धी प्रक्रिया

4705. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में दुभाषियों के पदों के बारे में 1 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9233 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को सरकारी उपक्रमों/स्वायत्तशासी अर्द्धसरकारी संस्थाओं में भेजने के बारे में मंत्रालय/विभाग द्वारा क्या निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ख) क्या स्थायी सरकारी कर्मचारी को सरकारी उपक्रमों/स्वायत्तशासी अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में नई नियुक्ति के बाद केन्द्रीय सरकार में अपने स्थायी पद पर कुछ समय तक अपना पूर्वाधिकार बनाये रखने की अनुमति दी जाती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जैसी कुछ स्वायत्तशासी अर्द्ध सरकारी संस्थाएं/सरकारी उपक्रम ऐसे हैं जो इन प्रक्रियाओं के अनुसार काम नहीं करते हैं और उनके द्वारा नियुक्ति के लिए चुने गये अभ्यार्थियों से कहते हैं कि वे अपने मूल मंत्रालय/सरकारी विभाग से त्यागपत्र दें और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सरकारी उपक्रमों/स्वायत्तशासी अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में पदों (चाहे वे अस्थायी हों अथवा स्थायी हों) के लिए स्थायी सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालय तथा विभाग को स्थायी कर्मचारियों से निर्धारित शर्तों को स्वीकार करने का एक लिखित बचन लेने के पश्चात ही आवेदन पत्र भेजने होते हैं, और विदेशी नियोजक को भी ये शर्तें सूचित करनी होती हैं। निर्धारित शर्तें ये हैं कि सरकारी उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं में ऐसे पदों के लिए अपने आवेदन पत्रों के आधार पर चुने गये स्थायी सरकारी कर्मचारियों को अपने मूल कार्यालय में अपने स्थायी पदों पर दो वर्ष अथवा जबतक वे सरकारी उपक्रम इत्यादि में स्थायी रूप से नहीं ले लिए जाते, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक धारणाधिकार रखे रहने की अनुमति दी जानी चाहिए :

(1) छुट्टी के वेतन के तथा पेंशन के दत्तांश या तो उपक्रम/संस्था द्वारा अथवा संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं भुगतान किया जाना चाहिए।

(2) उपक्रम/संस्था द्वारा उसे दिया जाने वाला वेतन उन सीमाओं से अधिक नहीं होना चाहिए जो वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10(24)-ई-3/60, दिनांक 9 मार्च, 1964 तथा विदेश सेवा में वेतन को सीमित रखने के लिए ऐसे अन्य आदेश जो समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निकाले जाय, में निर्धारित हों।

(3) यदि उपरोक्त दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से पहले ही सरकारी उपक्रम/स्वायत्तशासी अर्द्ध-सरकारी संस्था में सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से लेने का प्रस्ताव हो तो सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से ले लेने के आदेश निकालने से पहले मूल कार्यालय से परामर्श करना विदेशी नियोजन से लिए आवश्यक होगा तथा विदेशी नियोजक द्वारा स्थायी रूप से ले लेने के आदेश केवल सरकारी कर्मचारी का त्याग-पत्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद तथा ऐसी स्वीकृति की तारीख से ही निकाले जाने चाहिए। (वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4(3)-ई-4/ए/63, दिनांक 1 अक्तूबर, 1963 को देखिये।)

(4) चूंकि ऐसे मामलों में स्थानान्तरण लोक हित में नहीं होते हैं अतः सरकार सेवा निवृति के कोई लाभ देने अथवा सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि की छुट्टी को आगे ले जाने के लिए कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगी।

(5) यदि उपरोक्त (3) में बताई गई रीति से सरकारी कर्मचारी को सरकारी उपक्रम/स्वायत्तशासी अर्द्ध सरकारी संस्था में उसकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थायी रूप से नहीं ले लिया जाता है तो उसे उक्त दो वर्षों की

अवधि की समाप्ति पर तत्काल या तो सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे देना चाहिए अथवा अपने मूल कार्यालय में वापस चला जाना चाहिए ।

(6) आपवादिक मामलों में, जिनमें सरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी निकाय इत्यादि को, ऐसे सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से लेने में प्रशासनिक कारणों से कुछ समय लगे, स्थायी सरकारी कर्मचारी को मूल विभाग/कार्यालय में अपना धारणाधिकार एक वर्ष और लिए रखे रहने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अनुमति देते समय, मूल विभाग/कार्यालय द्वारा स्थायी सरकारी कर्मचारी से नीचे के पैरा 2 में उल्लिखित बचन जैसा ही एक नया बचन लिया जाना चाहिए । ऐसा ही बर्ताव अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए भी किया जाना चाहिए ।

(ग) सरकारी उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी अर्द्ध सरकारी संस्थाओं को, आपने नियोजन में किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी को लेते समय, प्रत्येक मामले में, उनके द्वारा मान ली गई शर्तों को छोड़कर, इस संबन्ध में सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करना बाध्यकर नहीं है ऊपर बताई गई निर्धारित शर्तों के अधीन, मूल सरकारी विभाग में स्थायी सरकारी कर्मचारियों के धारणाधिकार को रखे रहना निर्धारित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन है । यदि कोई विदेशी नियोजक, अर्थात सरकारी उपक्रम/स्वायत्तशासी अर्द्ध-सरकारी संस्था इन शर्तों में से किसी शर्त से सहमत नहीं हो तो उस दशा में स्थायी सरकारी कर्मचारी का धारणाधिकार नहीं रखा जा सकता है और उस दशा में उसके पास यह विकल्प होगा कि या तो वह सरकार के अधीन अपनी सेवा से त्यागपत्र दे और उस पद पर वापस आ जाय जिस पर उसका धारणाधिकार है ।

Accidents in Delhi

4706. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of persons killed in motor Taxi accidents in Delhi during the year 1967-68 ;

(b) the number, out of them, of those who were Government Employees ; and

(c) the amount of compensation paid to each of them ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a), (b) and (c). The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha, when received.

शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

4707. **श्री स० कुन्दू :**　　　　**श्री ए० श्रीधरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :　　　　**श्री क० लकप्पा :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली और सालारगंज संग्रहालय में हाल ही में हुई चोरियों में उनके मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी दोषी पाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग ने कमरा शीतकों (रूम कूलर) संबंधी भुगतान की बड़ी राशि रोक रखी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस राशि का भुगतान रोकने के क्या कारण हैं और इन दोनों मामलों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें जानकारी दी गई है ।

(ग) पूरी अदायगी नहीं की जा सकी क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों से अपेक्षित निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी । किन्तु अब ये प्राप्त हो गई है और बकाया धन की अदायगी के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है । मंत्रालय को दो न्यायालय निषेधाज्ञाएं प्राप्त हुई थीं जिसमें उससे कहा गया था कि फर्म द्वारा भेजे गये बिल के एक भाग की अदायगी रोक दी जाये । किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है ।

मैसूर राज्य में येरमारेस (रायचूर) में हवाई अड्डा

4708. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व निजाम सरकार ने मैसूर राज्य में रायचूर जिला मुख्यालय के निकट येरमारेस में हवाई अड्डे के निर्माण पर लगभग एक करोड़ रुपया खर्च किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे का किस वर्ष निर्माण किया गया था और इसके निर्माण पर कितनी वास्तविक धनराशि खर्च की गई थी ; और

(ग) क्या इस हवाई अड्डे का बंगलौर, बम्बई और हैदराबाद की ओर जाने वाली देशीय विमान सेवाओं के लिए प्रयोग किये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मैसूर राज्य में रायचूर में एक अच्छे मौसम की हवाई पट्टी मौजूद है । इस पर राज्य सरकार का स्वामित्व है तथा इसका विस्तृत ब्यौरा नागर विमानन विभाग के पास अभी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण

4709. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **गृह-कार्य मंत्री** न्यायाधीशों के अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण के बारे में 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6622 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नही, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बंध में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) न्यायाधीशों के एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण के प्रश्न पर सरकार ने विचार

किया है, किन्तु उसका इस प्रकार का कोई स्थानान्तरण करने का विचार नहीं है जब तक कि यह अनिवार्य न हो। तथापि, वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या न्यायाधीशों की प्राथमिक नियुक्तियों के समय कुछ नियुक्तियां राज्य के बाहर से की जाएं।

दिल्ली में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी लोग

4710. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी, 1969 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानियों के नाम क्या हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के क्या कारण थे ;

(ख) क्या उनके पास से कोई ऐसे कागज प्राप्त हुए हैं जिनसे उनके जासूसी होने का संकेत मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक विवरण, जिसमें सूचना दी गई है, सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 545/69]

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Status to Maithili Language

4711. Shri Gunanand Thakur : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the late Prime Minister Jawaharlal Nehru had given an assurance regarding appointment of an important committee to accord a vital status to Maithili language in view of the demands of Maithili-speaking people ; and

(b) if so, the nature of the report submitted by the Committee and the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

प्रतिरक्षा सेवाओं में प्रशासनिक ढांचा

4712. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री रणजीत सिंह : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या गृह-कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रतिरक्षा सेवाओं में प्रशासनिक ढांचे के बारे में कोई सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों के कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). प्रशासनिक

सुधार आयोग ने "भारत सरकार का शासन तंत्र तथा कार्यपद्धति" पर अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्य मंत्रालय में स्थित होना चाहिए न कि प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में। आयोग का "प्रतिरक्षा मामलों" के सम्बंध में इसके द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल द्वारा इस विषय पर अपने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकने के बाद अपनी सिफारिशें प्रतिपादित करने का भी इरादा है।

मनीपुर के माओ सबडिवीजन में चीन से प्रशिक्षण प्राप्त विद्रोही नागाओं का प्रवेश

4713. **श्री हेम बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन में प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 250 विद्रोही नागा हाल ही में मनीपुर के माओ सबडिवीजन में घुस आए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके प्रवेश से सम्बंधित ब्यौरा क्या है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में चीन से प्रशिक्षण प्राप्त विद्रोही नागाओं को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) चीन से लौटने वाले विद्रोही नागाओं के प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा दल निरंतर निगरानी कर रहे हैं ।

एक अन्तर्राष्ट्रीय जालसाज के पास विदेशी पारपत्रों का होना

4714. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री एक अन्तर्राष्ट्रीय जालसाज के पास विदेशी पारपत्रों के होने के बारे में 22 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में बहुत से मामले चल रहे हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को वित्त मंत्रालय ने एक आयातित बड़ी कार की तस्करी संबंधी मामलों को वापस लेने का परामर्श दिया है ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस व्यक्ति की राष्ट्रीयता तथा नागरिकता में संदेह होने के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय को सूचित किया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान। सूचना एकत्रित कर ली गई है तथा आश्वासन की पूर्ति में सदन के सभा पटल पर रखे जाने के लिए 22 मार्च, 1969 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है।

(ख) इस समय, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 211, 193, 467/471 के अधीन एक मामला श्री जापफरी तथा अन्य के विरुद्ध श्री हून द्वारा कथित झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कलकत्ता के बैंकशल कोर्ट में 5वें प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। जैसा कि 25 नवम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1993

के उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में कहा गया था, किसी कैडीलैक कार के आयात के संबंध में कोई अभियोग श्री हून के विरुद्ध नहीं चलाया गया था। अतः मामला वापस लेने का प्रश्न ही नहीं था।

(घ) ऐसा करने का कोई अवसर नहीं था।

क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज तिरुचेरापल्लि

4715. **श्री किरुतिनन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तिरुचिरापल्लि के क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के कर्मचारियों ने एक अपील अथवा अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं और उस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि कालेज का स्टाफ और निम्न श्रेणी के कर्मचारी हाल में हड़ताल पर थे और उनमें से कुछ को मुअत्तिल कर दिया गया था ;

(घ) क्या सरकार ने हस्तक्षेप करके मामले को निपटा दिया था और मुअत्तिल व्यक्तियों को पुनः काम में लगा दिया था ;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज के कार्यकरण में जांच करने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करने का है और यदि हाँ, तो कब तक ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारियों ने अपनी सेवा शर्तों तथा उनसे सम्बंधित मामलों के सम्बंध में अभ्यावेदन दिया था।

(ग) 10-7-1968 से 14-7-1968 तक स्टाफ के कुछ सदस्यों ने हड़ताल की थी और उन्हें मुअत्तिल कर दिया गया था।

(घ) और (ङ). कालेज के गवर्नर्स बोर्ड ने कर्मचारियों की वैद्य शिकायतों की जांच की थी और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई की थी। 15-7-1968 को हड़ताल समाप्त कर दी गई थी और मुअत्तिल कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया था। उसके बाद से कालेज सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

(च) जी नहीं।

मदुरै के एक कालेज में राष्ट्रीय गीत का तमिल में गाया जाना

4716. **श्री किरुतिनन :** गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै के एक कालेज के विद्यार्थियों ने 9 मार्च, 1969 को राष्ट्रीय गीत गाने से इंकार कर दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गीत के भावों तथा धुन में किसी परिवर्तन के बिना उसका अनुवाद करके तामिल में गाया था ;

(ग) क्या राष्ट्रीय गीत के भावों में कोई परिवर्तन किये बिना उसके अनुवाद को क्षेत्रीय भाषाओं में गाने की राज्य सरकारों को अनुमति देने का सरकार का विचार है ताकि राष्ट्रीय गीत के अर्थ को लोग समझ सकें ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) राष्ट्रीय गीत गाये जाने के बाद एक तमिल गीत "संगे मुभंगू" गाया गया था ।

(ग) और (घ). जन गण मन के नाम से तथा इन शब्दों की रचना की कुल संख्या से पहचाना जाने वाला संगीत भारत का राष्ट्रीय गीत है । सरकार ने इस रचना में अनुवाद द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया है और न ऐसा कोई प्रस्ताव ही है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बहाली

4717. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या गृह-कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों को, जिनको एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में गत् 17/18 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था, बहाल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध मामलों को वापस लेने अथवा उनके मामलों की अग्रेतर जांच पूरी न होने तक उनको काम पर आने की अनुमति देने का सरकार का विचार है ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् श्री विजयकुमार मल्होत्रा से एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में सरकार की नीति 18 अक्टूबर, 1968 तथा 8 जनवरी, 1969 के प्रेस ज्ञापनों में तथा 13 मार्च, 1969 को सदन में दिये गये वक्तव्य में (सभापटल पर प्रतिलिपियां रखी जाती है) बताई गई है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल०टी० 546/69] । सरकार का विचार ऐसे मामलों को वापस लेने का नहीं है जिनमें पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं ।

Customs Duty on Goods Brought into Cities

4718. Shri Deorao Patil : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether customs duty is imposed on the goods brought into the cities ;

(b) if so, whether the imposition of customs duty is in conformity with the recommendations of the Road Transport Taxation Enquiry Committee ;

(c) whether there is a demand for exempting foodgrains from the customs duty ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) to (d). The question presumably refers to octroi duty. The Road

Transport Taxation Enquiry Committee has come to the conclusion that octroi should be abolished and State Governments should choose alternative taxes that suit them best so as to make available substitute sources of revenue to local bodies. The Transport Development Council also agreed in June, 1968, that octroi and similar levies should be abolished and steps would be taken by the State Governments to work out proposals for substitute taxes. The matter is accordingly being pursued with the State Governments, who are concerned in the matter, for the abolition of octroi on various items, including foodgrains, and for location of suitable alternative levies to replace octroi.

4719. Shri Kushok Bakula : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Tibetan students receiving education in India ;

(b) the number of Tibetan students receiving education in the following countries ;

(i) Switzerland

(ii) England

(iii) West Germany

(iv) France

(v) Norway

(vi) Belgium and

(vii) in other countries ; and

(c) the steps taken by Government to maintain contacts with the Tibetan students in foreign countries for their welfare and to safeguard their interests ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) and (b). The number of Tibetan Refugee students receiving education in the schools run by the Tibetan Schools Society is 5512 as on 31-12-1968. The remaining information is not readily available.

(c) In view of the reply given to parts (a) and (b), action does not arise.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का दाखिला

4720. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं में दाखिले के बारे में 19 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7677 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि इन संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये 20 प्रतिशत स्थान रक्षित रखे जाने स्पष्ट निदेश के बावजूद इनकी संख्या बहुत कम है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि मद्रास संस्था में विशिष्ट प्रतिनिधित्व सूची के पालन किये जाने के संकेत तक नहीं मिलते हैं ; और

(ग) सभी संस्थाओं द्वारा आरक्षण सूचियों का पालन कराने के लिये क्या विशिष्ट तथा तुरन्त उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के उम्मीदवारों को कम संख्या में दाखिला मिलने का कारण इस

रूप में कम आवेदन पत्र प्राप्त होना तथा संयुक्त दाखिला परीक्षा में उनका ठीक काम न करना है।

मद्रास संस्था समेत प्रौद्योगीकीय की सभी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के निर्धारित एक समान नीति का अनुसरण किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन सभी उम्मीदवारों को, जो संयुक्त दाखिला परीक्षा में पास हो जाते है और अंकों के आधार पर दाखिला प्राप्त करने वाले अन्तिम उम्मीदवार से दस प्रतिशत कम अंक प्राप्त करते हैं, दाखिला दिया जाता है।

(ग) प्रौद्योगीकीय संस्थाओं की परीषद् ने निर्णय किया है कि आगामी शैक्षिक वर्ष से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उन उम्मीदवारों को जो संयुक्त दाखिला परीक्षा में पास हो जाते हैं, अन्य उम्मीदवारों के अंकों से तुलना किये बिना उनके लिए रक्षित स्थानों के विरुद्ध दाखिला दिया जायेगा।

Dayal Commission Report on Ranchi Riots

4721. Shri Ram Avtar Sharma : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the **Raghubar Dayal** Commission, appointed to look into the Communal riots which took place in **Ranchi**, has in its report held almost all parties responsible therefor ;

(b) whether the Commission has held Government officers also responsible therefor ; and

(c) if so, the details of the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) A copy of the report has been placed at the Table of the House.

(c) A copy of the report had been sent to the Government of Bihar for appropriate action.

दिल्ली विश्वविद्यालय में एम०ए० की कक्षाओं के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

4722. **श्री रामवतार शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार आगामी शिक्षा वर्ष से एम०ए० की कक्षाओं के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों में ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के०आर०वी० राव): (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ चुने हुए विषयों में उत्तर-स्नातक पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने का दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। योजना के विस्तृत ब्यौरे, विश्वविद्यालय द्वारा आयोग के विचार विमर्श तैयार किये जा रहे हैं।

पर्यटकों को परेशान किया जाना

4723. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिल्टन होटल्स इंटरनैशनल इंकारपोरेटिड, अमरीका के उप-

प्रधान (सेवानिवृत्त) मि० डीन० कारपेन्टर के पत्र, जो कि 11 मार्च, 1969 के "स्टेट्समन" में **प्रकाशित हुआ है**, की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने जयपुर में पुलिस द्वारा परेशान किये **जाने के बारे में** शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है कि पुलिस तथा अन्य गुण्डा तत्वों द्वारा पर्यटकों को परेशान न किया जाये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) राजस्थान सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

महाराष्ट्र में भाषा सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करना

4724. **श्री राजशेखरन :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने फरवरी, 1967 में अथवा इसके आसपास महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य में सीमावर्ती कुछ तालुकों के ग्राम-वार भाषा सम्बन्धी आंकड़े (1961 की जनगणना) मांगे थे और इस जानकारी को केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य के बीच लागत को बांटकर एकत्र तथा उपलब्ध किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आंकड़ों को एकत्र करने से पूर्व महाराष्ट्र सरकार से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) चूंकि सामग्री राज्य सरकारों द्वारा सीमा विवाद, जो महाजन आयोग को पहले ही सौंप दिया गया था, के सम्बन्ध में मांगी गई थी, उसका संकलन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना किया गया था । इसी प्रकार मैसूर में क्षेत्रों के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई सामग्री का संकलन उनके अनुरोध पर मैसूर सरकार के पूर्व परामर्श किये बिना किया गया था । फिर भी, इन सभी अवस्थाओं में सामग्री, संकलित होने के पश्चात दोनों राज्य सरकारों तथा आयोग को भी एक साल उपलब्ध की गई थी । चूंकि आयोग को भी सामग्री की आवश्यकता थी अतः खर्चा, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, जिनके अनुरोध पर संकलन किया गया था, में बराबर-बराबर बांट दिया गया ।

जनगणना के प्राथमिक आंकड़ों का एकत्रित किया जाना

4725. **श्री राजशेखरन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम-वार भाषा आंकड़ों के बारे में जनगणना के प्राथमिक आंकड़ों की तैयारी तथा प्रकाशन के लिये तथा उस पर आने वाली लागत को केन्द्र तथा राज्य/राज्यों में बांटने के बारे में कोई नियम हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ; और

(ग) क्या इन आंकड़ों को एकत्र करने तथा उन्हें उस व्यक्ति अथवा अधिकारी को उपलब्ध किये जाने के लिये निवेदन करने वाले व्यक्ति अथवा प्राधिकारी पर कोई प्रतिबन्ध है और यदि हां, तो क्या ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). तक : भाषा आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन तहसीलें/तालुक/थाने अथवा बड़े प्रशासनिक एककों के सम्बन्ध में जनगणना सामग्री के एक भाग के रूप में किया जाता है। जब किसी विशेष प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को ग्रामवार सामग्री की आवश्यकता होती है तो वह प्राथमिक जनगणना पर्चियों को दुबारा छांटने के पश्चात तालिकाबद्ध की जाती हैं। इस कार्य का खर्चा उस प्राधिकारी से वसूल किया जाता है जिसके अनुरोध पर यह कार्य किया जाता है किन्तु यदि यह सामग्री केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य सरकार द्वारा मांगी गई हो तो खर्चा बांट दिया जाता है। ऐसी सामग्री का संकलन तब तक नहीं किया जाता जब तक किसी प्राधिकारी के लिए यह आवश्यकता न्यायसंगत हो जिसके कहने पर सामग्री का संकलन किया जा सकता है।

सवर्णराभा नदी पर पुल का निर्माण

4726. **श्री स० कुन्दू :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जलेस्वर के निकट सवर्णराभा नदी पर पुल के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस पुल के निर्माण की सिफारिश की है ;

(ग) क्या यह पुल चौथी पंचवर्षीय अवधि में बन जायेगा ; और

(घ) इस समय प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ). संभवतया माननीय सदस्य उड़ीसा में बालासोर जिले में जालेश्वर के पास सुवर्णरेखा नदी पर पुल के निर्माण का उल्लेख कर रहे हैं। यह पुल राज्य मार्ग पर पड़ेगा अ : इसके निर्माण का दायित्व उड़ीसा सरकार का है। वे इस पुल के लिये, अपितु, सहायता अनुदान मांग रहे है। पुल की अनुमानित लागत लगभग 74.00 लाख है। तीसरी योजना में भारत सरकार ने इस परियोजना के सर्वेक्षण के लिये 12,400 रु० का एक प्राक्कलन मंजूर किया है। इसके निर्माण के लिये राज्य सरकार के सहायता अनुदान के मांग पर चौथी योजना का अंतिम रूप दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उड़ीसा में छोटे पत्तनों का विकास

4727. **श्री स० कुन्दू :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय करने के लिये एक समिति बनाई गई है, कि उड़ीसा में किन-किन छोटे पत्तनों का विकास किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य किन-किन का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके नाम क्या हैं,

(ग) क्या तकनीकी व्यक्ति भी इस समिति में शामिल किये गये हैं या किये जायेंगे ;

(घ) इस समिति का स्वरूप क्या होगा ,

(ङ) क्या चन्दवाली पत्तन में जल विज्ञान सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है और क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है; और

(च) क्या इस प्रतिवेदन से समिति को अपने अध्ययन-कार्य में सहायता मिलेगी और यदि हां, तो कितनी ?

संसद-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय में विकास सलाहकार (पत्तन) की अध्यक्षता में उड़ीसा के छोटे पत्तनो अर्थात चन्दवाली/गोपालपुर के विकास के लिये उपयुक्त सिफारिश करने के लिए एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) और (च). उड़ीसा राज्य सरकार के अनुरोध पर जिस मुहाने पर चन्दवाली स्थित है उसका जलीय सर्वेक्षण शुरू किया गया है। यह सर्वेक्षण आगामी सर्वेक्षण मौसम अर्थात 1969-70 के दौरान भी जारी रहेगा ।

डा० धर्मतेजा की अंगुलियों के निशान

4728. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के केन्द्रीय अंगुली छाप विभाग के पास डा० धर्मतेजा की अंगुलियों के निशान हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह निशान कब लिए गए थे और उनका अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नही, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुछ प्रकार के अपराधों के लिए सिद्ध-दोष व्यक्तियों के अंगुलियों के निशान केन्द्रीय अंगुली छाप विभाग कलकत्ता को रिकार्ड के लिए भेजे जाते हैं ।

असैनिक उड्डयन के लिये सुपरसोनिक विमान

4729. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन के लिए सुपरसौनिक विमानों का प्रयोग करने सम्बन्धी सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड् यन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां; प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) एयर इण्डिया ने अभी सुपरसौनिक विमानों की खरीद के लिए आदेश नहीं दिए हैं। परन्तु उन्होंने क्रमशः 4.00 लाख और 5.00 लाख डालर के निक्षेप (डिपॉजिट) रख के दो यू०एस० एस० एस० टी० और दो कनकार्ड विमानों के वितरण आरक्षित कर लिए हैं ।

(ग) ऊपर (ख) द्वारा ही उत्तर दे दिया गया है ।

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की भर्ती

4730. **श्री सूरजभान** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार ने सब श्रेणियों में ऐसे कुल कितने कर्मचारियों की भरती की है, जिन्हें आयु और या शिक्षा स्तर के सम्बन्ध में छूट दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों की बर्खास्तगी के लिये ज्ञापन

4731. **श्री जुगल मंडल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महानगर परिषद के प्रतिपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति को एक ऐसा ज्ञापन दिया है, कि दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों को बर्खास्त किया जाये : और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली महानगर परिषद के विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है । आरोपों में गोपनीयता की शपथ का तथाकथित भंग किया जाना, वस्तुओं की लायसेन्स फीस में अनुचित वृद्धि, कानून का उल्लंघन, न्यायालय/पुलिस के मामलों में हस्तक्षेप, गन्दी बस्तियों के निवासियों को तंग करना, न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन अनधिकृत भाषा नीति, राजनैतिक शोषण, अनियमित भूमि आवन्टन इत्यादि सम्मिलित हैं ।

Robbing of French Tourists in Delhi

4732. **Shri S. M. Banerjee : Shri Chandra Shekhar Singh : Shri Jageshwar Yadav : Shri Ramavatar Shastri : Shri K. Halder :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two French tourists were robbed of their belongings, while they were taking rest in Gandhi Ground, Delhi ;

(b) if so, whether the Police have succeeded in tracing the culprits and restoring the belongings to these tourists ; and

(c) the steps being taken to avoid such incidents so as to save India's image from getting tarnished ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A report was lodged with the Delhi Police by one of the two French nationals that two cloth bags belonging to them were stolen while they were sleeping in the night of 22/23rd February, 1969 in the Gandhi Ground (opposite Railway Station Delhi Main).

(b) No, Sir.

(c) Apart from patrolling in the city around the clock by policemen, special watch is also kept on places which are likely to be visited by tourists. If any specific offence is reported then action is taken in accordance with law.

Alleged Communist Plan for Subversion

4733. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 213 on the 27th February, 1969 and state :

(a) whether the required information has since been received from the Government of Jammu and Kashmir, Kerala and Rajasthan ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) While the Governments of Jammu and Kashmir and Kerala have no information about any plan of the Communist Party for looting the crops during the rabi harvest of 1969, the Rajasthan Government have indications of a plan to take forcible possession of Government lands in the canal area of Ganganagar district. The people trying to take such forcible possession might also indulge in looting the rabi crops. The State authorities are vigilant in this regard and have taken steps to put down any such unlawful acts.

Development of Nehru Park and Other Places in Udaipur (Rajasthan)

4734. **Shri Onkarlal Bohra :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the amount of money proposed to be given for the development of new Nehru Park in Fateh Sagar lake in Udaipur, which he had recently visited with Shah of Iran ;

(b) whether Government propose to allocate adequate sum of money for the purpose of developing the said Park and other tourist-resorts in Udaipur, keeping in view the assurance given by him there in regard to the development of Nehru Park ; and

(c) whether Government propose to appoint a Committee to suggest to Government ways and means for the beautification of that city and for the development of natural scenes there and also about the manner in which that city can be developed into a prominent tourist centre ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). The Central Government has already given a sum of Rs. 3.30 lakhs to the Rajasthan Government for the beautification of the island in the Fateh Sagar lake at Udaipur. The improvement of facilities at Udaipur, and the development of Rajsamand and Jaisamand lakes there, have been included in the Tourism schemes of the Central and the State Government respectively during the Fourth Five Year Plan.

(c) No, Sir.

Alleged Plot to Kill Communist Leaders of West Bengal

4735. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the news published in the Weekly 'Blitz' of the 8th March, 1969 relating to an alleged plot to kill certain Communist leaders of West Bengal ;

(b) if so, the steps taken to investigate and to eradicate such anti-national and anti-democratic plots ; and

(c) if no steps have been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Government have seen the said report.

(b) and (c). Facts are being ascertained from the state government.

Publishing Books for Children and Common Man in Public Sector

4736. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have ever considered that by publishing books written in simple language and easy style for childern as also for the common man at Government expense, Government can do more good to public welfare in the field of education and general information ;

(b) whether it is a fact that there is a likelihood of some mistakes occurring in its subject matter, its compilation and presentation by getting such books published in the private sector and, if so, the steps proposed to be taken by Government for publishing such books in the public sector ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a), (b) and (c). Yes, Sir. Government of India through the National Council of Educational Research and Training are engaged on a programme for the production of textbooks and supplementary reading material for all stages of school education and also of literature for the neo-literates. Many State Governments have also undertaken such book writing under their nationalised text book programme.

Government of India has also set up a National Board of School Textbooks which should provide a forum for a dialogue between the Centre and the States and eventually prepare a guideline for implementing national decisions including how State Textbook Boards would examine syllabii, curricula and textbooks whether produced by government or by private publishers with a view to emphasising values stressed by the National Integration Council.

Tourist Places in Bihar

4737. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(b) whether Government have ever surveyed the places of tourist attraction in Bihar ;

(b) if so, the details thereof and the steps taken to develop these places ; and

(c) if no steps have been taken, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a), (b) and (c). Government is aware of the tourist attractions in Bihar. A statement showing facilities provided at selected places of tourist interest in Bihar, and the tourism schemes proposed to be taken up during the Fourth Five Year Plan is attached.

STATEMENT

A. *Tourist facilities provided in Bihar*

1. Tourist Bungalow (Class I) at Bodhgaya constructed at the time of Buddha Jayanti in 1956.
2. Construction of Rest Houses and provision of Transport facilities in DVC area.
3. Setting up of Tourist Bureaux at Gaya, Bodhgaya, Ranchi and Rajgir.
4. Tourist Shala at Rajgir.
5. Installation of an aerial ropeway at Rajgir (under execution)

B. *Tourist schemes proposed to be taken up in the Fourth Five Year Plan*
Integrated Development of Bodhgaya-Rajgir-Nalanda.

In addition, the State Government proposes to provide more accommodation and transport facilities at selected places of tourist interest.

सड़क संगठनों द्वारा मशीनों और उपकरणों की खरीद

4738. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परियोजनाओं से वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक मशीनों और उपकरण खरीदने के क्या कारण हैं, जिसकी देख-भाल नहीं की जाती और फालतू पड़ी रहती है,

(ख) सीमावर्ती सड़क परियोजना और सीमा सड़क संगठन के लिये आवश्यकता से अधिक मशीनरी और उपकरण खरीदने के आदेश देने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार थे,

(ग) उक्त उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग न किए जाने और उन्हें अप्रयुक्त पड़ा रहने देने के क्या कारण हैं, और

(घ) उपरोक्त संगठनों में यंत्रों और उपकरणों की भारी मरम्मत और उसपर बड़ा खर्च होने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रश्न सड़क पक्ष और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीमान्त सड़क संगठन और सड़क पक्ष के कार्यभार के अधीन पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना के बारे में है । जहां तक पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना का प्रश्न है सूचना दी गई है :

पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना को रक्षा अनुस्थापित योजना होने के कारण सरकार ने प्रारम्भ में ही बहुत ऊंची प्राथमिकता प्रदान की । 1964 में यह विचार किया गया कि आसाम में अभीर गांव से उत्तर प्रदेश में बरेली तक 1111 मील लम्बी सड़क 111 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तीन वर्ष में पूरी हो जायेगा । परियोजना को पूरा करने के लिये, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार देशी तथा आयातित मशीनों की खरीद, सड़क व पुल निर्माण में लगे कार्य की मात्रा पर निश्चय किया गया था । बाद में अगस्त 1966 में वित्तीय कठिनाई के कारण और सरकार का कम खर्च करने के प्रेरणा के फलस्वरूप पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना की प्राथमिकता कम कर दी गई और कार्य में काफी ढील देनी पड़ी इसके फलस्वरूप परियोजना के लिए कुछ खरीदी गई मशीनों की आवश्यकता नहीं रही और वे फालतू हो गए । फालतू मशीनों की समीक्षा और इनका अधिकतम उपयोग करने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । जहां तक सीमान्त सड़क संगठन का प्रश्न है सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान में हुई घटनायें

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पाकिस्तान में हाल में हुई घटनायें और उन पर भारत-सरकार की प्रतिक्रिया।"

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की जनता राजनैतिक ढांचे में ऐसे परिवर्तनों की मांग करती रही है जिसके फलस्वरूप देश की सरकार में जनता अधिक से अधिक भाग ले सके। लोकप्रिय भावना की इस लहर के परिणामस्वरूप सरकार और विरोधी नेताओं के बीच 10 से 13 मार्च, 1969 को हुए एक गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान की सरकार ने एक संघीय संसदीय सरकार की स्थापना को स्वीकार किया और वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुनाव कराने की मांग को भी स्वीकार कर लिया।

इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान में राजनैतिक स्थिति स्थिर नहीं हुई। 25 मार्च 1969 की शाम को राष्ट्रपति अयूब खां ने नाटकीय ढंग से पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष जनरल याइया खां को सत्ता सौंप दी। सत्ता प्राप्त करने के तुरन्त बाद जनरल याइया खां ने समस्त पाकिस्तान में मार्शल ला लागू कर दिया और मुख्य मार्शल-ला प्रशासक के रूप में सत्ता सम्भाल ली। संविधान खत्म कर दिया गया, राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय विधान सभायें भंग कर दी गई और राष्ट्रपति, राज्यपालों और मंत्रि परिषदों ने केन्द्र तथा प्रान्तों में तत्काल कार्य करना समाप्त कर दिया।

पाकिस्तान की जनता के साथ हमारे सम्बन्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक हैं और हम निकट के पड़ौसी हैं। स्वभावतः हम पाकिस्तान की स्थिरता, शांति और प्रगति में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ौसी जैसे और मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का हम निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं। दुर्भाग्य से हमें इसमें अधिक सफलता अभी तक नहीं मिली है। हमारे सम्बन्धों से वर्तमान कठिनाइयों के बावजूद हम पूरी आशा करते है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध सामान्य होगे और बहुत से क्षेत्रों में मैत्री पूर्ण और सहयोग की ओर अग्रसर होंगे।

पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। पाकिस्तान की जनता को ही इस बात का फैसला करना है कि किस प्रकार की सरकार उन्हें चाहिये और अपने राष्ट्रहित के अनुसार किस तरह की राजनैतिक और आर्थिक नीति वे चाहते हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि पाकिस्तान की जनता अपनी आन्तरिक समस्याओं को अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा के अनुसार तय कर सकती है। हम अपनी ओर से पाकिस्तान और उसकी जनता का भला चाहते हैं और उनकी प्रगति तथा समृद्धि के लिये हमारी शुभ कामनाएं उनके साथ हैं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मेरा और मेरे दल का तथा अन्य सदस्यों का भी यह विश्वास है कि जब तक भारत और पाकिस्तान पक्की मैत्री स्थापित नहीं करते तब तक उनके दोनों में से किसी के लिए भी कोई भविष्य नहीं है। दस वर्ष पूर्व जब जनरल अय्यूब खां ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी तो हमारे प्रधान मन्त्री ने इसे नग्न तानाशाही कहा था। अब पाकिस्तान में नया शासन शुरू हुआ है अतः हमें भी पाकिस्तान के प्रति नये सिरे से दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि वे पाकिस्तान के सम्बन्ध में कौन सी नई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की हमारी इच्छा हमेशा रही है। इस समय यह बताना कठिन है कि हम कौन सी कार्यवाही करेंगे क्योंकि यह पाकिस्तान की होने वाली परिस्थितियों पर भी करता है और भविष्य में वहां कैसी परिस्थितियां होंगी, इस पर निर्भर करता है।

Shri Prakash Vir Shrstri (Hapur) : I would like to know whether the people of Pakistan have become sick of the dictatorship there and they are now included towards democracy. We all wish that there should be a democratic set up in Pakistan. But after the promulgation of martial law in Pakistan, very strict restriction's have been imposed on the press. I would like to know whether the people of East Pakistan want to separate themselves from the people of West Pakistan and if so, what is the reaction of Government of India thereto ?

The Pakistani leaders are in the habit of arousing anti-India feelings when they are faced with an internal revolt. I would like to know whether such a situation is going to be created in Pakistan this time also and if so, whether India has prepared herself to face such a situation.

I also want to know the steps being taken by our Government to safeguard the interests of the minorities the Pakistan ?

Shri Dinesh Singh : We hope that other countries would not interfere with the internal affairs of Pakistan and Indo-Pak relations.

As far as our information goes, there is at present no danger to the lives and properties of the minorities in Pakistan.

श्री क० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : रूस और अमरीका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और चीन भी हमारे लिये मुसीबतें पैदा कर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार समझती है कि पाकिस्तान की इस स्थिति से भारत सरकार की सुरक्षा और विदेश नीति को खतरा पैदा हो जायेगा।

श्री दिनेश सिंह : यदि पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा हथियार दिये गये तो निस्सन्देह इससे हमारे लिये खतरा पैदा हो जायेगा। जो सरकारें पाकिस्तान को हथियार दे रही हैं उन्हें अपनी इस सम्बन्ध में भावनाओं से अवगत करा दिया है। इसके लिये हमें अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए और अपने देश को किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिये तैयार करना चाहिये।

ताशकन्द समझौते के बारे में हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान की नई सरकार भी ताशकन्द घोषणा पर अमल करेगी।

श्री नाथ पाई : हम पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। किन्तु पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है वह राज्य-विप्लव है। वहां अय्यूब सरकार का तख्ता उलट दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार पाकिस्तान की इस घटना को पाकिस्तान सरकार का तख्ता उलटना मानती है और क्या सरकार समझती है कि पाकिस्तान को जो यह शस्त्रों की सहायता दी जा रही है इससे भारत की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हो जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : पाकिस्तान में सत्ता एक अवैधानिक ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र सेनाओं को सौंप दी गई और वहाँ मार्शल-ला घोषित कर दिया गया। हम इसे सत्ता का हस्तान्तरण मानते हैं। हम इसे सैनिक क्रांति नहीं मानते।

जहां तक भारत की सुरक्षा का सम्बन्ध है, भारत सरकार अपने इस दायित्व के प्रति पूरी तरह जागरूक है।

तेलंगाना की स्थिति के बारे में

RE. SITUATION IN TELANGANA

श्री नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में जो घटनायें हो रही हैं उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। हमने जो मुलकी नियम पास किये थे उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहरा दिया है। इस प्रकार तेलंगाना के लोगों को जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह समाप्त हो गया है। वहां के लोगों का सरकार में विश्वास नहीं रहा है। अतः गृह मन्त्री से कहा जाय कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पेचीदा मामलों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं गत डेढ़ महीने से इस विषय पर चर्चा को टालता आ रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से थोड़ी और चिन्ता पैदा हो जायेगी। मेरा ख्याल है गृह-मंत्री इस को ध्यान में रखेंगे।

मैं इस समय इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता। हम बिना सूचना के इस समय इस संबंध में चर्चा नहीं कर सकते।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली और मद्रास के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) वर्ष 1967-68 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) वर्ष 1967-68 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, मद्रास के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 524-69]

शस्त्रास्त्र (दूसरा संशोधन) नियम और भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अधीन शस्त्रास्त्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 22 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 431 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 434 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—525-69]

(2) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 15 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 770 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी०—526-69]

राज्य सभा से प्राप्त सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है ;

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा 22 मार्च 1969 को पास किये गये सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1969 से राज्य-सभा अपनी 26 मार्च, 1969 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई।"

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : श्रीमान् ; मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1969 भी सभा-पटल पर रखता हूँ क्योंकि सभा के समक्ष प्रतिवेदन आखिरी बार 2 मार्च, 1969 को रखा गया था।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

बहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मैं स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगर

विकास मन्त्रालय (निर्माण, आवास तथा नगर विकास विभाग)—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग (लेखन सामग्री पक्ष)— के बारे में प्राक्कलन समिति का 72 वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

सामान्य आय-व्ययक अनुदानों की मांगें—जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

गृह मन्त्रालय —जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री रणधीर सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Randhir Singh : Delhi is expanding fast and this has posed a danger to the adjoining villages of Delhi. Their lands have been frozen and the villages do not know what would happen to them. Uncscrupulous colonizers are purchasing lands at cheap prices from them in the name of D.D.A. and Delhi Administration and making exorbitant profits by selling land at high rates. Also when their lands are acquired, they are not paid proper compensation.

The recommendations made by the M.Ps. Committee headed by Shri Krishna Moorthy Rao and those of Dr. Erring Committee in regard to Nefa should be implemented. Hindi should be taught in schools there. Industries should be set up there. It is essential in the interest of National defence to repair roads there. Ex-servicemen should be settled there.

One thing about Nagaland. Nagaland is a beautiful place. People belonging to other areas should be permitted and encouraged to go there so that these may develop a feeling of oneness. Indian misssioneries like Arya Samaj should be allowed to work among the people of Nagaland and service them.

Goa, Manipur and Tripura are very beautiful places. A survey of the mineral resources of these places should be undertaken as these areas are full of various kinds of minerals.

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned for Lunch till for Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.03 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Three Minutes past Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Shri Randhir Singh : The recommendations of Khosla Commission have not been implemented so far. You must consider the pending cases of policemen sympathetically. You must make Himachal Pradesh a full fledged state. You must also try to accommodate other ranks in the Army as you have alone in the case of E.C.Os. I want that 80 per

cent of Government posts should be occupied by farmers. The personnel of border Security Force, Assam Rifles should be provided with same facilities and amenities which are available to the personnel of Armed Forces. Gherao should be made a cognizable offence.

The terms of various Assemblies should coincide with the term of Parliament. Because of mid term Elections in various states, the terms of Assemblies there should not be five years.

Chandigarh should be given to Haryana. I would be grateful of Rohtak is made the seat of a bench of High Court, and a university should also be established there. The statue of Sarder Bhagat Singh should be installed in Parliament House. The lawyers of Supreme Court should be also made judges of Supreme Court as in the case with High Courts.

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : हमारे दो मंत्रियों—श्री मोरारजी देसाई और श्री यशवन्तराव चव्हाण के राज्य में जो बुराइयां हैं उनकी गणना करना कठिन है। राज्यों में जो कांग्रेसी सरकारें हैं उनको भी केन्द्र की कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध लड़ना पड़ता है। हम सब को उस बात पर विचार करना चाहिए कि अब ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए वे अलोकतंत्रात्मक तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं।

सरकार का अपने कर्मचारियों के प्रति रवैया भी अजीब है। उनको आश्वासन दिये जाते है परन्तु पूरे नहीं किये जाते। यहां तक की पुलिस भी असंतुष्ट है। उनके लगभग 700 कर्मचारी बेकार सड़कों पर घूम रहे हैं।

कई शिकायतों के बारे में जब उनको हल बताये जाते हैं तो वे उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते ? देश में क्षेत्रीय असमानता बढ़ती जा रही है। किसी क्षेत्र को किसी दूसरे क्षेत्र के कारण या केन्द्रीय सरकार के कारण कठिनाई क्यों होती है ? यह सब इसलिए होता है कि सरकार अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच के मतभेदों से लाभ उठाना चाहती है।

पहले शिव सेना को गृह-कार्य मंत्री का समर्थन प्राप्त था। वह चाहते थे कि हम मराठी लोगों की राजनीतिक और आंतरिक भावनाओं को समझें, जो शिव सेना के रूप में प्रकट हो रही है। महात्मा गांधी चाहते थे कि राज्यपाल मंत्रियों की सलाह से चले. परन्तु अब स्थिति बिलकुल उलट है। अब मैं केन्द्र-राज्य संघर्ष पर भाषण देना चाहता हूँ। यह संघर्ष दो कारणों से है, अर्थात् वित्त और पुलिस। दुर्गापुर और अन्य स्थानों की घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है ? केन्द्रीय सरकार अपने केन्द्रीय पुलिस बल को राज्य के क्षेत्र में तैनात करना चाहती है जबकि राज्य में कानून और शाँति बनाये रखने के लिए राज्य का अपना पुलिस बल होता है। राज्य में कोई सामानांतर बल क्यों तैनात किया जाये ? केन्द्र इस तरह की व्यवस्था के लिए क्यों जोर देता है।

20 वर्ष के विकास के पश्चात् वित्त सम्बंधी दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं एक तो एकाधिकार, एकाधिकारवादी उद्योग और बैंकिंग जो वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। दूसरी ओर राज्यों के पास बहुत कम वित्तीय संसाधन हैं। अतः एकाधिकार वित्त का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए और वित्त विकास का भाग सभी को मिलना चाहिए।

इस संघर्ष का एक कारण यह है कि आज वित्त एकाधिकारवादी है और केन्द्र द्वारा

नियंत्रित है। अतः यदि इस संघर्ष को न रोका गया तो प्रगति रुक जायेगी तथा राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भीषण संघर्ष आरम्भ हो जायेगा। अतः जैसा श्री नम्बूद्रीपाद ने सुझाव दिया है, राज्यों की एक परिषद् बनाई जानी चाहिए।

केन्द्र राज्य सम्बंध का प्रश्न केन्द्र को मजबूत या कमजोर करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि एक आधुनिक पूंजीवाद राज्य में केन्द्र तो रहता ही है और बहुत सी भाषाओं वाले राज्यों के इस तरह के संघ में एक ऐसा केन्द्र होना चाहिये जो संघीय संविधान में न बदले। आपस में लड़ने वाले राज्यों के एक महासंघ में बहुत से क्षेत्र आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में पूर्णतया असफल रही है। इसका कारण यह है कि बिड़ला बंधु और 7८ एकाधिकारवादियों के अनुसार केन्द्र चल रहा है। समस्या वित्त मंत्री के काबू में नहीं है और यही गड़बड़ी का कारण है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हम आयात किये गये तेल के लिए अन्य देशों से अधिक मूल्य दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे वित्त मंत्री तेल कम्पनियों के दबाव में हैं और उस कारण हमें अधिक शुल्क देना पड़ता है। इसी कारण देश में पूर्ण गड़बड़ी है, राज्य एक दूसरे के विरुद्ध हैं एक दल दूसरे दल के विरुद्ध है और राज्यपाल निर्वाचित विधान सभाओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और यह सब इसलिए हो रहा है कि इन सबका एक ही सिद्धांत है, एकाधिकारवादियों का समर्थन करना और यदि एकाधिकारवादियों में संघर्ष हो तो उनके दल में जिसको सबसे अधिक समर्थन मिलेगा वह जीतेगा और दूसरे हारेंगे। इस देश में सभी एकाधिकारवादियों के दबाव में हैं। मेरे विचार में गृह-कार्य मंत्री के रूप में श्री ज्योति बसु श्री चव्हांण से अच्छे हैं चूंकि वह श्रमिकों के साथ हैं। इस सारी बात का सार यह है कि वित्त मंत्री ने पूंजीवाद का एकाधिकारवाद स्थापित किया है तथा गृह-मंत्रालय ने पूंजीपतियों के पक्ष में श्रमिक वर्ग के विरुद्ध आंतकवादी शासन स्थापित किया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Dange has referred to the name of Sbri Jyoti Basu. Shri Jyoti Basu called the police force of U.P. as foreign force, does Mr. Dange agree with it ?

श्री श्री० अ० डांगे : उत्तर प्रदेश भारत में है और इसकी पुलिस को विदेशी पुलिस नहीं कहा जा सकता। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो किसी काम के योग्य नहीं रहते। मैं केवल शिकायतें ही नहीं करना चाहता। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि एकाधिकारवाद और पुलिस शासन समाप्त हो।

इस समय देश में हर स्थान पर भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियों की चर्चा है। हमें आशा थी कि शायद सरकार इस मामले में कुछ कर रही है। परंतु ऐसा लगता है कि यह प्रश्न अब समाप्त हो गया है। यदि कांग्रेस इन सब समस्याओं का हल चाहती है तो उसे केन्द्र में सरकार पुनः बनानी चाहिए जो वामपंथी और लोकतांत्रिक बलों पर आधारित हो।

यहां पर कुछ लोगों ने कहा है कि घेराव अवैध करार दिया जाये। मेरे विचार में यह बिल्कुल गलत होगा। यह परम्परागत हथियार है और इससे अच्छे परिणाम निकलते हैं। मध्य प्रदेश में भूतपूर्व शासकों को बड़े बड़े जंगल 100 रु०, 10 रु० अथवा 1000 रु० के नाममात्र किराये

पर दिये जाते हैं और वे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है। इन सब समस्याओं के हल के लिये मेरे विचार में सभी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये।

योजना के सम्बंध में भी सरकार का कोई सिद्धांत नहीं है। जहां पहले ही उद्योग हैं वहां और उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में बिड़ला बंधुओं को कई लाख रुपये की चुंगी की छूट दी गई। इसका कारण यह था कि सरकार का विधि परामर्शदाता बिड़ला बंधुओं की नौकरी में भी था। केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बंध में क्या किया है।

श्री अनन्तराव पाटिल (अहमदनगर) : साम्यवादी दल अब संगठित दल नहीं है। श्री डांगे ने अपने भाषण में शिव सेना का उल्लेख किया। वह शिव सेना से इसलिये नाराज हैं कि शिव सेना ने उन्हें बम्बई से बाहर निकाल दिया है। बम्बई में श्रम आंदोलन के साथ साम्यवादी और संसोपा अब सहयोजित नहीं हैं। जब बम्बई में आगजनी के मामले हो रहे थे तो साम्यवादी और संसोपा वाले क्यों नहीं बाहर निकले; क्यों नहीं उन्होंने जनता की रक्षा की ? जब बम्बई शहर में आग लगी हुई थी तो यह मजदूरों को हड़ताल के लिये उकसा रहे थे।

श्री डांगे ने यह भी कहा कि श्री चव्हाण शिव सेना के साथ सहयोजित हैं, यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने खुले आम शिव सेना की निन्दा की थी। कोई भी व्यक्ति मूल समस्या को हल करने का प्रयत्न नहीं कर रहा। शिव सेना महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार दिलाने के लिये बनाई गई थी। चूंकि वे इसमें सफल नहीं हो सके अतः उन्होंने राजनीतिक मामले उठाने आरम्भ कर दिये जिससे वह ताकतवर हो जायें। बम्बई नगरपालिका निर्वाचन में भी उन्हें काफी स्थान मिले।

महाराष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर है। प्रत्येक वर्ष 3,000 लोग बाहर से बम्बई में आजीविका के लिये आते हैं। इनमें से 2,050 बाहर से आते हैं। यह कहना बहुत सरल है कि बम्बई पूरे देश का अंग है। परंतु यदि महाराष्ट्र का एक अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति कहे कि बम्बई नगर पहले मेरा, फिर महाराष्ट्र का और उसके बाद देश का है तो गलत नहीं होगा। बम्बई या महाराष्ट्र के इस युवक को बम्बई में तथा इसके पास स्थिति किसी उद्योग में रोजगार नहीं मिला।

महाराष्ट्र के श्रम विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार थाना और बेलापुर के बीच क्षेत्र में 4,000 नियोजित व्यक्तियों में से केवल, 300 व्यक्ति महाराष्ट्र के हैं। इस समस्या को गालियाँ देकर नहीं सुलझाया जा सकता। उद्योगपतियों द्वारा जो कृषि भूमि ली गई है उससे 5000 परिवार बेरोजगार हो गये हैं और उनमें से किसी को भी उद्योग में नहीं लगाया गया। यदि केन्द्रीय और राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान न दिया तो समस्या और उग्र हो जायेगी।

शिव सेना ने महाराष्ट्र और मैसूर के बीच सीमा विवाद उठाया। इस सम्बंध में महाजन आयोग की सिफारिशें बेकार हैं। उनमें कोई सिद्धांत नहीं और कई प्रकार की खामियां हैं। प्रधान मंत्री और उपप्रधान मंत्री को पहल करनी चाहिए और मैसूर तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों को परस्पर विचार-विमर्श करके समझौता करना चाहिए। इस विचार-विमर्श में श्री निजलिंगप्पा तथा श्री चव्हाण को भी शामिल किया जाना चाहिए। लोगों में काफी निराशा पैदा हो रही है।

संघ लोक सेवा आयोग चाहे परीक्षाएं किसी भी भाषा में ले परन्तु विज्ञापन अंग्रेजी के समाचारपत्र में ही देता है। उन्हें प्रादेशिक भाषाओं में भी विज्ञापन देना चाहिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : गृह कार्य मंत्रालय देश में शांति कायम करने तथा लोगों की सुरक्षा करने में असफल रहा है। सर्व प्रथम मैं उन दो समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूँ जो चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में मंत्रालय को दूसरी ओर के विचारों को भी समझना चाहिए। इस सम्बंध में प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी काँग्रेसी और गैर-कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों का जो सम्मेलन बुलाया है वह ठीक दिशा में कदम है। केन्द्र को भी राज्यों को वित्तीय सहायता देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। राज्य परिषदों की स्थापना से ऐसी अनेक समस्याओं को हल करने में काफी सहायता मिलेगी जो प्राय: प्रशासन के सामने आती हैं। इस सुझाव पर बहुत ही गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जनता की इच्छा के बिना उन पर हिन्दी थोपना उचित नहीं। जब तक उत्तर तथा दक्षिण के लोगों द्वारा हिन्दी स्वीकार नहीं की जाती तब तक अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में जारी रहनी चाहिए। उर्दू के साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया गया है। सरकार उर्दू की साँस्कृतिक परम्परा भूल गई है जो राष्ट्रीय एकता की प्रतीक है। उर्दू को उचित स्थान मिलना चाहिए। साम्प्रदायिक दंगों से मध्य पूर्व देश में हमारे देश की बहुत बदनामी हो रही है।

कटक, बलरामपुर, वेरावल, टीटागढ़, पपरी, आगरा, इंदौर और हुबली में जो हाल ही में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उनमें मुसलमानों के विरुद्ध बहुत जुल्म हुए हैं। कई स्थानों पर मस्जिदें जलाई गई हैं और उनके इमामों को हिरासत में लिया गया है। गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में बताया गया है कि 1967 की तुलना में 1968 में साम्प्रदायिक दंगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 365 दिनों के वर्ष में 331 दंगे हुए हैं। यह बहुत ही खेदजनक है। गिरीश माथुर ने अपने "सेक्यूलर डेमोक्रेसी" में कहा है कि अब साम्प्रदायिक दंगे अधिक खूनी होते जा रहे हैं। यदि इस स्थिति पर काबू न पाया गया तो हमारा देश नष्ट हो जायेगा।

जहां तक एकता परिषद् का सम्बंध है, यह साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में असफल रही है। इस सम्बंध में जो रघुबर दयाल आयोग नियुक्त किया गया था अपने प्रयोजन में सफल नहीं हुआ। मुसलमान अल्पसंख्यक इस बात से बहुत निराश हुए हैं कि राष्ट्रीय एकता परिषद् में उनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जब कि जनसंघ को प्रतिनिधित्व मिला था। इससे बातों और कृत्यों में परस्पर विरोध स्पष्ट हो जाता है।

सैयदन समिति की राय थी कि स्कूलों तथा कालेजों में काव्य पुस्तकों के माध्यम से युवा पीढ़ी के मन में घृणा का विष फैलाने का प्रयास किया जाता है और उस पर मूलरूप से पुन: विचार करना होगा। इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया। दूसरी धर्म निरपेक्षवाद को खत्म करने के लिये गम्भीर रूप से प्रयास किया गया है। यह खेद की बात है कि जब कभी भी कुछ कदम उठाए जाते हैं वे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय एकता परि द की सिफारिश पर समाचारपत्रों में तथाकथित आपत्तिजनक लेखों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। लेकिन हमने यह देखा है कि जिन 52 पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की गई उनमें से 48 पत्र अल्पसंख्यक समुदाय के थे।

20 वर्ष लगातार मांग करने के पश्चात रघुबर दयाल आयोग नियुक्त किया गया था। परन्तु मुसलमान आरम्भ से ही इस आयोग से सन्तुष्ट नहीं थे। इस आयोग ने कई अखिल भारतीय मामलों को उठाया परन्तु सन्तोषप्रद ढंग से हल नहीं किया। अल्पसंख्यक समुदाय से किसी भी ख्याति प्राप्त नेता को नहीं बुलाया गया। आयोग ने साम्प्रदायिक दंगों के दौरान अधिकारियों और पुलिस के इकतरफा रवैये और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने में असफलता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आयोग सुनियोजित षड्यन्त्र की तह तक नहीं पहुँच सका और अपराधियों को नहीं पकड़ सका। अन्त में मैं यह कहूँगा कि गजेन्द्र गडकर आयोग की तरह एक आयोग नियुक्त किया जाये जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन की जांच करे और उनकी शैक्षणिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सिफारिशें करे।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हमारी भाषा नीति काफी समय तक दो भाषाएं बनाये रखने की है। दो भाषाओं में अपने देश का जो विश्वास है उसे पिछले वर्ष एक अधिनियम पास करके कानूनी रूप दे दिया गया है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था रखी गई है कि अंग्रेजी तब तक संघ की राजभाषा बनी रहेगी जब तक कि देश के सभी विधान मंडल एक ऐसा संकल्प पास नहीं करते कि अंग्रेजी का प्रयोग बन्द किया जाये। यह एक गारन्टी है जो इस संसद के अधिनियम द्वारा दी गई है।

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए]

[Shri Gadilingana Goud in the Chair]

हम कहते रहे हैं कि हमारी नीति यह है कि हिन्दी का उत्तरोत्तर-प्रयोग किया जाए। हमने यह भी कहा है कि जबकि संघ के सरकारी कामकाज के लिये हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जायेगा। हम यह प्रयास करेंगे तथा हमारी एक निश्चित नीति होगी कि किसी गैर-हिन्दी भाषी व्यक्तियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए नुकसान न हो कि उसकी मातृ-भाषा हिन्दी है। हमने कार्यपालिक हिदायतें जारी कर दी हैं और उन्हें इस अधिनियम में रखा है। हमने इस प्रयोजन से इस सभा को यह आश्वासन दिया है कि जब सरकारी सेवा में भरती की जाएगी तब किसी व्यक्ति के साथ इस कारण से भेदभाव नहीं किया जायेगा कि उसकी भाषा हिन्दी नहीं है। देश की सरकारी भाषा हिन्दी होने पर अहिन्दी भाषी लोगों को यह आशंका होना उचित ही है कि कहीं उनके हितों को हानि न पहुचे। परन्तु उन्हें यह आशंका नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस बारे में कानूनी, कार्यपालिक तथा अन्य सभी परित्राणों की व्यवस्था कर दी है।

श्री रंगा से निवेदन करता हूँ कि वह कोई ऐसा एक भी उदाहरण बतायें जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी का अहित इसलिए हुआ हो कि उसकी भाषा हिन्दी नहीं थी। हम न केवल हिंदी को बल्कि संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इसलिए हमने सभा को वचन दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि संघ लोक-सेवा आयोग की परीक्षाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं में होंगी। हम अखिल भारतीय परीक्षाओं के दो अनिवार्य पत्रों के लिए निबन्ध पत्र और सामान्य ज्ञान-पत्र-संविधान में उल्लिखित सभी भारतीय भाषाओं में शुरू कर सके हैं यद्यपि हमें माडरेशन फार्मूला, माडरेटर, परीक्षकों आदि के बारे में कठिनाई उठानी पड़ी है। इसके असर का पता सामान्य जनता को तब लगेगा जब इसे कुछ समय तक चालू रखा जायेगा।

विश्वविद्यालयों मे जब कभी शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाएं लाने का प्रयास किया गया लोगों का कहना था कि उनके लड़कों को रोजगार नहीं मिलेगा और ईसलिये वे केवल अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा देना चाहेंगे। अब हमने व्यवस्था की है कि जो विद्यार्थी होशियार हैं और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा नहीं ली है। वे प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं और संघ लोक सेवा आयोग की उच्चतम परीक्षा प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से पास करके देश की सिविल सेवा में जा सकते हैं। हमें आशा है कि हम उन सभी विषयों में जिनमें संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा लेता है, प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से परीक्षा शुरू कर सकेंगे।

भाषायी अल्प-संख्यकों के आयुक्त के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। आयुक्त को संघ के विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्प-संख्यकों की देखभाल करने का काम सौंपा गया है। जब उन्हें शिकायत प्राप्त होती है तो वे मामले की जांच करते हैं। स्थिति को देखते हैं और इसके बाद विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्प-संख्यकों को प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं देने के लिए राज्य सरकारों से अनुनय विनय करते हैं। यह संस्था काफी काम कर सकी है। जहाँ काम पूरा नहीं हुआ है हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के तौर पर उर्दू भाषा के बारे में उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में कठिनाई पैदा हुई है। सभा को मालूम है कि सरकार ने देश में उर्दू भाषा की स्थिति के बारे में एक विशेष विवरण जारी किया है लेकिन उर्दू या हिन्दी को मुख्य रूप से इसलिये नुकसान हुआ है कि कुछ लोग भाषा के मामले को धर्म के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सैत : सरकार किस कारणवश उर्दू को सरकारी मान्यता देकर उसे उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में दूसरी प्रादेशिक भाषा घोषित करती ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोई भी भाषा किसी प्रदेश की दूसरी प्रादेशिक भाषा घोषित की जा सकती है बशर्ते कि वह इन कसौटी पर खरी उतरे अर्थात उसे कुछ निर्धारित प्रतिशत लोग बोलते हों। लेकिन उदू बोलने वाले लोगों का यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश में नहीं है।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों के प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने एक दिन सभा में वक्तव्य दिया था जिसमें उन सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार की नीति के सम्बन्ध में बताया गया था जिन्होंने 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लिया था। हमारा इरादा है कि उन सभी सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लेने के कारण बर्खास्त किया गया था फिर बहाल किया जाये यदि इस तरह की बहाली को न करने के लिए कोई सबल कारण नहीं है। हम बता चुके हैं कि इस सबल कारणों का अर्थ हिंसा सक्रिय उत्तजना आदि होगा। हमें आशा है कुछ दर्जन कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सभी अस्थायी, अर्ध-स्थायी या स्थायी कर्मचारियों को बहाल कर दिया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि एक भी अस्थायी कर्मचारी अभी तक नौकरी में वापस नहीं लिया गया है ?

श्री स० मो० बनर्जी : हमें माननीय मन्त्री से यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि केवल थोड़े से कर्मचारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को बहाल कर दिया जायेगा। परन्तु 15 मार्च

को जो आदेश जारी किये गये हैं उनमें अस्थायी कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों दोनों के लिए ही समान आदेश लागू करें।

Shri S. M. Joshi : The order will have to be amended for this purpose but some criteria should also be fixed for interpretation of the meaning of active instigation.

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी मूल नीति सहानुभूति की है और हम चाहते हैं कि कम से कम सरकारी कर्मचारियों को काम पर से हटाया जाये। इसीलिए हमने यह उदारता की नीति अपनाई है। अनेक बातों पर विचार करना पड़ता है और उन्हें निपटाना पड़ता है। हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं।

विदेशी धर्म प्रचारकों तथा उनके प्रति हमारी नीति के बारे में कुछ कहा गया है। विदेशी धर्म प्रचारकों को अल्प संख्यक समुदाय न समझा जाये अथवा उनको इनके साथ न मिलाया जाये। विदेशी धर्म प्रचारकों के प्रति हमारी वह नीति है जो एक विदेशी के प्रति होती है। अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में हमारी जो नीति है उसे सभी लोग जानते हैं। यदि ईसाई समुदाय को पादरियों की जरूरत है तो वे अपने में किसी को पादरी बना सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए बाहर से विदेशी लोगों को बुलाना आवश्यक नहीं है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय विदेशी लोगों का स्थान ग्रहण करें। लेकिन यदि विदेशी धर्म प्रचारक अस्पतालों में काम करने के लिये या ऐसा काम करने के लिए जिसके लिए इस समय पर्याप्त भारतीय नहीं मिलते हैं वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु : यह आन्तरिक मामला है। जिस तरह आपको कारखानों के लिए विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता है उसी तरह हमें विदेशी पादरियों की आवश्यकता है। ईसाई समुदाय ने समाज की बहुत अधिक सेवा की है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ईसाई समुदाय देशभक्ति तथा कल्याण कार्यक्रमों में किसी समुदाय से पीछे नहीं रहा है। पर हमें ईसाई समुदाय तथा विदेशी मिशनरियों के प्रश्न को मिलाना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें भिन्न हैं। हम चाहते है कि विदेशियों के स्थान पर भारतीय पादरी आयें।

जहाँ तक विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने के प्रश्न का सम्बन्ध है हमारे पास ऐसी संस्थाओं की एक सूची है जो विदेशों से धन प्राप्त कर सकती हैं और जिन संस्थाओं को यह धन मिलता है उनके बारे में सरकारी स्तर पर भी समझौते होते हैं। जो भी हो इस पूरे प्रश्न की छानबीन की जा रही है। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को बहुत अच्छे ढंग से कैसे निपटाया जा सकता है।

सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने का प्रश्न भी उठाया गया है। इस दिशा में आरम्भ से ही कुछ उपबन्ध किये गये थे पर कुछ कठिनाईयाँ सामने आईं। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त ने इन कठिनाइयों को जानकारी समय-समय पर दी है। आरक्षण की स्थिति को और सुधारने के लिए तथा

यह देखने के लिए कि आरक्षणों पर उचित ढंग से पालन किया जाता है, हमने अपने मन्त्रालय में इसके तरीके ढूंढने और इनका सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और हम उस पर अमल कर रहे हैं।

Shri Madhu Limaye : When since a large amount is spent on Central Bureau of Investigation, I want to know whether the Bureau would make an enquiry into the leakage of confidential points regarding the Budget. I would also like to know whether the Bureau would enquire into the matter, in case the Members of the Central Board have taken decision BOAC on gold have after getting money and whether this would come within the jurisdiction of the Ministry ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जांच ब्यूरो भारत सरकार की जाँच प्राधिकारी है। यदि सम्बन्धित मंत्रालय उसे जानकारी देगा और जांच करने के लिए कहेगा तो वह ऐसा जरूर करेगा। आप भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, पर जांच ब्यूरो जाँच तभी करता हैं जब उसे कोई शिकायत भेजी जाती है।

श्री जयपाल सिंह : मन्त्री महोदय आरक्षण के बारे में बता रहे थे। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिए निर्धारित किया गया आरक्षण का अनुपात पूरा नहीं किया गया है। जब रेलवे विभाग रेलवे लाइन बनाने के लिए आदिवासियों की जमीन ले लेता है, पर जब उन्हें नौकरी देने का समय आता है तो उन्हें कलकत्ता या बम्बई जाने के लिए कहा जाता है। मैं आरक्षण के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने हिदायतें जारी कर दी हैं, पर इसके बावजूद भी कुछ विभागों या मन्त्रालयों आदि में इन हिदायतों का पालन नहीं किया गया है क्योंकि इनमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं जिनकी जानकारी अनुसूचित जातियों के आयुक्त ने हमें दी है। हमें इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है और कठिनाइयों तथा त्रुटियों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया। समिति ने इसके सुधार के तरीके बताए हैं। हम उन पर अमल कर रहे हैं और आशा है कि उनमें काफी सुधार कर लेंगे।

संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में एक छोटी सी बात बताकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। हमारी नीति यह है कि ज्योंही स्थिति अनुकूल हो संघ राज्य क्षेत्रों को पड़ौसी राज्यों में मिला दिया जाये। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की देश की राजधानी होने के नाते एक विशेष स्थिति है और लंकादीप या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेष भौगोलिक स्थिति सो इन्हें छोड़कर हम किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र को बनाये रखना नहीं चाहते।

Shri Prakash Vir Shastri : I want to know when you are going to bring forward the Act and the main text of the Bill in both Hindi and English.

Shri Vidya Charan Shukla : We are making efforts in this direction, but I am unable to tell you the exact time by which we would be able to do it.

श्री एस० एम० कृष्ण (मांडया) : वर्ष 1967 के पश्चात हमारे संविधान के संघीय स्वरूप की निरन्तर परीक्षा होती रही है। गैर-कांग्रेसी सरकारों से लगातार शिकायतें मिलती

रहती हैं कि केन्द्रीय सरकार उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करती । उन्होंने केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में सुझाव दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले पर पुनः विचार किया जाना चाहिए । हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री गजेन्द्र-गड़कर ने भी यह सुझाव दिया है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को ठीक रखने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए । विधि मन्त्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 263 पर विचार किया और अनुभव किया कि संविधान में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों को सही बनाये रखने के लिए किसी भी व्यवस्था की संकल्पना नहीं की गई है । इस विषय पर बम्बई के 'फ्री प्रेस जनरल' ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को अपने दल के अभियान और सत्ता की भावना से ऊपर उठना चाहिए और देश और देश की एकता की ओर ध्यान देना चाहिये ।

गृह-मन्त्रालय समस्याओं को हल करने में विश्वास नहीं करती । मेरे मित्र श्री पाटिल ने मैसूर-महाराष्ट्र सीमा-विवाद का उल्लेख किया । इस विवाद के लिए श्री चव्हाण उत्तरदायी हैं । मैसूर राज्य ने किसी भी नेता ने महाजन आयोग की नियुक्ति की मांग नहीं की । महाजन आयोग महाराष्ट्र के कुछ कांग्रेसी नेताओं और कुछ विपक्षी नेताओं की मांग पर नियुक्त किया गया । बाद में यह सुझाव भी दिया गया कि सीमा-विवाद पर विचार करने के लिए एक सदस्यीय आयोग के बजाय तीन सदस्यीय आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए । परन्तु यह सुझाव भी नहीं माना गया । अतः स्पष्ट है कि इस सीमा-विवाद पर महाराष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर ही विचार किया गया ।

हमें महाराष्ट्र के लोगों के साथ सहानुभूति है । यदि बम्बई में 3000 परिवार प्रति दिन आते रहे तो बम्बई के मूल निवासियों की क्या हालत होगी, यह हम समझ सकते हैं । किन्तु क्या आप इसके लिए बम्बई में रहने वाले दक्षिण भारतीयों को सजा देंगे और उन्हें बम्बई से निकाल देंगे ? क्या सरकार यह सब चुपचाप देखती रहेगी ?

मैसूर और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकारें हैं । फिर भी गृह-मन्त्री इनकी समस्या को नहीं सुलझा सकते । मैं यह भी नहीं चाहता कि बेलगाम मैसूर में ही रहे । किन्तु इसकी समस्या हल की जानी चाहिए ।

हमारे लोकतन्त्र के लिये एक और खतरा है और वह है बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार । कांग्रेसी नेता अपनी सम्पत्ति का विवरण नहीं देते । उन्हें तमिलनाडु की द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए ।

लोकपाल और लोकाआयुक्त विधेयक के अधीन प्रधानमन्त्री की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । प्रधानमन्त्री में ऐसी क्या विशेषता है । प्रधान मन्त्री को भी लोकपाल और लोकायुक्त योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए ।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता–उत्तर पश्चिम) : देश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता और अन्य प्रकार की अशांति तथा विशेषकर देश के कुछ भागों में मध्यावधि चुनावों के बाद जो हिंसक घटनायें हुई हैं और दो विरोधी दलों के बीच राजनीतिक संघर्ष के परिणामस्वरूप जो हिंसक घटनायें हो रही हैं उनके फलस्वरूप हमारी एकता और भावी प्रगति के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है । इस समस्या को जल्दी ही प्रभावकारी ढंग से हल किया जाना चाहिये

जिससे कि इस समस्या के मूल कारणों को समय रहते दूर किया जा सके और खतरा अधिक न बढ़ सकें ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकते हैं ।

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार दोंहद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 46वें प्रतिवेदन से, जो 26 मार्च, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 46वें प्रतिवेदन से, जो 26 मार्च, 1969 को लोक सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

हिमाचल प्रदेश के दर्जे के सम्बन्ध में संकल्प

RESOLUTION RE : STATES OF HIMACHAL PRADESH

श्री विक्रम चन्द महाजन (छम्ब) : हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने का मामला उपयुक्त तर्कों पर आधारित है और इसका आर्थिक सक्षमता, जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा लोकतांत्रिक परम्पराओं के आधार पर समर्थन किया गया है । हिमाचल प्रदेश आकार में केरल, पंजाब, हरियाणा और नागालैंड से बड़ा है ।

जब भूतपूर्व नरेशों की 31 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया था तब सरदार पटेल ने पक्का वायदा किया था कि "जब इस क्षेत्र का संशोधनों और प्रशासन की दृष्टि से पर्याप्त विकास हो जाये तब इस राज्य का भी गठन अन्य प्रान्तों की तरह ही किया जाये ।"

गत 20 वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की । इस राज्य ने किसी भी अन्य राज्य की तुलना में 360 गुना अधिक विकास किया है ।

कुछ दिन पूर्व गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने राज्य सभा में कहा था कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जायेगा, वैसे ही भारत सरकार इसे राज्य का दर्जा दे देगी । आर्थिक सक्षमता का अर्थ यह है कि उस राज्य क्षेत्र का अपना खर्च उसके राजस्व से ही पूरा हो जाना चाहिए । हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दो सप्ताह पूर्व पेश किये गये बजट में

50-लाख रुपये की बचत दिखाई गई है। जब इस राज्य क्षेत्र के बजट में 50 लाख रुपये की बचत दिखाई गई है तो आर्थिक सक्षमता की शर्त तो पूरी हो जाती है।

थोड़े दिन पूर्व एक नई कसौटी निर्धारित की गई है। कहा गया है कि हमें योजना से भिन्न व्यय भी स्वयं पूरा करना चाहिए। हाल में पेश किये बजट से पता चलता है कि यदि हमें केन्द्रीय शुल्कों में से 5 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा मिल जाये और पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 275 (1) के अधीन राज्यों को मिलने वाली सहायता जो अन्य राज्यों को भी मिल रही है. हमें भी मिल जाये तो केवल 4.5 करोड़ रुपये का ही घाटा शेष रह जायेगा। यदि हमारे राज्य में कायम किये गये पन-बिजली केन्द्रों की, जिनका उत्पादन अन्य राज्यों को भेजा जाता है, रायल्टी में से हमें अपना हिस्सा मिल जाये, तो यह घाटा भी पूरा किया जा सकता है। हमने बस्ती परियोजना और बट्टागिरि परियोजना का काम शुरू कर दिया है और ये परियोजनायें पूरी हो जाने पर हमें 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। इस प्रकार हम योजना से भिन्न व्यय भी स्वयं पूरा कर लेंगे।

ऐसे बहुत से राज्य हैं जो घाटे में चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को 4.5 करोड़ रुपये का घाटा होने के कारण कहा गया है कि इसे संघ राज्य क्षेत्र ही बने रहना चाहिए। साथ ही 20 करोड़ या 40 करोड़ रुपये का घाटा दिखाने वाले राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा कायम रखने की अनुमति दी जाती है।

हिमाचल प्रदेश के लोगों में अनेक कारणों से असंतोष व्याप्त है। पहली बात तो यह है कि बिजली उत्पादन केन्द्र और बाँध हमारे राज्य में है किन्तु उत्पादन की रायल्टी अन्य राज्यों को दी जाती है। दूसरे नीति सम्बन्धी प्रत्येक निर्णय की केन्द्रीय सरकार को पुष्टि करनी होती है। फिर दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अन्डमान तथा निकोबार और अन्य संघीय राज्य क्षेत्रों के लिए हमारे यहां एक ही सवर्ग है। हिमाचल प्रदेश जैसे पिछड़े क्षेत्र के नवयुवकों को उन युवकों का मुकाबला करना होता है जो दिल्ली के पब्लिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह बात ठीक नहीं है।

उत्तर प्रदेश की सेवाओं के कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किया जाता है। इन लोगों को इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के लोगों से कोई लगाव नहीं होता। इस तरह इस पिछड़े हुए सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान, चीन और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और यदि यहां के लोगों की शिकायतों को दूर न किया गया तो यहां भी आसाम, पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैण्ड और मिज़ोलैण्ड जैसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी।

हाल ही में वहां पर अध्यापकों ने आन्दोलन किया है और वे कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अधिक वेतन चाहते हैं। राज्य सरकार इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई लेकिन केन्द्रीय सरकार इस बात के लिए सहमत नहीं हुई। इस के परिणाम-स्वरुप वहां की सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो गई है।

निर्णय लेने में विलम्ब होता है क्योंकि नीति सम्बन्धी प्रत्येक निर्णय के लिए केन्द्रीय

सरकार की स्वीकृति लेनी होती है। इसलिए राज्य के अधिकारी शिमला से दिल्ली की ओर भागते रहते हैं। इस से प्रशासनिक व्यय बढ़ जाता है। लेकिन हमें प्रशासनिक प्रभारों को कम करने के लिए कहा जाता है। इस से बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है ?

इस के अलावा प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य मन्त्री की सलाह से की जाती है लेकिन हिमाचल प्रदेश के मामले में ऐसा नहीं किया जाता। प्राथमिकता क्रम के अनुसार मुख्य मन्त्री का दर्जा मुख्य न्यायाधीश से ऊंचा होता है। लेकिन इस राज्य क्षेत्र के बारे में यह भी लागू नही किया गया है।

हम चम्बा जिले में स्थूल पन-बिजली परियोजना का निर्माण कर रहे हैं। इस से दो पसे प्रति यूनिट की दर से देश में सबसे सस्ती बिजली पैदा होगी। केन्द्रीय सरकार का कहना है कि वह इस परियोजना को अपने अधिकार में लेगी और इस के लिए ऋण नहीं देगी। इस तरह केन्द्रीय सरकार पूरी आय प्राप्त करना चाहती है और यह भी चाहती है कि हम अर्थिक दृष्टि से सक्षम बनें। इस से अधिक अन्याय और क्या हो सकता है। शाईलाक भी ऐसा न करता। हम ऋण लेने तथा ब्याज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन केन्द्रीय सरकार पूरी आय प्राप्त करना चाहती है।

नीति के मामले में जब सचिव और मन्त्री में मतभेद होता है तो उस मामले को केन्द्रीय सरकार को नहीं सौंपा जाता बल्कि केन्द्रीय सरकार स्वतः हस्तक्षेप करती है और सचिव द्वारा बताये गये मार्ग को अपनाती है। गृह मंत्री इस ओर ध्यान दें।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। यदि उसे राज्य का दर्जा नहीं दिया जायेगा तो यह धारणा उत्पन्न होगी कि जब तक हम आन्दोलन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने देनी चाहिए। यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई तो समाज विरोधी तत्वों को नेतृत्व सौंपने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही होगा। इसलिए समय आ गया है जबकि कालोनियों की यह प्रथा समाप्त की जानी चाहिए। यह लोकतंत्र की परिभाषा के प्रतिकूल है क्योंकि प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं का कारगर ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक परम्पराओं के साथ कदम मिला कर चलना ही बेहतर है। आशा है मेरे संकल्प को स्वीकार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ : "इस सभा की राय है कि हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को एक राज्य का दर्जा दिया जाये।"

श्री प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संकल्प के अन्त में "तीन महीनों की अवधि के अन्दर" शब्द जोड़े जायें।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संकल्प के अन्त में "और संसद् के अगले अधिवेशन में इस से सम्बन्धित एक विधेयक पेश किया जाये" शब्द जोड़े जायें।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : दो तथ्यों को ध्यान में रख कर संकल्प पर विचार किया जाये तो अधिक अच्छा होगा। एक तो यह है कि गृह मंत्री कह चुके हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य का दर्जा नहीं दिया जायेगा ; उनका केवल पड़ौसी राज्यों में विलय किया जायेगा। दूसरे, लद्दाख

के लामा लोग लद्दाख की स्थिति पर बहुत उत्तेजित हैं और हमें इसे राज्य का दर्जा देने की बात पर विचार करना होगा। इसमें लद्दाख, स्पीती और लाहौल आते हैं। यदि हिमाचल प्रदेश इन राज्य क्षेत्रों को अपने साथ मिलाने के लिए राजी कर सके तो अलग राज्य बनाने के संकल्प में अधिक बल होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश हरियाणा के साथ विलय की अपेक्षा सौ वर्षों तक संघ राज्य क्षेत्र रहना पसन्द करेगा क्योंकि ये दो क्षेत्र अलग हैं। उनकी संस्कृति अलग है इस समस्या पर दो तरीकों से विचार किया जा सकता है। एक तो यह है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा क्यों दिया जाये और दूसरे, इसे राज्य का दर्जा क्यों न दिया जाये।

गृह मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय दृष्टि से सक्षम नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अलग राज्य के निर्माण से कितना अतिरिक्त खर्च होगा। यदि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो वहां उप-राज्यपाल के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति करनी होगी। इस पर कुछ ही हजार रुपये खर्च होंगे। कुछ समय तक हिमाचल प्रदेश व हरियाणा के लिए एक ही लोक-सेवा आयोग और एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। यदि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाता है तो प्रशासनिक व्यय भी कम हो जायेगा। केन्द्रीय सरकार हिमाचल प्रदेश को 2 करोड़ रुपये देगी और राज्य-कर का भाग लगभग 5 करोड़ रुपये होगा। हिमाचल प्रदेश के लोग अतिरिक्त करों के जरिये संसाधन जुटाने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह मालूम होता है कि गृह मंत्री ने इस राज्य को अपने अधीन रखने के लिए ही वित्तीय अक्षमता का बवन्डर खड़ा किया है।

हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा न देने का दूसरा कारण यह बताया जाता है कि बहुत से क्षेत्रों से अलग राज्य की मांग की जा रही है। हिमाचल प्रदेश का मामला बिल्कुल अलग है। यह राज्य पहले ही बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी वचन दिया था कि इस राज्य को यथाशीघ्र राज्य का दर्जा दिया जायेगा और हिमाचल प्रदेश के संबंध में आन्ध्र, महाराष्ट्र और विदर्भ जैसी कोई समस्या नहीं है।

तीसरा तर्क यह दिया जाता है कि यह एक ऐसा सीमावर्ती राज्य है जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के अधीन ही रहना चाहिए। हालांकि यह सीमावर्ती राज्य है, फिर भी इस पर आक्रमण होने की अपेक्षाकृत कम संभावना है क्योंकि वहां हिमाचल पहाड़ की ऊंचाई बहुत अधिक है। केवल सिपला दर्रा ही ऐसा दर्रा है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इस दर्रे की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था जारी रखनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश को इस शर्त पर राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए कि उसमें लाहौल और स्पीति के इलाके भी शामिल किये जायेंगे और अलग उच्च न्यायालय की मांग नहीं की जायेगी।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The demand for a separate State of Himachal Pradesh is not the demand of a single person or a few leaders but it is the voice of the 30 lakh people of Himachal Pradesh. There are reasons for it. Our grievance is that the Central Government has not paid due attention to our demand.

The Government of India have not taken adequate steps during the last fifteen years to solve our problems. The people of Himachal Pradesh made great sacrifices for the sake of Bhakra Dam and they were uprooted. It is a matter of great distress that

those people have not so far been rehabilitated. Neither the Himachal Pradesh Government nor the Bhakra Control Board, nor the Central Government is prepared to take the responsibility for that. The responsibility for rehabilitation of these people should be fixed otherwise the problem would not be solved.

Our other problem relates to Pong Dam. The people, who are being uprooted on account of the construction of Pong Dam are being sent to Rajasthan. But it is regrettable that the Rajasthan Government is treating them like foreigners. We are starving but the water of Pong Dam is being utilised for the irrigation of other areas of the country.

The Central Government have make huge investment in all the other areas of the country but not even a single factory has been set up in Himachal Pradesh. This is perhaps because the Himachal Pradesh Government does not have the powers of a full-fledged State.

There is a demand for creation of new districts in Himachal Pradesh because certain existing districts like Kangra are big. But this demand is not being met. A Commission should be set up to look into this demand. Either bigger districts should be bifurcated or small districts should be merged.

The grievances of the people of Himachal Pradesh cannot be removed till they attain full statehood. The Central Government should, therefore, grant the status of a full-fledged State to Himachal Pradesh.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए]

[Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : This Union Territory is an extraordinary creation of our Constitution. Such a concept is not available in any other country of the world.

Delhi and Himachal Pradesh were given the status of Union Territories due to financial considerations.

In area, Himachal Pradesh is at present bigger than Panjab, Kerala, Haryana and Nagaland. It is bigger than Jammu and Kashmir also if Ladakh was included in it. The population of Himachal Pradesh is 30 lakhs which is more than the population of Haryana and Panjab.

As regards resources, the position of Himachal Pradesh is not worse than Nagaland and Jammu and Kashmir. It is potentially rich and can be more prosperous than Jammu and Kashmir. Therefore on the basis of population, area and resources, the demand of Himachal Pradesh for attaining statehood is justified and should be accepted.

The name 'Himachal Pradesh' is not a proper name for the present union territory. In Jammu and Kashmir is added to the territory then it deserves to have this name. Even if this merger has not take place for the time being The demand for statehood of the present territory can be met.

The people of Lahaul, Spiti and Ladakh are one on grounds of culture, geography, religion and language They have common problems. The Government should give statehood to Himachal Pradesh and merge Lahaul, Spiti and Ladakh and give them the status of a union territory which should be directly under the control of the Centre.

Even if statehood is granted to Himachal Pradesh, the Centre should have special powers in regard to the State in the interest of security of the country. As a matter of fact the Centre should have special powers in respect of all the States which have borders common with either China or Pakistan.

The present Cabinet of Himachal Pradesh in quite big in view of the recommendations made by Administrative Reforms Commissions in this regard. The staff strength

in the territory is about 86,700 which, in proportion to the population of the territory, is about four times the corresponding proportion in the case of the other States. The number of Ministers can be reduced. This is also scope for reduction in administrative expenditure More and more resources should be mobilised and spend on the development of the State. On these conditions, Himachal Pradesh should be given the status of statehood.

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : The 30 lakh people of Himachal Pradesh went to enjoy the same freedom, which is being enjoyed by the rest of the country. They do not feel even after 20 years that they are citizens of a free country. If the people of Himachal Pradesh do not agitate, it is improper not to meet their just demands.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

Himachal Pradesh is a border area like Nagaland. Nagaland has been given autonomous status. Similarly Himachal Pradesh could also be given the status of a State. The Government should have a definite policy of paying special attention to the development of border areas particularly Tribal areas and keep the people of these areas contended. No country can make progress if the people of border areas are not contented Everyone has the right to live freely in the Indian Union. I support the just demand of Himachal Pradesh.

Financial position of Himachal Pradesh has definitely improved and it is continuously improving. It is not that what it was in 1948.

The demand of the people of Himachal Pradesh for statehood is just and should be accepted.

श्री स० कण्डप्पन (मेत्तुर) : देश के बहुत से क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रशासन है। केन्द्रीय शासन के अधीन क्षेत्रों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। इन क्षेत्रों में जिस रीति से प्रशासन चलता है उससे लोग राज्य की मांग करने लगते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अकुशल ढंग से चलने से ही यह स्थिति पैदा हुई है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बंध है कुछ लोगों ने कहा है कि लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से मिला दिया जाना चाहिए परन्तु हमें मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसा चाहते हैं या नहीं या लद्दाख के लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं। मैंने लद्दाख के माननीय सदस्य को कहते हुए सुना है कि लद्दाख को जम्मू तथा कश्मीर से अलग कर दिया जाना चाहिये। हमें प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति पर अलग-अलग विचार करना चाहिये। अब जबकि श्री महाजन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है तो सरकार को उनकी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। यदि आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र सक्षम नहीं है तब भी इसका फैसला हमें नहीं करना है। मैं उस क्षेत्र में गया हूँ और मैंने देखा है कि वहां के मंत्री, विधायक और जनता भी यही चाहती है। इसलिए सरकार को इस कई वर्षों से बराबर की जा रही मांग को स्वीकार करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिले।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि उसे संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उनमें से कुछ सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं। अंदमान और निकोबार द्वीप समूह बर्मा, मलयेशिया और इण्डोनेशिया की दृष्टि से सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं। आप को वहां जाकर प्रशासन की स्थिति को देखना चाहिए। उन द्वीपसमूहों के मुख्य आयुक्त का भौगोलिक

दृष्टि से उन द्वीपसमूहों से कोई सम्बंध नहीं है। संचार व्यवस्था केवल वायरलेस के जरिये है। मानसून के दिनों में आयुक्त वहां सर्वोपरि होता है। मजदूरों और निर्धन लोगों की आवाज कोई नहीं सुनता। केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपनी शिकायतें रखने का उनके पास कोई साधन है। वे लोग अलग विधान मण्डल की मांग इसलिए करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रशासन ठीक नहीं है।

मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करूंगा कि जो करोड़ों रुपया केन्द्रीय रक्षित पुलिस आदि पर खर्च कर रही है उसमें कुछ कमी करके वह राशियां संघ राज्य क्षेत्रों को दी जायं और वहां प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जाय। यदि हिमाचल प्रदेश के लिए धनराशियां नियत करके उसे संतुष्ट कर दिया जाता है तो वे इस प्रकार की मांग करेंगे ही नहीं।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार करके अन्य राज्यों के लिए आदर्श कायम करे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री जयपाल सिंह : मैं श्री महाजन द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। हमारे देश में दूसरी श्रेणी के नागरिक नहीं होने चाहिए। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं है।

प्रत्येक क्षेत्र की अपनी समस्यायें होती हैं और उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें फैसला करना चाहिये। मेरा सुझाव है कि टिहरी गढ़वाल हिमाचल प्रदेश का भाग होना चाहिये। यथासम्भव हमें उन्हें राज्य का दर्जा भी देना होगा।

मैं अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों में कई बार गया हूं और मैं समझता हूं कि अंडमान और निकोबार में बहुत अन्तर है। मेरी राय में इन दोनों को अलग कर देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त, झारखण्ड को उत्तर बिहार से अलग कर देना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों के विषय में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिये। हिमाचल प्रदेश को राज सहायता की आवश्यकता हो सकती है परन्तु झारखण्ड को नहीं। झारखण्ड के लिए विरोध इस कारण हो रहा है कि उससे बिहार का शेष भाग निर्धन हो जाएगा। परन्तु यदि झारखण्ड शांतिपूर्वक न बनाया गया तो हम संघर्ष करेंगे।

श्री पी० राममूर्ति : किसी क्षेत्र के सक्षम होने की बात को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। ज्यादा महत्व की बात यह है कि इस देश में नागरिकों की दो श्रेणियां नहीं होनी चाहियें। सक्षम तो सम्पूर्ण भारत भी नहीं है। इसलिए सक्षम होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जब देश के अन्य भागों में जनता को स्वशासन का अधिकार है तो इन लोगों को इस अधिकार से वंचित क्यों रखा जाय ? केवल इसलिए कि ये लोग पिछड़े हुए हैं ? इस क्षत्र के लोगों को अन्य लोगों के बराबर अधिकार क्यों न हों ? क्या ये लोग भी देश के समान नागरिक नहीं हैं ? यही प्रश्न है जिससे मुझे गहरा दुख महसूस होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस समस्या को हल करने में जितना विलम्ब आप करेंगे उतनी ही यह कठिन होती जायेगी। यह हिमाचल प्रदेश का ही प्रश्न नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों की जनता संविधान के ढांचे में सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न नहीं है।

किसी क्षेत्र के समक्ष होने या न होने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये। अपने साधनों का विकास करना प्रत्येक क्षेत्र का अपना मामला है। हो सकता है कि कुछ क्षेत्र पिछड़े हुये हों। संघीय ढाँचे में यह बात अन्तर्निहित होती है कि पिछड़े क्षेत्रों में राजस्व का वितरण एक ढंग से हो। उन्हें अधिक राजस्व दिया जाय। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस दृष्टिकोण का परित्याग करके इस समस्या पर पुनर्विचार करना चाहिये। लद्दाख को वे अपने साथ मिलाना चाहें या लद्दाख उनके साथ मिलना चाहे तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। यह बाद की बात है। इस समय तो उन्हें राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाना चाहिये।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (साम्बलपुर) : हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य के दर्जे की माँग विशेष तौर से पंजाब के विभाजन के उपरांत की गई है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता की इस माँग का समर्थन करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्याप्त साधन हैं, जनशक्ति भी है, इसलिए यह कह कर इस माँग का विरोध नहीं किया जाना चाहिए कि वह राज्य वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है। बहुत से राज्य सक्षम नहीं हैं और जो हैं भी वे भी केन्द्र पर निर्भर करते हैं। इसलिए यह माँग स्वीकार की जानी चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि हिमाचल के लिए अलग राज्यपाल हो, अलग उच्च न्यायालय हो। प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो अध्ययन दल वहाँ भेजा था उसने हिमाचल प्रदेश की जनता की इस मांग का पूरा समर्थन प्राप्त है। मुझे आशा है कि सरकार इन बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री स० चं० सामन्त : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैंने एक संशोधन की सूचना दी है "और इस आशय का एक विधेयक संसद् के आगामी सत्र में पेश किया जाय।" यह कोई नई बात नहीं है। सरदार वल्लभभाई पटेल ने आश्वासन दिया था कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का रूप दिया जायेगा। राज्यसभा में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि वह इस बारे में विचार कर रहे हैं। सरकार इसके लिए वचनबद्ध है। अभी माननीय मंत्री ने कहा कि संघ राज्य क्षेत्रों को या तो साथ वाले राज्यों के साथ मिला दिया जायगा या फिर उन्हें राज्यों का रूप दे दिया जायगा। माननीय मंत्री को आश्वासन देना चाहिए कि शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया जायेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री परमार बहुत कुशल व्यक्ति हैं। अनाज के मामले में भी हिमाचल पीछे नहीं है। वहाँ बहुत से बीज-फार्म हैं और बहुत बागान हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि हिमाचल को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : दस मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सभा की इच्छा मालूम करनी होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि समय एक घण्टे तक बढ़ा दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने 45 मिनट का समय बढ़ा दिया है।

श्री पाओकाई हाओकिप (बाह्य मनीपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। मुझे

मंत्री महोदय से यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि छोटे भारतीय राज्य क्षेत्र बड़े राज्यों के साथ मिला दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय रूप से सक्षम होने की बात भी नई है। हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा तथा अन्य साधन युक्त राज्य क्षेत्रों के मामले में राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए, यह बात ध्यान में नहीं रखी जानी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के बारे में निश्चय ही यह कह सकता हूँ कि मनीपुर के लोग राज्य क्षेत्रों को अन्य राज्यों से मिलाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री इरास्मो डि सेक्वीरा (मरमागाओ) : जब भी राज्य का दर्जा प्रदान की बात कही जाती है, आर्थिक क्षमता का प्रश्न उठाया जाता है। 1962 में गोआ में 3900 या 4000 सरकारी कर्मचारी थे और अब 14000 हैं। यह वृद्धि केन्द्रीय सरकार ने की और इसके बावजूद यह कहा जाता है कि आप सक्षम नहीं हैं। हम लौह अयस्क निर्यात करते हैं परन्तु उस पर कर की सारी राशि केन्द्रीय सरकार को मिलती है। इस पर भी कहा जाता है कि आप वित्तीय रूप से सक्षम नहीं है। जहां तक गोआ का सवाल है वह आर्थिक दृष्टि से न केवल राज्य के रूप में बल्कि राष्ट्र के रूप में भी सक्षम है।

मैं हिमाचल प्रदेश की मांग का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसी मांग किन कारणों से की जाती है। यद्यपि बजट में हमें काफी अनुदान दिये जाते हैं परन्तु उनके लिये प्रशासनिक मंजूरी मिलने में बहुत समय लग जाता है...

श्री तुलशीदास जाधव : एक औचित्य का प्रश्न है। यह कहना कहां तक उचित है कि गोआ एक राष्ट्र है। मैं चाहता हूं कि इस पर विनिर्णय दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : गोआ के बारे में उनकी यही धारणा है और इस कारण यह असंसदीय नहीं है। मैं इस पर आपत्ति कैसे कर सकता हूँ।

श्री इरास्मो डि सेक्वीरा : मैंने केवल आर्थिक दृष्टि से ऐसा कहा था।

मैं यह कह रहा था कि हमारे लिए धनराशियां नियत की जाती हैं परन्तु मंजूरी के बिना और अन्य कठिनाइयों के कारण वे हमें मिल नहीं पाती हैं। यह हर्ष की बात है कि प्रशासनिक आयोग के प्रतिवेदन में इस बात पर काफी बल दिया गया है। गोआ के लिए राज्य की मांग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन करता हूं।

आज पहली बार कुछ राष्ट्रीय समस्याएं हमारे समक्ष आई हैं जिन्हें हमें बिना किसी बाहरी दबाव के हल करना चाहिए। बड़े राज्य के कुछ क्षेत्रो में यदि असंतोष होता है तो उसे दबाने के लिए राज्य की मांग की जाती है और यह बात देश के लिए खतरनाक है। जब तक इस देश के प्रत्येक प्रदेश के लोग यह महसूस नहीं करते कि वे भी शासन में भाग ले रहे हैं और उन्हें भी स्वशासन का अधिकार प्राप्त है तब तक देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता। देश के 20 राज्यों के साथ शीघ्र ही बीस गणराज्य बन जायेंगे, परन्तु 50 राज्यों और एक शक्तिशाली केन्द्र के साथ हमारा देश एक रहेगा और हम प्रगति करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं इस मांग का समर्थन करती हूँ। यदि जनता की कोई

इच्छा होती है, मांग होती है और उस बारे में मतैक्य होता है तो कोई मार्ग निकलना चाहिए जिससे सरकार उसकी पूर्ति कर सके। जब संविधान का निर्णय हुआ था तो बहुत सी बातों के लिए उपबन्ध नहीं किये गये थे। यह बात जनता पर छोड़ दी गई थी कि वे जैसा रूप चाहें इस देश को दें। प्रत्येक क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि जहां वे रहते हैं वहां के प्रशासन में उनका भी हाथ हो। यह एक स्वाभाविक मांग है तो प्रत्येक देश के समक्ष आती है।

कुछ वर्ष पूर्व मैं अमरीका गई तो पियोर्टो रीको के लोग पियोर्टो रीको के लिए राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे। अन्त में उनकी मांग की पूर्ति हुई। यही बात अलास्का में हुई थी। इसलिए संघीय व्यवस्था में, जैसी कि इस देश में है, ऐसी समस्याओं के प्रति संतुलित रुख अपनाया जाना चाहिए। यदि हिमाचल के लोग चाहते हैं कि वहां के प्रशासन में उनका हाथ हो तो उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए।

जब पंजाब का विभाजन हुआ तो हिमाचल प्रदेश के साथ मिलते कुछ क्षेत्र हिमाचल के साथ मिला दिये गये। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि उनका क्षेत्र बड़ा है, जन संख्या काफी है और साधन भी पर्याप्त हैं? हिमाचल में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त है जिनसे बिजली पैदा की जा सकती है। वहां बागात हैं और बन भी हैं। यदि उन्हें राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उनकी क्षमता बढ़ेगी। संघीय व्यवस्था में केन्द्र और राज्य भागीदार होते हैं और राज्यों को विश्वास में लेना आवश्यक होता है। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने 18 अप्रैल को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है ताकि इन सब बातों पर विचार किया जाये।

लद्दाख में एक असंतोष पैदा करने वाली घटना हुई है। वहां बौद्धों और मुसलमानों में संघर्ष हो गया है। यह बात हमारे लिए चिन्ता का विषय है। वहां बौद्ध लोग असुरक्षा की भावना रखते हैं। वे महसूस करते हैं कि वे देश के सामान्य जीवन से अलग-थलग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए और उनमें असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह इस समस्या की ओर ध्यान दें। बौद्धों और मुसलमानों के बीच झगड़े को समाप्त करना चाहिए और बौद्धों की सही शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। दोषी पक्ष के साथ सख्ती का व्यवहार किया जाना चाहिए। अन्त में मैं फिर कहूँगी कि हिमाचल प्रदेश की राज्य के दर्जे की मांग स्वीकार की जानी चाहिए।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I wholeheartedly support the resolution under discussion. Government should implement it without any delay. Himachal Pradesh should be granted the status of a full-fledged State. The people of Himachal Pradesh have been making a demand to this effect in one voice.

In our Union Territories such feelings are gaining ground. The people there especially in Himachal Pradesh feel that they must be given participation in administration. It is natural in a growing democracy. We should lose no time in considering it.

It is wrong to say that Himachal Pradesh is not fully developed. The area, the the population and the revenues of Himachal Pradesh has increased and there is full justification for the demand of statehood being granted to it. Its new status would accelerate its development. If it has not so far developed to a point of being financially viable, the responsibility is that of the Centre which is administering it.

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई]

[Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

Centre has been helping the financially weak States like Assam, Jammu and Kashmir, Nagaland, Orissa and Rajasthan. Similarly, why cannot the Central Government help Himachal Pradesh ? Government should now accept the just and genuine demand of the people of Himachal Pradesh and grant it the status of a State.

Shri Sheo Narain : I rise to support the Resolution under discussion. Compared to Rs. 85 lakh revenue in 1948, the revenue of Himachal Pradesh now has risen to Rs. 1840 lakhs. It has now about 40 agricultural colleges whereas there was none in 1948. Himachal Pradesh should now be granted full-fledged statehood. This region is coming into its own. If matters are delayed, it is feared that the people there may be forced to adopt a agitational approach which may prove very dangerous for this border State.

Shri Shinkre (Panjim) : When the people of Himachal Pradesh are demanding full statehood and all political parties are supporting it then Government should not hesitate to fulfil this demand. Governmeut should review the cases of all the Union Territories because the people there are not enjoying all the rights of citizenship enjoyed by the people belonging to other States. Those Territories which cannot be granted full statehood should be merged with the adjoining States.

I feel that the Territories having a population of more than 30,00,000 and an area of 20,000 square miles or more should be granted full statehood.

श्रीमती शारदा मुखर्जी (रत्नागिरी) : इस संकल्प को सभा में काफी समर्थन प्राप्त हुआ है । 21 साल बाद भी संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

जब तक हम संघ राज्य क्षेत्रों को अपना शासन स्वयं चलाने का अवसर नहीं देंगे तब तक आर्थिक आत्म निर्भरता और प्रशासनिक दक्षता आना सम्भव नहीं है । दूसरे, संघ राज्य क्षेत्रों को इस बात का भय है कि वे नहीं जानते कि उन्हें किस राज्य के साथ मिला दिया जायेगा । उनके चारों ओर शक्तिशाली राज्य हैं ।

हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा गया है कि इसके वार्षिक व्यय के मुकाबले में राजस्व बहुत कम है । किन्तु यदि उनसे अपने साधनों पर भी निर्भर रहने के लिये कहा जाए तो वे अपने साधनों के अन्दर रहने की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे ।

यह सत्य है कि 21 साल बाद हमें यह अधिकार नहीं है कि हम आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर राज्यों के लोगों के और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर न रहने वाले राज्यों के लोगों के बीच भेदभाव बरतें । आवश्यक संसाधन जुटाना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है ।

सभा में सभी ने यह मांग की है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाये । सरकार को इसके बारे में निर्णय करना चाहिये ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I support the Resolution asking for full statehood for Himachal Pradesh. The people of Himachal Pradesh has been demanding it.

When small States like Kerala, Nagaland, Haryana and Punjab have been given in the states of States, there is no reason to deny that status to Himachal Pradesh. So far as the question of economic liability is concerned, Himachal Pradesh is quite rich in natural resources and minerals and can well be a viable unit.

Apart from Himachal Pradesh, there are some other demands also for the creation

of new States. Therefore, Government should appoint a Commission to consider this question and arrive at a policy decision so that this question may be settled peacefully.

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की मांग का समर्थन करता हूँ।

हमने हिमाचल प्रदेश के अलग अस्तित्व को मान्यता दी है और पंजाब के बड़े क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में हस्तान्तरित कर दिया है। हिमाचाल प्रदेश की जनता भी अपनी इस मांग में एकमत है। उन्होंने अपनी विधान सभा में सर्व सम्मति से एक संकल्प पास कर दिया है।

हम अपने देश में नागरिकों की दो श्रेणियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों को दूसरे दर्जे के नागरिक समझा जाता है। वे अपनी विधान सभा में तब तक कोई विधेयक पेश नहीं कर सकते जब तक कि भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य आयुक्त उस विधेयक की भली भांति जांच नहीं कर लेते। वे मुख्य आयुक्त की अनुमति के बिना अपनी विधान सभा में बजट भी पेश नहीं कर सकते। इस प्रकार के व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिये।

हमें हिमाचल प्रदेश के लोगों की शान्तिपूर्ण तरीके से की गई मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये। जब लोग हिंसात्मक रवैया अपनायें तभी उनकी मांगों की ओर ध्यान देने की प्रवृत्ति का परित्याग किया जाना चाहिये।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : We should support this Resolution. If Home Ministry accepts the demand of granting statehood to Himachal Pradesh, much of their burden would be lightened. Of the 32 bills which were forwarded to the Ministry for President's assent, 13 were from Himachal Pradesh itself. After giving Himachal Pradesh the status of a State, this work can be avoided.

It is deplorable that justice has not been done to that State in regard to selections for I.A.S. and I.P.S. Not a single officer from that State has been appointed to those cadres. It is high time that justice is done to the people of Himachal Pradesh by accepting this demand.

Shri Partap Singh (Simla) : The Legislative Assembly, the people and the representatives of the people of Himachal Pradesh in Parliament want that Himachal Pradesh should be made a full-fledged State. The M.Ps. from Himachal Pradesh had included this matter in their election manifesto and the people had elected them on that basis. In 1967, the President had also said in this Address to Parliament that the Government would pursue all the policies and programmes in accordance with the mandate of the electorate. Therefore, with a view to fulfilling the assurance given to the people it is necessary that Himachal Pradesh is made a full-fledged State.

Shri Tulshidas Jadhav : Himachal Pradesh is full of natural resources. Whatever was told by Sardar Vallabhbhai Patel for viability for a state is fulfilled by Himachal Pradesh. Himachal Pradesh may be less viable than other states but there are many grants which are given to these states whereas these are not required for Himachal Pradesh.

श्री विद्याचरण शुक्ल : गृह मंत्रायय की मांग पर चर्चा के दौरान मैंने संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में अपनी सामान्य नीति बताई थी कि हम इन संघ राज्य क्षेत्रों को यथा सम्भव धीरे-धीरे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे या उन्हें पड़ोसी राज्य में मिला देंगे। लेकिन दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र,

अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्कादीव तथा मिनिकोय इसके अपवाद हैं। ज्योंहि उचित परिस्थितियां आ जायेंगी त्यों ही जहां तक सम्भव होगा हम छोटे-छोटे संघ राज्य क्षेत्रों को समीप के राज्यों में मिलाने की कोशिश करेंगे या जहां कहीं भी हमें मालूम होगा कि बड़े-बड़े संघ राज्य क्षेत्र अपना प्रशासन स्वयं चला सकते हैं और अपने संसाधनों से वित्तीय जिम्मेवारियां निभा सकते हैं, वहां हमें पूरे राज्य का दर्जा देने में कोई हिचकिंचाहट नहीं होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : वे अनुकूल परिस्थितियां कौन सी हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिन परिस्थितियों पर हमें विचार करना है, वे विशुद्ध रूप से वित्तीय और प्रशासन सम्बन्धी हैं। जैसा कि सभा को मालूम है कि अधिकाँश संघ राज्य क्षेत्र स्वयं अपने राजस्व से अपना प्रशासन व्यय पूरा नहीं कर सकते हैं। योजना से भिन्न खर्च की जो प्रतिशतत राज्यों के अतिरिक्त राजस्व संशोधनों से पूरी होती है; वह प्रायः 96 हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मामले में गैर-योजना खर्च की प्रतिशतता, जो राजस्व संसाधनों से पूरी की गई, वह 1963-64 में 84 थी। यह प्रतिशतता घटकर 1964-65 में 71.31 और 1965-66 में 66-50 रह गई।

श्री बलराज मधोक : जम्मू तथा कश्मीर और नागालैंड से, जिन्हें पूरे राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ये आंकडे कितने कम या अधिक हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : 1968-69 में यह आंकड़े घटकर 57 प्रतिशत ही रह गये हैं। दूसरे शब्दों में राजस्व संसाधनों और व्यय के बीच अन्तर बढ़ रहा है। इन परिस्थितियों में यदि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जायेगा, तो उसकी देनदारियां बढ़ जायेंगी। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के विरुद्ध हैं। हमें केवल उस पर खर्च होने वाले धन की अधिक चिन्ता है।

बजट सत्र समाप्त होने के बाद तत्काल ही दो या तीन महीने के अन्दर हम मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों तथा यदि जरूरी हुआ तो हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ संसद सदस्यों की एक बैठक बुलायेंगे और एक साथ बैठकर मामले पर नये सिरे से विचार करेंगे। यदि हमें पता लगा कि वित्तीय आत्म-निर्भरता अच्छी तरह प्राप्त हो गई है या यदि उसमें थोड़ी बहुत ही कमी रह गई है तो हमें हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

श्री बलराज मधोक : मैंने तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने जो लाहुल तथा स्पिती के बारे में सुझाव दिये हैं उन पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : भाखड़ा बांध के बनने पर जो व्यक्ति विस्थापित हो गये थे उनकी ओर श्री प्रेमचन्द वर्मा ने हमारा ध्यान दिलाया था हम इस मामले पर गौर करेंगे और उसे यथासम्भव शीघ्रता से निपटायेंगे। पोंग बांध के कारण लोगों को जो कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं उन्हें हम कम से कम करेंगे। लाहुल तथा स्पिती के बारे में हम उन सभी बातों पर गौर करेंगे जोकि यहां उठाई गई हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने दो प्रकार की नागरिकता की बात उठाई है जिसे मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हमारे संविधान में सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वे संघ राज्य क्षेत्र में हो या राज्यों में रह रहे हों, एक प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था रखी गई है। चूंकि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन केन्द्रीय सरकार चलाती है इसलिए उनमें कुछ प्रतिबन्धों का होना जरूरी है। उन्हें राज्यों के सममक्ष नहीं रखा जा सकता।

श्री वीरभद्र सिंह : ऐसा भी उदाहरण है जिसमें हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों के बीच अन्तर रखा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्यों को मत देने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस तरह तो हिमाचल प्रदेश का उचित मात्रा से अधिक प्रतिनिधित्व है। मैंने जो आश्वासन दिया है उसे ध्यान में रखते माननीय सदस्य कृपया अपना संकल्प वापिस ले लें।

श्री विक्रमचन्द्र महाजन : यह संतोष का विषय है कि सभा में सभी पक्षों ने इस संकल्प का समर्थन किया है।

यह जो कहा गया गया है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने से प्रशासनिक व्यय बढ़ जायेगा। लेकिन तथ्य यह है कि खर्च वास्तव में कम हो जायेगा, क्योंकि शिमला से दिल्ली आने वाले और वापस जाने वाले अधिकारियों पर अधिक व्यय होता है और अतिरिक्त कर्मचारियों का हम पर जो भार है वह भी समाप्त हो जायेगा। आशा है कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए बजट सत्र के बाद जब हम मिलेंगे तब हम भारत सरकार को इस बात से संतुष्ट कर सकेंगे कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक आत्म-निर्भर एकक है।

मंत्री महोदय ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि हिमाचल प्रदेश ज्योंही वित्तीय आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा त्योंही उसे राज्य का दर्जा दे दिया जायेगा। इस आश्वासन पर मैं इस संकल्प के लिए आग्रह नहीं करूंगा।

सभापति महोदय : चूंकि माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस करना चाहते हैं, क्या संशोधन के प्रस्तुत कर्ता अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करना चाहेंगे?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

(संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।)

(THE AMENDMENTS WERE BY LEAVE, WITHDRAWN)

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य की अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाये?

कुछ माननीय सदस्य : हाँ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

THE RESOLUTION WAS BY LEAVE, WITHDRAWN

———

राज्यपालों की शक्तियों तथा कृत्यों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : POWERS AND FUNCTIONS OF GOVERNORS

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्लोर) : मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करती हूँ :

"राज्यपालों की शक्तियों और उनके कृत्यों के बारे में हाल ही के विवाद की दृष्टि से, और निर्वाध केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रसंग में, इस सभा की राय है कि भारत के संविधान में आवश्यक संशोधनों के बारे में विचार करने लिए 30 संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की जाये।"

1967 के आम चुनावों के बाद से राजनैतिक क्षेत्र में विभिन्न नई शक्तियां उत्पन्न हुई हैं जिन्होंने हमारे संविधान के अस्तित्व को चुनौती दी है और संविधान को उठाकर एक ताक में रख दिया है। भारत के आधे से अधिक राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें आ गई हैं। कुछ राज्यों की स्थिति अस्थिर होने के कारण उनमें राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। कुछ राज्यों में राज्यपालों के कार्य की आलोचना समाज के सभी वर्गों ने की है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वीकार किया है कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों की समीक्षा होनी चाहिए और इस प्रयोजन से मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। यह संतोष का विषय है कि प्रधान मंत्री ने इस सुझाव को स्वीकार किया है और वह शीघ्र ही इस बात पर विचार विमर्श करेंगे और इस महत्वपूर्ण समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए सामुहिक रूप से विचार करेंगे।

मालूम होता है कि हमारी समूची राजनैतिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। संविधान के भविष्य के बारे में कई बार शंका व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति आने से पहले विभिन्न दलों को एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए कि इस स्थिति को रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।

जहां तक राज्यपालों की शक्तियों का सम्बन्ध है उसके बारे में अनेक विचार हैं। एक ऐसी विचारधारा है जो इस बात का समर्थन करती है कि वर्तमान शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं और देश की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। एक दूसरी विचाराधारा है कि राज्यपाल के पद के दिन चले गये हैं और राज्यपाल का पद एक पुरानी बात है। राज्यपालों की स्वविवेक सम्बन्धी शक्तियों के बारे में कोई सर्वमान्य दृष्टिकोण नहीं है।

यह भी कहा गया है कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार स्वयं अपने दल के प्रयोजन के लिए राज्यपाल के पद का उपयोग कर रही है। एक अन्य वर्ग यह समझता है कि राज्यपाल एक निरंकुश शासक की भांति कार्य कर सकता है और राज्यों की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। इस तरह राज्यपालों के कृत्य और शक्तियों के बारे में एक विवाद खड़ा हो गया है।

सभापति महोदय : वह अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकती हैं।

साबुन पर लेबल के बारे में

RE : SOAP LABELS

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Shri Om Prakash Tyagi : Whether you say it a bad or a good spirits but Hindus and Muslims in India have relegious sentiments in regard to cow and pig. Even Muslim rulers kept these sentiments in their view while ruling the country. The same view was expressed by Victoria that they would not play with the relegious sentiments Article 25 also provides that the relegious sentiments of all the communities should be respected. But tallow is used in manufacturing soaps in a number of factories. Government have stated while replying to unstarred Question No. 5407 on the 13th January, 1968 that cow fat was used and pig fat might also be one of the ungredients in soaps. We request you to make it a condition to indicate on the packets the presence of tallow, if there is any in soaps so that the people may purchase such soaps if their relegious conscience permits it, while replying to the said Question it was stated that no such objection had so far been received. But it is not a fact. Even Dalmia, A. K. Naveta, Shri Ayangar and Shri J. P. Narayan have raised such objections. Government have given an assurance that the suggestion regarding labelling of soaps which contained tallow will be examined. The Government has also written to the Indian soap and Toiletries Makers Association enquiring whether the members of the Association are agreeable to make such indication on wrappers. The majority of these members have informed the Government that if they give an indication on the wrappers about the use of tallow or animal fat, the people will not purchase their soaps. The Government want to favour soap manufacturers and has also said that certain manufacturers who use oil for manufacturing soap have started giving such indication in soaps.

The Government should tell the House as to what would be the disadvantage if an indication is given on the wrapper that tallow is used in the manufacture of a particular soap.

It will not be possible for the small manufacturers, who manufacture soap in their houses, to indicate that their soap is prepared from oil. Naturally in the absence of the indication, it will be presumed that their soap is prepared from animal fat. The result will be that people would not purchase their soap and these manufacturers would be hard hit.

The Government should lay on the Table the replies received from the Members of the Indian soap and Toileteries Makers Association in response to Government's enquiry about indication of the use of animal fat.

The Government have stated that efforts are being made to produce synthetic detergents and there will be no need to use animal fat Government should tell what is the present position in regard to the production of synthetic detergents.

New tallow is being used in pure Ghee. This is really a matter of grave concern. Have the Government taken any steps to check this practice? Are the Government aware that any political party could make capital out of the sentiments of the people against the use of animal fat in the manufacture of soap or adulteration of ghee? I want to know the reasons for which Government are allowing such a dangerous situation to develop.

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : यह कहा गया है कि साबुन बनाने में चर्बी के प्रयोग के मामले से कोई भी राजनीतिक दल लाभ उठा सकता है। एक लोकतन्त्र में कोई भी राजनीतिक दल कोई समस्या लेकर लोगों के पास जा सकता है।

प्रश्न यह है कि क्या चर्बी में गाय की चर्बी होती है या सुअर की चर्बी होती है। जब उसे विदेशों से, विशेष रूप से पी० एल० 480 के अन्तर्गत मंगाया जाता है, उस समय यह वास्तव में मिश्रित रूप से होती है यह कहना बहुत कठिन है कि क्या किसी विशेष चर्बी में गाय की चर्बी है या सुअर की चर्बी है। लेकिन एक तरह से यह पशुओं की चर्बी होती है और पशुओं की यह चर्बी समस्त संसार में प्रयोग की गई है। अधिकांश देश साबुन बनाने में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं।

देश में यदि बाहर से चर्बी का आयात नहीं करना है, तो साबुन बनाने के लिए चर्बी की जगह कोई और चीज़ होनी चाहिए। चर्बी का स्थानापन्न हाइड्रोजनकृत तेल या मूंगफली का तेल है। यदि साबुन बनाने में चर्बी का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर दिया जाये तो साबुन बनाने में लगभग 150,000 टन वनस्पति तेल का उपयोग किया जायेगा। इसलिए लगभग 150,000 टन वनस्पति तेल की कमी हो जायेगी जिसका देश के निर्धन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मुँगफली के तेल का उत्पादन मुंगफली के उत्पादन पर निर्भर है और मुंगफली का उत्पादन अनुकूल मौसम पर निर्भर है। 1966 और 1967 में मुंगफली का उत्पादन काफी गिर गया था। इसके परिणामस्वरूप मुंगफली के तेल के भाव 2000 रुपये प्रति टन से बढ़कर एकदम 5,575 रुपये प्रति टन हो गए थे। अधिक मूल्य पर साधारण तथा निर्धन लोग इसे नहीं खरीद सकेंगे। इसलिए पिछले 20 या 30 सालों के दौरान साबुन बनाने में जिस चर्बी का प्रयोग सीमित पैमाने पर किया जाता था, उसका अब बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 25 में, जिसका उल्लेख किया गया है, यह नहीं कहा गया कि देश के लोगों को एक विशेष प्रकार का साबुन खरीदना चाहिए। कुछ साबुन ऐसे हैं जो वनस्पति तेल से तैयार होते हैं और इनके लपेटन पर लिखा होता है कि इस विशेष साबुन को वनस्पति तेल से तैयार किया गया है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी पसन्द का साबुन चुनने का अधिकार है। लोगों की धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है।

मन्त्रालय द्वारा सोप एण्ड टायलट मेकर्स एसोसिएशन को लिखे गये एक पत्र का उल्लेख किया गया है। वास्तव में उस पत्र का उत्तर मंत्रालय में प्राप्त हो गया है। कहा जाता है कि उत्तर में कुछ संदेह की बात है। इस में संदेह की कोई बात नहीं है। पत्र में कहा जाता है कि टाटा आॅयल मिल्स ने अपने मोती साबुन को वनस्पति तेल से बनाने तथा ऐसा इस के लपेटन पर लिखने का निर्णय लिया है। हिन्दुस्तान लिवर ने भी अपना एक 'महारानी' नामक साबुन वनस्पति तेल से बनाने का निर्णय लिया है। यह साबुन बाजार में उपलब्ध है। इस के लपेटन पर लिखा है कि इसमें चर्बी नहीं है बल्कि इसमें वनस्पति तेल है। दो बड़ी कम्पनियां, टाटा आयल और लिवर ब्रदर्स काफी मात्रा में साबुन तैयार करती हैं। इस साबुन पर लिखा होता है कि इसमें किसी पशु की चर्बी नहीं है।

जहां तक कृत्रिम अपमार्जकों (सिन्थेटिक्स डिटरजेन्ट्स) के उत्पादन का सम्बन्ध है, 1964, 1965, 1966, 1967 और 1968 में इनका उत्पादन क्रमशः 7,224, 8,300, 11,204, 6,547 और 17,104 था। अतिरिक्त क्षमता के मंजूर होने की सम्भावना है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कृत्रिम अपमार्जकों का उत्पादन देश में 80,000 से 100,000 टन के

बीच होगा। स्वाभाविक है कि इस हद तक पशु की चर्बी का आयात कम हो जायेगा। कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा खर्च कर के विदेशों से पशु की चर्बी प्राप्त नहीं करना चाहता। लेकिन मुंगफली के उत्पादन में कमी के कारण कठिनाई पैदा होती है। साबुन जैसी आवश्यक वस्तु के लिए किसी दूसरे देश से आयात पर निर्भर रहना किसी देश के लिए अच्छा नहीं है।

Shri Ram Gopal Shalwale (Chandni Chowk) : The efforts made by the Government of India to increase production of groundnut with a view to stop import of tallow from abroad, the quantity of tallow imported two years ago and the quantity being imparted at present and the objection of the Government in case it is written on the label of the soap that it contains tallow ? The Minister should write to the dealer that he should write on the label of the soap that it contains tallow.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Our Constitution provides that Cow-slaughter should be banned. A Committee has also been Constituted by the Government which is still working. Therefore the Government should not play with the national sentiment. Government should impose a blanket ban on the use of Cow and Pig tallow otherwise the soap manufacturers should be compelled to write on their soap that it contains tallow. In case this is not done The policy of the Government would be anti-secularism. Lastly I want to know when the import of tallow would be stopped completely. All the tallow imported from abroad is not being used for manufacturing soap. Government should see that tallow is not used in Ghee.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : May I know whether Government have estimated the shortfall in the consumption of soap containing tallow consequent upon writing on the label ? Secondly, May I also know whether soap is exported to the neighbouring Countries and the effect of such an action on the export of soap ? What is the number of different varieties of soap manufactured from Government oil etc and what is the quantity of each of them produced every year ?

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : What is the machinery available with the Government of India to prove that the soap does not contain tallow ?

Secondly, what is the quantity of tallow produced in India and what are the purposes for which the tallow is utilised ?

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Synthetic detergents etc should be used in place of tallow. It can be imported under PL 480.

श्री दा० रा० चव्हाण : जहां तक मुंगफली का उत्पादन बढ़ाने का संबंध है, केन्द्र तथा राज्यों के कृषि विभाग न केवल मूंगफली तथा इसके तेल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि कोशिश कर रहे हैं कि देश कुछ समय में आत्म-निर्भर हो जाये। हमें मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उत्पादन में उतार-चढ़ाव हो सकता है।

यह भी कहा गया है कि लपेटन पर संकेत दे दिया जाये तो इसमें क्या नुकसान है। वर्तमान परिस्थितियों में इस मामले को निर्माताओं के साथ उठाया जा सकता है और उन्हें लपेटन पर यह संकेत देने के लिये राजी किया जा सकता है कि इस में चर्बी है। लेकिन उन का कहना है कि कुछ साबुन ऐसे हैं जिन में चर्बी नहीं बल्कि वनस्पति तेल होता है और लोग वनस्पति तेल वाला साबुन खरीद सकते हैं। फिलहाल हम साबुन बनाने वालों को लपेटन पर यह लिखने के लिए, कि इसमें चर्बी है बाध्य नहीं कर सकते।

1966-67 में 19552 टन चर्बी का आयात किया गया। 1967-68 में 1,27,395 टन

चर्बी का आयात किया गया क्योंकि मुंगफली की उपज इतनी कम थी कि इस का मूल्य 2,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 5,575 रुपये प्रति टन हो गया। 1968-69 में 50,007 टन चर्बी का आयात किया गया। यदि इसका आयात न किया जाता तो साबुन निर्माताओं को वनस्पति तेल से साबुन बनाने की अनुमति देनी पड़ती। इस के कारण साबुन का मूल्य इतना बढ़ गया होता कि साबुन उपभोक्ताओं को बढ़े मूल्यों के रूप में 25-35 करोड़ रुपये का दण्ड देना पड़ता। इसलिए आर्थिक पहलू पर भी विचार करना पड़ा। धार्मिक भावना का कोई प्रश्न नहीं है। कृत्रिम अपमार्जक अधिक मात्रा में तैयार करने के प्रयास किये जाने चाहिए। इस समय 17,000 टन अपमार्जक तैयार होते हैं। बरौनी के निकट पेट्रो-केमीकल कम्पलैक्स की स्थापना और मोम-विस्फोटकों के उत्पादन से, जिसके लिए चौथी योजना में 10 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है, हम कृत्रिम अपमार्जक के निर्माण के लिए कच्चा माल तैयार कर सकेंगे जो अधिक सस्ता होगा। इस तरह धीरे-धीरे चर्बी का प्रयोग बन्द हो जायेगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : राष्ट्रीय भावना के कारण पूर्ण निषेध हो और एक कानून बनाया जाये जिस के अधीन लेबल लगाने के लिए निर्माताओं को बाध्य किया जाये।

श्री दा० रा० चव्हाण : हम चर्बी के आयात पर पूर्ण निषेध लगा सकते हैं बशर्ते कि कृत्रिम अपमार्जक के रूप में इस का स्थानापन्न ढूंढ़ सकें। जब देश के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इन का उत्पादन होगा तो विदेशी मुद्रा खर्च कर के चर्बी का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई देश विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करना चाहता। हम आयातों के लिए स्थानापन्न ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं चौथी योजना के अन्त तक हमारी 80 से 100 प्रतिशत आवश्यकताएं कृत्रिम अपमार्जक द्वारा पूरी हो जायेगी।

जहां तक देश में चर्बी के उत्पादन का सम्बन्ध है, हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चर्बी का आयात राज्य व्यापार निगम के जरिये किया जाता है। तकनीकी विकास के महानिदेशक की सिफारिश पर इस चर्बी का आवंटन राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है।

एक टन लांडरी साबुन में लगभग 0.37 टन चर्बी होती है और एक टन टायलट साबुन में लगभग 0.52 टन चर्बी होती है। इस सूत्र के आधार पर महानिदेशक यह अनुमान लगा सकता है कि चर्बी के आवंटन के अनुसार साबुन बनाया गया है या नहीं। महानिदेशक को चर्बी के प्रयोग के बारे में एक वार्षिक विवरणी प्राप्त होती है। इस तरह चर्बी के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है चर्बी का घी में दुरुपयोग नहीं किया जाता है।

इस के पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 31 मार्च, 1969/10 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, March 31, 1969/Chaitra 10, 1891 (Saka)

आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-6।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।
This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and Contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]